Thursday, 04 April, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र]

Fourth Session

Preservation Sect 6-7-9
Fumigated On 16.1.84
Parliament Library

[खंड 15 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 37, गुरुवार, 4 अप्रैल, 1968/ चैत्र 15, 1890 (शक)

No. 37, Thursday, April 4, 1968/Chaitra 15, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1048. मिडिल अन्दमान में भूमि के कृष्यकरण का कार्य	Reclamation Work in Middle Andamans ..	931—934
1050. यूनिवर्सल प्रेस सर्विस एजेन्सी	Universal Press Service Agency ..	934—936
1051. चीनी के लिए जाली परमिट	Forged Permits for Sugar ..	936—939
1052. गंगा के मैदान में भूमिगत जलाशय	Underground Reservoir in Gangetic Plain ..	939—942
1053. खेमकरण नगर की जनता का पुनर्वास	Rehabilitation of Khem Karan Town People ..	942—944
1054. संसद् की अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों का पुनर्गठन	Reorganisation of informal consultative Committees of Parliament ..	944—950
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
17. जादवपुर विश्वविद्यालय में घेराव	Gherao in Jadavpur University ..	950—958
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1049. नलकूप लगाना और कुएं खोदना	Construction of tube-wells and drilling of wells ..	958—959

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

1055. कार्मिक संघ	Trade Unions	..	959—960
1056. अधिवक्ता अधिनियम	Advocates Act	..	960
1057. अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद	All India Postal Employees Union, Gujarat Region, Ahmedabad	..	960—961
1058. कलकत्ता में गेहूं और चावल की बिक्री	Sale of Wheat and Rice in Calcutta	..	961
1060. गेहूं की फसल	Wheat Crop	..	961—962
1061. सहकारी क्षेत्र में कृषि प्रधान उद्योग	Agriculture Oriented Industries in Co-operative Sector	..	962
1062. राष्ट्रीय बीज निगम	National Seeds Corporation	..	962
1063. दिल्ली में चोरी छिपे अनाज लाया जाना	Food Smuggling into Delhi	..	963
1064. कृषि उपकरण	Agricultural Implements	..	963—964
1065. उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों के प्रबन्धक निदेशक	Managing Directors of Co-operative Banks in U. P.,	..	964
1066. दण्डकारण्य में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project Allowance, to P & T Staff in Dandakaranya Project	..	964—965
1067. चीनी के वितरण में असमानता	Disparity in Distribution of Sugar	..	965
1068. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई	D. M. S. Milk Supply	..	965—966
1069. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्लाटों की खरीद	Purchase of plots by Employees' Provident Fund Organisation	..	966
1070. पंजाब तथा हरियाणा में अनाज जमा हो जाना	Accumulation of Foodgrains in Punjab and Haryana	..	966—967
1071. रबी की फसल	Rabi Crops	..	967
1072. आम चुनावों पर कार्मिक संघों का प्रभाव	Trade Unions' Influence on General Elections	..	967
1073. औद्योगिक श्रमिकों को परिवार पेंशन	Family Pension to Industrial Workers	..	967—968

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1074. टेल्को के आटो डिवीजन में हड़ताल	Strike in Telco's Auto Division ..	968
1075. महाराष्ट्र में कानूनी राशन व्यवस्था	Statutory Rationing in Maharashtra ..	968
1076. दिल्ली में राशन व्यवस्था	Rationing in Delhi ..	968—969
1077. केरल में कृषि उद्योग निगम	Agro Industries Corporation in Kerala ..	969
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
6302. मंत्रियों द्वारा टेलीफोनों पर व्यय	Expenditure on Telephones in respect of Ministers ..	970
6303. उड़ीसा में भू-संरक्षण	Soil Conservation in Orissa ..	970
6304. भुवनेश्वर कृषि विश्वविद्यालय के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Bhubaneshwar University of Agriculture ..	970—971
6305. उड़ीसा में सहकारी चीनी कारखाने	Co-operative Sugar Factories in Orissa ..	971
6306. मध्य प्रदेश के लिए अधिक उपज देने वाले धान के बीज तथा आलू	Potatoes and High Yielding varieties of Paddy Seeds for Madhya Pradesh ..	971
6307. मध्य प्रदेश में डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialling System in Madhya Pradesh ..	971—972
6308. मध्य प्रदेश को चीनी की आवश्यकता	Sugar Requirement of Madhya Pradesh..	972
6309. मध्य प्रदेश में बीज फार्म और अनुसंधान केन्द्र	Seed Farms and Research Centres in Madhya Pradesh ..	972
6310. निर्वाचन आयोग में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Election Commission ..	973
6312. उड़ीसा में भूमि बंधक बैंक	Land Mortgage Banks in Orissa ..	973
6313. वर्षा और ओले पड़ने से फसलों को हानि	Damage to Crops due to Rain and Hailstorm ..	973—974
6314. राज्यों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ	Public Telephone Booths in States ..	974

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
6315. मुर्गीपालन विकास परियोजनायें	Poultry Development Project	..	974—976
6316. कपास का उत्पादन	Cotton Production	..	976—977
6317. मध्य प्रदेश में रोजगार दिलाऊ केन्द्र	Employment Exchanges in Madhya Pradesh	..	978
6318. श्रमिक क्षेत्रों में दंगे	Disturbances in Labour Areas	..	978
6319. दिल्ली में खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of Foodgrains in Delhi	..	978—979
6320. महाराष्ट्र में लाल मिर्च और प्याज की खरीद	Purchase of Chillies and Onions in Maharashtra	..	979
6321. मध्य प्रदेश में शहरी और देहाती क्षेत्रों में उप-डाकघर	Sub-Post Offices in Urban and Rural Areas in Madhya Pradesh	..	979
6322. मद्रास में टेलीफोन	Telephone Connections in Madras	..	979—980
6323. रामनाथपुरम (मद्रास) में डाकघर	Post Offices in Ramanathapuram (Madras)	..	980
6324. अन्दमान में रक्षित वन	Reserve Forest in Andaman	..	980
6325. सुपर बाजार	Super Bazars	..	980—981
6326. वस्तु समितियां	Commodity Committees	..	981
6327. जापान से उर्वरकों का आयात	Import of Fertilisers from Japan	..	982
6328. महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन अनुसंधान केन्द्र	Cotton Production Research Centres in Maharashtra	..	982—983
6329. अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पटना अधिवेशन (1962) की स्वागत समिति के पदाधिकारियों द्वारा देय टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Telephone dues outstanding against Office-Bearers of Reception Committee of Patna Session (1962) of AICC	..	983
6330. लघु सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes	..	984
6331. सोनाईगिरि में टेलोफीन सुविधा	Telephone Facility at Sonaigiri	..	984
6332. उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Scheme in U. P.	..	984

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
6333. दिल्ली में सरकारी वकील	Government Pleaders in Delhi ..	984—985
6334. नई दिल्ली सहकारी बैंक	New Delhi Co-operative Bank ..	985
6335. दिल्ली में डाक व तारघर	P & T Offices in Delhi ..	985—986
6336. गो सदन	Go-Sadans ..	986
6337. समुद्र पार संचार विभाग	Overseas Communications Department ..	986—987
6338. सोयाबीन और जिमीकन्द की खेती	Cultivation of Soya bean and Zimikund ..	987—988
6339. पंसकुरा स्टेशन पर रेलवे डाक सेवा कार्यालय	R. M. S. Office at Panskura Station ..	988
6340. खाद्यान्न और बीजों का भाण्डागारण	Storage of Foodgrains and Seeds ..	988—989
6341. संयुक्त अरब गणराज्य से चावल का आयात	Rice Import from UAR ..	989
6342. बेरोजगारी	Unemployment ..	989—990
6343. दिल्ली में गेहूं और चावल की बिक्री	Sale of Wheat and Rice in Delhi ..	990
6344. खुले बाजार में चीनी का मूल्य	Sugar Prices in Open Market ..	990
6345. चीनी की उत्पादन लागत	Production cost of Sugar ..	991
6346. कानपुर में नई प्रयोगात्मक चीनी बनाने की फैक्टरी	New Experimental Sugar Factory at Kanpur	991
6347. केन्द्रीय श्रम कल्याण निधि	Central Labour Welfare Fund	991—992
6348. सूरतगढ़ प्रक्षेत्र	Suratgarh Farm	992
6349. नये बीजों के विकास पर पुरस्कार	Awards on Development of new seeds ..	992—993
6350. भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj ..	993
6351. गोदामों तथा खत्तियों का निर्माण	Construction of Warehouses and Silos ..	993
6352. व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80	Section 80 of Civil Procedure Code	994

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6353. मध्य प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों के पदों की समाप्ति	Abolition of Post of Block Development Officer in Madhya Pradesh ..	994
6354. चूहों का उत्पात	Rat Menace ..	994—995
6355. अन्नपूर्णा अल्पाहारगृह (कैफेटेरिया), नई दिल्ली	Annapurana Cafeteria, New Delhi	995
6356. ग्रामीण क्षेत्रों में युवक क्लब	Youth Clubs in Rural Areas ..	995
6357. कृषि विभाग में सहायकों/अपर डिवीजन क्लर्कों का स्थायीकरण	Confirmation of Assistants/UDCs in Department of Agriculture ..	996—997
6358. सहकारी समितियों का परिसमापन	Liquidation of co-operatives ..	997
6359. सिंचाई उपकरणों की खरीद	Purchase of Irrigation Accessories ..	997
6360. चीनी पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Sugar	997—998
6361. गन्ने की फसल	Sugar-cane Crop ..	998
6362. स्मृति डाक-टिकटों की छपाई	Printing of Commemorative postal Stamps ..	998—999
6363. आन्ध्र स्टील कारपोरेशन, विशाखापटनम	Andhra Steel Corporation, Visakhapatnam ..	999
6364. उत्तर प्रदेश में खाद्य विभाग के मामलों की जांच	Investigations into Food Department Cases in U. P.	1000
6365. उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाओं को पट्टे पर दिया जाना	Leases of Gram Sabha Lands in Uttar Pradesh	1000
6366. गोरखपुर के कृषकों के लिए पम्पिंग सैट	Pumping Sets to Farmers of Gorakhpur ..	1000—1001
6367. कृषि अनुसंधान तथा प्रशिक्षण अनुदान	Agricultural Research and Training Grants ..	1001
6368. डाक टिकटों का मुद्रण	Printing of Postal Stamps ..	1001
6369. गांवों का विद्युतीकरण	Rural Electrification ..	1001—1002
6370. रूस के ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from USSR ..	1002—1003
6371. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध का क्रय मूल्य	Purchase price of Milk by D. M. S. ..	1003

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6372. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	Employees' Provident Fund Organisation ..	1004
6373. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	Employees' Provident Fund Organisation ..	1004—1005
6374. कर्मचारी भविष्य निधि का केन्द्रीय न्यासी बोर्ड	Central Board of Trustees of Employees' Provident Fund ..	1005—1006
6375. कर्मचारी भविष्य निधि योजना	Employees Provident Fund Scheme ..	1006—1007
6376. राज्यों में अनाज का रक्षित भण्डार	Buffer stock of Foodgrains in States	1007
6377. बिहार में सहकारी समितियां	Co-operative Societies in Bihar ..	1007—1008
6378. बिहार में शिक्षित बेकार व्यक्ति	Educated Unemployed persons in Bihar ..	1008
6379. पक्षियों का अध्ययन	Study on Birds ..	1008—1009
6380. चारे की फसल	Fodder Crops ..	1009—1010
6381. उर्वरकों की आवश्यकता	Requirement of Fertilizers ..	1010
6382. मध्य प्रदेश में वनरोपण योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Forestry Schemes in Madhya Pradesh ..	1010—1011
6383. खाद्यान्न का रक्षित भण्डार	Buffer Stocks of Foodgrains	1011
6384. अल्मोड़ा परियोजना के लिये सहायता	Aid for Almora Project ..	1011—1012
6385. आम की खेती	Mango Farming ..	1012—1013
6386. राजनैतिक दलों के प्रभावाधीन कार्मिक संघ	Trade Unions under influence of Political Parties ..	1013
6387. दिल्ली के चिड़ियाघर के प्राधिकारियों द्वारा पक्षियों को चुराने वालों की गिरफ्तारी	Arrest of Poachers by Delhi Zoo authorities ..	1013—1014
6388. हरियाणा में निष्क्रान्त सम्पत्ति की नीलामी द्वारा बिक्री	Auction Sale of Evacuee Property Haryana ..	1014
6389. भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन	Chairman, Food Corporation of India ..	1015
6390. तार द्वारा शोक संदेश	Condolence Messages by Telegrams	1015

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6391. महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में भूमिहीन श्रमिकों का पुनर्वास	Settlement of landless labourers in Yeotmal District in Maharashtra State ..	1015—1016
6392. ईटों की बनी खत्तियां	Brick Silo ..	1016—1017
6393. जबलपुर में टेलीफोन लगाना	Installations of Telephones in Jabalpur ..	1017
6394. कोचीन में टेलेक्स केन्द्र	Telex-Exchange at Cochin ..	1017—1018
6395. केरल को चावल का नियतन	Rice allotment to Kerala ..	1018
6397. विदेशी तेल समवायों द्वारा कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of staff by Foreign oil companies ..	1018
6398. काली नोली डाकघर का पोस्टमास्टर	Post Master of Kalinoli Post Office ..	1018—1019
6399. बेरोजगारी	Unemployment ..	1019
6400. रबी की फसल की वसूली के बारे में कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन	Agriculture prices commission Report of procurement of Rabi Crop ..	1019—1020
6401. चावल मिलें	Rice Mills ..	1020
6402. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई	Milk Supply by D. M. S. ..	1020—1021
6403. खाद्यान्नों के संग्रह की व्यवस्था	Storage of Foodgrains ..	1021—1023
6404. भविष्य निधि में अंशदान	Provident Fund Contributions ..	1023
6405. गोरखपुर जिले में डाकघर	Post Offices in Gorakhpur District ..	1023—1024
6407. खेती की मशीनरी पर कर	Taxes on Farming Machinery ..	1024
6408. कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य	Rates fixed by Agricultural Prices Commission ..	1024—1025
6409. रूस और चैकोस्लोवाकिया से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from U. S. S. R. and Czechoslovakia ..	1025
6410. मैक्सिम गोर्की की स्मृति में डाक टिकट	Maxim Gorky Commemorative Stamps ..	1025—1026
6411. स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative Stamps of Late Deen Dayal Upadhyaya ..	1026

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
6412. दूध और घी की कमी	Shortage of Milk and Ghee ..	1026—1028
6413. दुग्ध चूर्ण का आयात	Import of Milk Powder ..	1028
6414. नेपाल श्रम संगठन का प्रतिनिधिमंडल	Delegation of Nepal Labour Organisation ..	1028—1029
6415. रासायनिक उर्वरकों की खरीद और बिक्री के लिये लाइसेंस	Licensing for the purchase and Sale of Chemical Fertilizers ..	1029
6416. भारत में खाद्यान्न की कमी	Food Deficiency in India ..	1029—1030
6417. श्रम मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी	Section Officers in Labour Ministry ..	1030
6418. भारत साधु समाज	Bharat Sadhu Samaj ..	1030—1031
6419. डाक तथा तार विभाग में राजपत्रित पद	Gazetted Posts in P and T Department ..	1031
6420. दिल्ली में टी०ई० डब्ल्यू०एस० के श्रेणी दो के अधिकारो	T. E. W. S. Class II Officers in Delhi ..	1031
6421. दिल्ली टेलीफोन जिला में लाइनमैनों की भर्ती	Recruitment of linemen in Delhi ..	1032
6422. डाक व तार विभाग, दिल्ली में राजपत्रित पद	Gazetted posts in Posts and Telegraphs Department, Delhi ..	1032
6423. हरियाना के घुन लगे गेहूं की रोलर फ्लोर मिलों को निर्बाध बिक्री	Free Sale of Weevilled Wheat to Roller Flour Mills in Haryana ..	1033
6424. संविधान के अनुच्छेद 209 का निर्वचन	Interpretation of Art 209 of Constitution ..	1033
6425. रामाकृष्णपुरम (नई दिल्ली) के लिए दिल्ली दुग्ध योजना का दुग्ध वितरण केन्द्र	D. M. S. Milk Booth for R. K. Puram, New Delhi ..	1033—1034
6426. दिल्ली में राशन की दुकानों में आयातित गेहूं	Imported Wheat with Ration Shops in Delhi ..	1034
6427. भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Food Corporation of India Employees ..	1034—1035
6428. डाइरेक्टोरेट आफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वेरेन्टाइन एण्ड स्टोरेज	Directorate of plant protection, Quarantine and storage ..	1035

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table ..	1035—1037
कलकत्ता पत्तन में हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement re : Strike at Calcutta Port ..	1037
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao ..	1037—1039
अनुदानों की मांगें, 1968-69—	Demands for Grants, 1968-69—	
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	Ministry of External Affairs ..	1039—1059
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar ..	1039—1040
श्री स्वैल	Shri Swell ..	1040—1042
श्री म० ला० सोंधी	Shri M. L. Sondhi ..	1043—1046
श्री हनुमन्तय्या	Shri Hanumanthaiya ..	1046—1048
श्री कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi ..	1048—1049
श्री सन्त बक्स सिंह	Shri Sant Bux Singh ..	1050
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ..	1050—1052
श्री गणेश	Shri K. R. Ganesh ..	1052—1053
श्री उमानाथ	Shri Umanath ..	1053—1055
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen ..	1055—1056
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat ..	1056—1059
हरिजनों से सम्बन्धित घटनाओं के बारे में गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा	Discussion on Statement by Home Minister re : Incidents relating to Harijans ..	1059—1070
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ..	1059—1060
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare ..	1060—1061
श्री राजाराम	Shei Rajaram ..	1061—1062
श्री प्र० रं० ठाकुर	Shri P. R. Thakur ..	1062—1063
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ..	1063
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित	Shrimati Vijaya Lakshmi Pandit ..	1064
श्री दे० अमात	Shri D. Amat ..	1064—1065
श्रीमती अगम दास गुरु मिनीमाता	Shrimati Agam Dass Guru Minimata ..	1065—1066
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad ..	1066
श्रीमती इन्दिरा गान्धी	Shrimati Indira Gandhi ..	1066—1067

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
श्री विश्वनाथ मेनन	Shri Viswanatha Menon	..	1067
श्री साधू राम	Shri Sadhu Ram	..	1067—1068
श्री राम चरण	Shri Ram Charan	..	1068
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	..	1068
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	..	1068
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	..	1069—1070

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

4 अप्रैल, 1968।15 चैत्र, 1890 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
943.	तारांकित प्रश्न संख्या 1053 के मुख्य उत्तर (पंक्तियां 1 - 8) का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार पढ़िये :-- श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा. रा. चव्हाण): (क) अगस्त-सितम्बर, 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नागरिक खेमकरण छोड़ कर अन्यत्र चले गये थे क्योंकि वहां लड़ाई चल रही थी। वहां के इन निवासियों को वापस आने में कोई डर नहीं था और वे युद्ध विराम के बाद वहां वापस चले गये। (ख) सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 745।68) सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप खेमकरण के लोगों में फिर से काफी विश्वास पैदा हो गया है और वे फिर से अपनी सामान्य गतिविधियों में लग गये हैं।
966	तारांकित प्रश्न संख्या 1069 पंक्ति 7, श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) के स्थान पर श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
1035	नीचे से तीसरी तथा दूसरी पंक्ति के बीच में निम्नलिखित पढ़िये :-- आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले विवरण ।

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 4 **अप्रैल,** 1968/15 **चैत्र,** 1890 **(शक)**
Thursday, April 4, 1968/Chaitra 15, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मिडिल अन्दमान में भूमि के कृष्यकरण का कार्य

*1048. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'मिडिल अन्दमान' में भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये 1953 से 1962 तक की अवधि में डिवीजनल वन अधिकारी द्वारा एक इंजन और बहुत से ट्रैक्टर खरीदे गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्य के लिये नियुक्त बहुत से व्यक्ति बिना कोई काम किये 529 महीनों तक वेतन लेते रहे थे ;

(ग) यदि हां, तो इस कुप्रबन्ध, भारी अपव्यय तथा इस यूनिट को सौंपे गये काम की क्रियान्विति में विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी था ; और

(घ) क्या इस बीच मशीनों की मरम्मत कर दी गई है और काम पूरा कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अन्दमान वन विभाग ने 1953 से 1962 तक की अवधि में एक इंजन और 11 ट्रैक्टर खरीदे थे । इनकी आवश्यकता लकड़ी के गठ्ठों की ढुलाई और भूमि सुधार कार्यों के लिये थी ।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) केवल एक इंजन और 5 ट्रैक्टर ही कुछ समय तक बेकार रहे हैं। इंजन अपनी क्षमता से अधिक समय तक कार्य कर चुका था और उसकी मरम्मत बहुत महंगी पड़ती थी, अतः अन्दमान प्रशासन द्वारा नियुक्त 'कन्डम बोर्ड' ने उसे नाकारा घोषित कर दिया था। पांच ट्रैक्टरों में से 4 ट्रैक्टरों की मरम्मत करके उनसे काम लेना शुरू कर दिया गया है। फालतू पुर्जे उपलब्ध न होने के कारण एक ट्रैक्टर को ठीक नहीं किया जा सका। परन्तु इस अवधि में लकड़ी की निकासी का लक्ष्य पूरा हो गया। ट्रैक्टरों के नाकारा रहने के कारण भूमि सुधार के कार्य की प्रगति को कोई धक्का नहीं लगा है।

Shri Prem Chand Verma: The reply given by the Hon'ble Minister is not correct. You please refer to parts (b) and (c) of my question. It has been asked therein whether the staff was paid salaries for 529 months without any work? Mr. Speaker, I have the Commercial Audit Report with me. I feel that the Hon'ble Minister has tried to mislead the House by giving wrong information. Is it not a fact that these tractors we have purchased with the foreign exchange of Rs. 9 laks and 48 thousands were defective from the very beginning? Is it not a fact that they were lying useless on this account for six years? Was any action taken against the officer responsible for this deal? Will the Minister be pleased to state whether any enquiry has been made by him?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि कोई जांच के योग्य मामला है तो हम उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं। कुप्रबन्ध की जांच कराने में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री रंगा : रिपोर्ट आपके पास है, आपने पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक इस रिपोर्ट का सम्बन्ध है इस पर लोक लेखा समिति ने कर्मचारियों के विषय में कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। समिति के अनुसार कर्मचारी फालतू थे और उन्हें वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया गया। परिस्थिति यह है कि फालतू पुर्जों के अभाव में 5 ट्रैक्टर बेकार पड़े रहे। वन विभाग में एक ट्रैक्टर वर्कशाप है जहां के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 20 है किन्तु वहां केवल 9 आदमी काम कर रहे थे। 11 पद रिक्त थे। इसलिये जब ट्रैक्टर बेकार थे तो इन लोगों की सेवाएं कर्मशाला को दी गयीं।

श्री रंगा : लेकिन माननीय सदस्य ने कहा है कि एक ट्रैक्टर शुरू से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इससे आज तक इतने वर्षों से काम नहीं लिया गया। इसका क्या कारण है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

Shri Prem Chand Verma: All this was in the question but the Hon'ble Minister do not come fully prepared. I request you to make him give the reply. It was asked in clear terms whether it is not a fact that a large number of people were receiving their salaries without doing any work? May I know whether it is a fact that 15 persons were marked present while 4 person were actually engaged, and 11 persons were marked present in a fake register? Whether it is a fact that an amount of Rs. 73,C00 was paid to these fake 11 employees?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं स्थिति पहले ही बतला चुका हूं। यद्यपि ट्रैक्टर खराब होने के कारण कर्मचारी बेकार रहे परन्तु उनसे वर्कशाप में काम लिया गया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्कशाप के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 20 है पर वहां केवल 9 आदमी काम कर रहे थे। अतः ट्रैक्टर बेकार होने से जो कर्मचारी फालतू थे उनसे वर्कशाप में काम लिया गया। दैनिक और मासिक आवंटन रजिस्टर और दैनिक रजिस्टर से स्पष्ट है कि वे वहां काम कर रहे थे।

Shri Prem Chand Verma : This is wrong. No work was taken from them.

अध्यक्ष महोदय : आप गलत कह सकते हैं, पर मैं इसकी पुष्टि कैसे कर सकता हूं ?

श्री कण्डप्पन : अण्डमान के प्रशासन में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जिन्हें मैं जानता हूं। उदाहरणतया, मानसून के दिनों में वहां इतनी भारी वर्षा होती है कि लगातार 3 या 4 महीने तक लगभग सभी विभागों को अपना काम रोकना पड़ता है। इससे बचाव नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त भारत सरकार का भी अण्डमान द्वीप से सम्बन्ध टूट जाता है और वहां पत्र पहुंचने में एक सप्ताह से अधिक समय लग जाता है, इस कारण अण्डमान प्रशासन में कई त्रुटियां आ गई हैं। इसलिये इन कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए सरकार इस विभाग या उस विभाग के कर्मचारियों को, कहीं और खेती करने जैसे अंशकालिक काम करने की आज्ञा देगी ? जब मैं अण्डमान में था तब लोग मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें खेती करने जैसे काम करने की आज्ञा दी जाय। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य अन्डमान प्रशासन की कठिनाइयों को समझते हैं। सबसे पहले बहुत दिनों तक भारी बरसात होने के कारण नियोजक नौकरी नहीं दे सकते। फिर अधिकतर मजदूर बाहर से लाये जाते हैं इसलिये हम उनकी छंटनी कर और कहीं नहीं भेज सकते। जहां तक माननीय सदस्य के विशेष सुझाव का सम्बन्ध है, हम उस पर विचार करेंगे।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : असली सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों को काम के वगैर वेतन दिया गया ? इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए ? सवाल यह नहीं है कि ट्रैक्टर या इंजन मरम्मत के बिना बेकार रहे। यदि इन लोगों की सेवायें अनावश्यक थीं तो उन्हें वैकल्पिक रोजगार क्यों नहीं दिया गया और क्या यह सच है कि उन्हें बिना काम के वेतन दिया गया ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं इस प्रश्न का जवाब पहले ही दे चुका हूं। उन्हें वन विभाग की वर्कशाप में वैकल्पिक रोजगार दिया गया था। उन्हें काम किये बिना वेतन नहीं दिया गया। मैंने माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अण्डमान की विचित्र स्थिति है। भारी वर्षा के कारण वहां कुछ महीनों काम बिल्कुल बन्द रहता है। ऐसी हालत में हम मजदूरों की छंटनी नहीं कर सकते क्योंकि उनमें से अधिकतर बाहर से लाये जाते हैं।

डा० रानेन सेन : जब इस सदन में पहले अण्डमान में मजदूरों के प्रश्न पर चर्चा हुई थी तो यह बताया गया था कि अण्डमान में मजदूरों की कठिनाई का मुख्य कारण यह है कि अण्डमान के आयुक्त द्वारा कुप्रबन्ध किया जाता है जिसके सम्बन्ध में अन्डमान के निवासियों ने गम्भीर शिकायतें की हैं। क्या सरकार को वे शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां तो क्या सरकार उन पर गौर कर कुछ सुधार करने का विचार कर रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध अण्डमान में वन विभाग के प्रशासन से है। यदि माननीय सदस्य अन्य विभागों से सम्बन्धित प्रश्न पूछना चाहते हों तो वे गृह मंत्री से पूछें।

यूनिवर्सल प्रेस सर्विस एजेन्सी

*1050. **श्री ज्योतिर्मय बसु .** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग को पश्चिम जर्मनी के नागरिकों द्वारा चलाई जा रही यूसिवर्सल प्रेस सर्विस एजेन्सी के प्रबन्ध के विरुद्ध अनेक शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या साप्ताहिक छुट्टियां न दिये जाने तथा काम के घंटों का निर्धारण न किये जाने के बारे में की गई इस शिकायत के फलस्वरूप एक कर्मचारी बर्खास्त किया गया है ; और

(ग) श्रम अधिकारियों ने श्रम-जीवी पत्रकार अधिनियम और दुकान तथा संस्थान अधि-नियम के अन्तर्गत यूनिवर्सल प्रेस सर्विस एजेन्सी प्रबन्ध के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस एजेन्सी के विरुद्ध इसके एक कर्मचारी द्वारा की गई कुछ शिकायतें दिल्ली प्रशासन को प्राप्त हुईं। इस एजेंसी के सम्पादक और प्रोप्रायटर एक भारतीय हैं।

(ख) नियोजक के कथनानुसार उन्होंने केवल इस कर्मचारी का त्यागपत्र स्वीकार किया था। लेकिन कर्मचारी के अनुसार, उसकी सेवायें गैर-कानूनी तौर पर समाप्त की गईं।

(ग) एजेन्सी के विरुद्ध दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत कतिपय रजिस्टर न भरने और कतिपय नोटिसों के न लगाने के लिये अभियोजन चलाये गये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस देश में यह समाचार एजेंसी संयुक्त राज्य सूचना सेवा की तरह चलाई जा रही है। उन्हें पश्चिम जर्मनी से इस देश में प्रचार कार्य के लिये बहुत धनराशि मिलती है। क्या यह एजेंसी वेतन मण्डल की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं कर रही है, और यदि हां तो ऐसी कितनी विदेशी समाचार एजेंसियां हैं जिन्होंने वेतन मण्डल की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है ?

श्री हाथी : जहां तक इस एजेंसी का सम्बन्ध है, इसने अब वेतन मण्डल की सिफारिशों को लागू कर दिया है। अन्य एजेंसियों के सम्बन्ध में मुझे कुछ समय चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार इन परिस्थितियों में भविष्य में श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के हितों की सुरक्षा करने के लिए क्या विचार कर रही है ? क्या सरकार ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करने और समुचित कार्रवाई सुझाने के लिये कोई अधिक शक्तिशाली समिति नियुक्त करने का विचार रखती है ?

श्री हाथी : जहां तक इस एजेंसी का सम्बन्ध है, यह शिकायत आई थी कि एक कर्मचारी की सेवायें अवैधानिक रूप से समाप्त कर दी गयी थीं, नियोजकों का कहना है कि कर्मचारी ने लिख कर दिया था कि यदि वे मेरी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो मैं 20 जनवरी से एजेंसी के साथ अपने सम्बन्ध तोड़ दूंगा । अब नियोजक कहता है कि क्योंकि उसने ऐसा लिखा था इसलिये मैंने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं । वह काम नहीं करना चाहता था, लेकिन इंसपेक्टर ने दोनों पक्षों को बुलाया है और अब बातचीत चल रही है । 16 तारीख को फिर दोनों पक्षों को बुलाया गया है और आशा है कि मामला निपट जायेगा । उसने वेतन मण्डल की सिफारिशों को लागू कर दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अधिक शक्तिशाली समिति के सम्बन्ध में क्या है ?

श्री हाथी : अधिक शक्तिशाली समिति की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में नियम स्पष्ट है और यदि हमें कोई शिकायत मिलती है तो हम कानून के अन्तर्गत कार्रवाई करते हैं । इस मामले में भी यही किया गया है ।

श्री कृष्णमूर्ति : मैं पहले प्रश्न पूछने के ढंग पर आपत्ति करना चाहता हूं । यह यूनिवर्सल प्रेस सर्विस एजेंसी के एक कर्मचारी की सेवा समाप्त होने के सम्बन्ध में है । प्रश्न में यह बताया गया है कि यूनिवर्सल प्रेस सर्विस एजेंसी पश्चिम जर्मनी द्वारा चलायी जाती है । सदस्य के विशेषाधिकार का इस प्रकार दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और एक विशेष प्रतिष्ठान को जब तक उनका प्रतिनिधि न हो बदनाम नहीं किया जाना चाहिए ।

क्या यह सच नहीं है कि प्रबन्धकों ने इस विशेष कर्मचारी, दीपक चौधरी, जो कुछ विशेष देशों अर्थात् सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ को सूचनाएं देता है, की सेवायें समाप्त की हैं और क्या यह भी सच नहीं है कि उसने स्वयं त्यागपत्र दिया है और इस त्याग-पत्र को यूनिवर्सल प्रेस एजेंसी ने स्वीकार कर लिया है ?

श्री हाथी : जहां तक श्रम मन्त्रालय का सम्बन्ध है हम कर्मचारियों की सेवा शर्तों, वेतन और श्रम नियमों को लागू करवाते हैं । मेरा दूसरी बातों से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं कह चुका हूं कि एजेंसी का सम्पादक और प्रोपराइटर एक भारतीय है ।

अध्यक्ष महोदय : अब अगले प्रश्न का उत्तर दीजिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं······

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी आज्ञा नहीं देता ।

श्री कृष्णमूर्ति : मैं अपनी बात की पुष्टि करने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री कृष्णमूर्ति यह पूछते कि क्या कर्मचारी की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं तो ठीक होता लेकिन कोई बाहरी चीजें पूछने से ऐसी कठिनाई हो जाती है ।

श्री कृष्णमूर्ति : प्रश्न में स्वयं बाहर की बातें हैं और प्रश्न स्वीकार कर लिया गया है । जिस ढंग से यह पूछा गया है उसी से कठिनाई हो गई है ।

चीनी के लिये जाली परमिट

+

*1051. **श्री एस्थोस** : **श्री नायनार** :
श्री रमानी : **श्री सत्यनारायण सिंह** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी, 1968 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में अनेक राशन डिपुओं से जाली परमिटों पर बड़ी मात्रा में चीनी प्राप्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन जाली परमिटों पर कुल कितनी चीनी दी गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 145 क्विटल ।

(ग) और (घ). पुलिस इस मामले की जांच कर रही है ।

श्री एस्थोस : क्या यह सच है कि परमिट पर ली हुई चीनी खुले बाजार में 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है और यदि हां, तो सरकार उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने कहा है कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है । जहां तक आम सवाल की बात है हम चीनी राज्य सरकारों को देते हैं और यह राज्य सरकारों का काम है कि वे चीनी का समुचित वितरण करवायें और यदि नियम की अवहेलना की जाती है तो उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है ।

श्री एस्थोस : क्या कुछ सरकारी अधिकारी भी व्यापारियों के साथ मिले हुए हैं या जाली परमिट बनवाते हैं और यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस मामले की जांच की जा रही है ।

श्री रमानी : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की आर्थिक नियंत्रण नीति से व्यापारियों को अधिक चीनी लेने और काले बाजार में बेचने के लिए परमिट बनाने का रास्ता खुला है ? माननीय मन्त्री महोदय ने चीनी मिल मालिकों की संस्था में एक या दो दिन पहले बोलते हुए यह कहा था कि यदि चीनी की कीमतें उचित सीमा से बढ़ीं तो वह कार्रवाई करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि यह उचित और अनुचित सीमा क्या है ? मद्रास में मिल मालिक 3 रुपए प्रति किलो चीनी बाजार में बेचने को तैयार थे और 40 प्रतिशत चीनी उस दाम पर बेची जानी थी जबकि राशन में चीनी का मूल्य 1.75 रुपए प्रति किलो है, लेकिन वास्तव में यह 5 या 6 रुपए किलो के हिसाब से बेची जा रही है । उचित या अनुचित मूल्य क्या है—1.75 रुपये या 3.50 रुपये या 5 या 6 रुपए ? वे कार्रवाई कब करेंगे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं लेकिन मूल प्रश्न का सम्बन्ध 25 फरवरी, 1968 के **हिन्दुस्तान टाइम्स** में प्रकाशित समाचार से है और वह स्पष्ट है । अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आप माननीय सदस्य को चीनी के नियन्त्रण और विनियन्त्रण की आय नीति पर विचार करने का अवसर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सम्बन्ध राशन की दुकानों में ऊंची दर पर चीनी बेचने से है । आप अपना उत्तर इसी विशेष प्रश्न तक सीमित कर सकते हैं ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने मद्रास राज्य में नियंत्रित चीनी की बिक्री के सम्बन्ध में बात कही है । मैं स्थिति को स्पष्ट कर चुका हूं । सरकार को वितरण प्रणाली में सुधार करना चाहिए । उन्हें देखना चाहिए कि राशन की चीनी दूसरों के हाथ में न जाये ताकि वे स्थिति का लाभ न उठा सकें ।

Shri Sarjoo Pandey : There was a statement of the Food Minister in the paper day before yesterday that he would take action against the mill owners if the prices exceeded the limit. The Government has checked the use of jaggery for the manufacture of alcoholic liquors but I want to know the action taken against the sugar mill owners as the prices of sugar are increasing day by day and it is impossible to get sugar in the market.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि चीनी की कीमतें बढ़ेंगी तो हम वैधानिक कार्रवाई करने में नहीं झिझकेंगे । हमने मूल्यों को एक निश्चित स्तर पर रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी कर ली है । हमने 34,000 मेट्रिक टन की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध करा दी है जिसमें 24,000 मेट्रिक टन खुले बाजार में बिक्री के लिए है और 10,000 मेट्रिक टन नियन्त्रित वितरण के लिये है । गुड़ के दाम अचानक चढ़ गये थे क्योंकि कुछ राज्य सरकारें गुड़ का व्यापार करना चाहती थीं और गुड़ खरीद रही थीं । हमने आदेश जारी कर दिये हैं कि देश में मीठे पदार्थों की पूर्ति की वर्तमान अवस्था को देखते हुए गुड़ केवल आदमियों और पशुओं के खाने के लिए ही प्रयोग होना चाहिए और इससे शराब नहीं बनाई जानी चाहिए । आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या दिल्ली महानगर परिषद के उच्च अधिकारियों के कारण राजधानी में चीनी के सबसे अधिक जाली परमिट हैं यहां तक कि जिस किसी मिठाई और राशन की दुकान पर जनसंघ का चुनाव चिह्न था उन सबको चीनी के परमिट दिये गये थे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे इस बात का पता नहीं है।

Shri S. M. Joshi : Mr. Speaker, the aim of partial decontrol of sugar was to raise the acreage of sugar-cane cultivation so that the prices of sugar may be brought down. May I know the acreage increased and the reason for not having its anticipatory effect on the sugar prices ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : रिपोर्टों से पता चला है कि गन्ने की बुवाई बहुत आशाजनक रही है। यह पता लगाने में कि कितने क्षेत्र में गन्ने की बुवाई हुई, कुछ समय लगेगा और कीमतों पर इसका प्रभाव अगले मौसम में पड़ेगा। इस नीति से गन्ने की खेती बढ़ाने में बहुत सहायता मिली है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, the prices of sugar have shot up about Rs. 120 per quintal and have gone down Rs. 25 per quintal after the Hon'ble Minister's rebuff yesterday. These mill owners have made a pool and try to sell their stocks in the last days. The prices increase because of this and the consumer is hard hit by these fluctuations. Will the Hon'ble Minister devise some rules or create a permanent machinery to see that the mill owners do not exploit and hit the consumers in this way in future ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम चौकसी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि निर्माता, व्यापारी और अन्य लोग सरकार के साथ सहयोग करें।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is not a question of wish. Is the Government prepared to devise some rules or to take some action ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं सरकार द्वारा की गयी कुछ कार्रवाई पहले ही बतला चुका हूं। सर्वप्रथम हमने आदमियों या पशुओं के खाने के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए गुड़ की बिक्री पर रोक लगा दी है, क्योंकि चीनी पर गुड़ के भावों का भी प्रभाव पड़ता है।

Shri Kanwar Lal Gupta : You have taken steps against the mill owners to bring the prices down but what action do you propose to take against the mill owners who make the pool and increase the prices all of a sudden ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : माननीय सदस्य को मालूम है कि चीनी रिलीज करने के 30 दिन की अवधि के भीतर भेजी जाती है। शायद उन्हें यह भी पता होगा कि जो चीनी 30 दिन की अवधि में नहीं भेजी जाती वह सरकार ले लेती है। यह डर हमेशा बना हुआ है।

श्री नाथ पाई : छोटे उत्पादकों और उपभोक्ताओं को तथाकथित आंशिक विनियंत्रण से क्या लाभ हुआ है ? यह केवल आंशिक लूट है जिससे सट्टेबाजों और माननीय मंत्री महोदय

वे चुनाव क्षेत्र के उन बड़े जमींदारों को लाभ हुआ है जिनके पास सैकड़ों एकड़ भूमि है। मैं वहां गया हूं और देखकर आया हूं। इससे केवल बड़े जमींदारों को लाभ हुआ है और छोटे जमींदारों और उपभोक्ताओं को लूटा गया है। क्या इसका निर्धारण किया गया है कि इससे बड़े जमींदारों को कितना लाभ हुआ है जो कदाचित् मंत्री महोदय के विश्वासानुसार उपभोक्ता को होना चाहिए था ? क्या कुल मिलाकर इसका निर्धारण कर लिया है कि आंशिक विनियंत्रण से किसे लाभ हुआ है और किसे हानि हुई है ?

श्री जगजीवन राम : व्यापार और उद्योग द्वारा उठाये गये लाभ का निर्धारण मौसम समाप्त होने पर ही किया जा सकता है। लेकिन एक बात आज भी स्पष्ट है। जहां तक गन्ने की खेती करने वालों का प्रश्न है, चाहे वे अधिक खेती पर उगाते हों या कम खेती पर इससे बहुत लाभ हुआ है, जहां तक उपभोक्ता का प्रश्न है, यदि मेरे माननीय साथी ने सारी योजना को समझने का प्रयत्न किया हो तो उन्हें पता चलेगा कि उपभोक्ता को जो भी चीनी सरकार द्वारा ली गयी चीनी में से मिल रही है, वह रियायती दर पर मिल रही है क्योंकि चीनी की मिलों को गन्ने के निम्नतम निश्चित मूल्य से बहुत अधिक कीमत देनी पड़ रही है। उपभोक्ता को सरकार द्वारा ली गयी चीनी गन्ने की निम्नतम दर पर आधारित मूल्य से दी जा रही है। उस हद तक उपभोक्ता को रियायत मिल रही है। सारी मुसीबत का कारण यह है कि चीनी की कमी है और उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में चीनी नहीं मिल रही है। अतः उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये खुले बाजार से खरीदनी पड़ रही है जहां स्वाभाविक है कि कीमतें रियायती दर से अधिक हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : चीनी का आंशिक विनियंत्रण इस आधार पर किया गया था कि इससे देश में चीनी के उत्पादन की स्थिति सुधरेगी और उपभोक्ता को इतना लाभ पहुंचेगा कि चीनी कम मूल्य पर मिलेगी, विनियंत्रण से, मंत्री महोदय के विचारानुसार यदि इतने लाभ हैं तो इन लाभों को सौगुना करने के लिये वे सारी चीनी का ही विनियंत्रण क्यों नहीं कर देते ?

श्री जगजीवन राम : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का यह आशय नहीं है। इस प्रश्न पर नये मौसम के शुरू में विचार किया जा सकता है।

माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : सदन के हित में मैं प्रश्न पढ़ता हूं। इसका सम्बन्ध दिल्ली की राशन की दुकानों से जाली परमिटों पर चीनी लेने और उसकी जांच आदि से है। दिल्ली गयी, जाली परमिट गये और अब अनुपूरक प्रश्नों की मुख्य प्रश्न के साथ कोई संगति नहीं है। अगला प्रश्न।

गंगा के मैदान में भूमिगत जलाशय

*1052. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी, 1968 के पटना के 'इंडियन नेशनल' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता में अमरीकी सूचना सेवा के

निदेशक श्री डंकन स्काट ने कहा है कि गंगा के मैदान में विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत जलाशय है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गंगा के मैदान के भूमिगत जल का कृषि कार्यों के लिये पूरा फायदा उठाने सम्बन्धी किसी योजना को कार्यान्वित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । यह वक्तव्य 23 फरवरी को दिया गया है और 'इंडियन नेशनल' में 24 फरवरी को प्रकाशित हुआ था ।

(ख) और (ग). गंगा के मैदानों में खुदाई के कुओं, नलकूपों के बोरिंग करने, नलकूपों को गहरा करने, पम्पसेट लगाने, गहरे व कम गहरे कुएं खोदने आदि की योजनाओं के माध्यम से कृषि प्रयोजनों के लिये भूमिगत जल के विकास का कार्य पहले ही हो रहा है । पिछले दो वर्षों की अवधि में प्रगति और बढ़ी है ।

Shri Bhogendra Jha: Mr. Speaker, has the Government of India carried out completely the survey of the underground reservoir of water in the Gangetic plain and if so, whether the scheme has been formulated to utilize it or not? Has the Government made a scheme for the utilization of the underground water of other rivers or whether the Government propose to utilize this water?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : समन्वेषी नलकूप संगठन ने सर्वेक्षण कर लिया है और पानी की मात्रा का अनुमान लगा लिया गया है । पता चला है कि उत्तर प्रदेश में 500 लाख एकड़ फीट भूमिगत में जल उपलब्ध है । इस समय उसके 30 प्रतिशत जल का लाभ उठाया जा रहा है और 70 प्रतिशत जल का लाभ उठाना बाकी है, बिहार में 150 लाख एकड़ फीट भूमिगत पानी मिलने की सम्भावना है, इससे 20 प्रतिशत भाग को काम में लाया जा रहा है और 80 प्रतिशत भाग को काम में लाना शेष है । पिछले दो वर्षों में बिहार और उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल के साधनों का उपयोग करने की गति में इतनी तीव्रता आई कि पिछले वर्षों के मुकाबले छोटी सिंचाई का कार्यक्रम बहुत संतोषजनक रूप से चल रहा है ।

Shri Bhogendra Jha: Mr. Speaker, the progress made recently in the country is due to the fact that his party was not in power is many states. Has the Government any plan to utilize the 70 or 80 per cent underground water at least in the Fourth Five-Year Plan?

Secondly, there is the acute shortage of drills and rigs. Has the Government any scheme to requisition all the rigs in possession of the army, private traders and the rigs under production for the utilization of underground water in the Fourth Five-Year-Plan?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग के संदर्भ में मेरे विचार से यह कहना उचित नहीं है कि किसी राजनीतिक दल के कारण कार्यक्रम सुचारु रूप से चल रहा है ।

Shri Bhogendra Jha: What could not be accomplished in twenty years was achieved in two years.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वास्तव में देश में बहुत अच्छी जागृति पैदा हुई है। सूखा और कई अन्य कारणों से छोटी सिंचाई के महत्व को अच्छे तरीके से समझा गया है और अन्य राज्य सरकारें छोटी सिंचाई कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में बहुत रुचि ले रही हैं। उदाहरणतया छोटी सिंचाई के लिये बिहार में 1968-69 में 6,21,00,000 रुपये योजना व्यय और 13,88,00,000 रुपये गैर-योजना व्यय और उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ रुपये योजना व्यय और 27 करोड़ रुपये गैर-आयोजना व्यय की व्यवस्था की गई है।

Shri Bhogendra Jha: Rigs are not available in the market.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अधिकतर रिग्स देश में उपलब्ध हैं और उनके मिलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि किसी राज्य सरकार को रिग्ज मिलने में कठिनाई हो रही हो तो हम विदेशी मुद्रा देने को तैयार हैं। रिग्ज के कारण कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

Shri Mrityunjay Prasad: There was a proposal to send rigs by the Central Government to Bihar. Is there any difficulty in sending rigs there? Secondly have the Government ensured uninterrupted supply of electricity for the tube-wells installed or likely to be installed?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा मैं बता चुका हूं रिग्ज की कोई कठिनाई नहीं है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण का प्रश्न है, यह काम राज्य सरकारों का है। इसके लिए विस्तृत योजना है और केन्द्र सरकार इस कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से धन दे रही है।

Shri Maharaj Singh Bharati: Is the Hon'ble Minister aware of the two serious difficulties experienced in utilizing the underground reservoir of water; firstly, the farmers who instal the tube-wells are not allowed to sell water and, therefore, people hesitate to instal the tube-wells? Secondly the tube-wells should not be big in size. What is the action proposed to be taken by Government in this regard?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे इन बातों का पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरा सवाल है।

Shri D. N. Tiwary: Is the Government aware that the State Government is responsible for installing tube-wells. The S. V. D. Government of Bihar indulged more in propaganda than the work......

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। हम बिहार सरकार की चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसी कारण दिक्कत होती है।

श्री रंगा : यह देखते हुए कि उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण बहुत कम हुआ है और बिजली के अभाव में किसान रिग्ज, नलकूप आदि चीजों का उपयोग नहीं कर सकते, क्या केन्द्रीय सरकार इन राज्यों में इस विशेष प्रयोजन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए पर्याप्त धन देगी?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : कठिनाई इस कारण हुई है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के पास अपर्याप्त धन है। मैंने इसका एक हल निकाला है और कृषि सचिव राज्य बिजली बोर्डों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि यदि बिजली बोर्ड ऋण-पत्र जारी करें तो वाणिज्यिक बैंक उनको खरीद सकते हैं ताकि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आवश्यक धन उपलब्ध हो सके।

श्री अमृत नाहाटा : सदन को अभी-अभी बताया गया है कि पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश और बिहार में नलकूप कार्यक्रम में बहुत तेजी आई है। समन्वेषी नलकूप संगठन ने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में 200 नलकूप खोदने का वचन दिया था, लेकिन यह पूरा नहीं हो सका है और हमें बताया जा रहा है कि समन्वेषी नलकूप संगठन अब अपना काम बन्द कर रहा है। क्या इसका कारण यह है कि वहां कांग्रेसी सरकार है और उत्तर प्रदेश और बिहार में गैर-कांग्रेसी सरकारें थीं जिसके कारण केन्द्रीय सरकार उनकी आलोचना से बचना चाहती थी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सम्बन्ध गंगा के मैदान और रिग्ज आदि से है। आप अनावश्यक रूप से समय नष्ट कर रहे हैं।

Shri O. P. Tyagi: Just now the Hon'ble Minister has admitted that there is a large reservoir of water in Gangetic Plain. But Mr. Speaker, the canals have no water in the summer. Will the Government construct a canal of the water drawn by tube-wells for supply of water to the areas where water is very deep or not at all ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : भूमिगत जल की स्थानीय उपलब्धि और सतह पर जल की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए मध्यम और मुख्य सिंचाई योजनाओं के बीच आवश्यक समन्वय करके यह किया जा सकता है।

श्री रणधीर सिंह : क्या मंत्री महोदय ने गंगा के मैदान का सर्वेक्षण करवाया है कि वहां कितनी एकड़ भूमि पर सिंचाई नहीं होती, नलकूप, कुओं और नहरों द्वारा उस क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं पर कितना खर्च होने की सम्भावना है और उस क्षेत्र की सिंचाई कब तक हो सकेगी ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसके अनुमान मोटेतौर पर उपलब्ध हैं पर इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। पर्याप्त समय मिलने पर मैं उनको पेश कर सकता हूं।

Rehabilitation of Khem Karan Town People

*1053. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Khem Karan was deserted by the people during the Indo-Pak conflict and that they were afraid to go back; and

(b) if so, the steps taken by Government to restore confidence in them and to resettle them there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) Khem Karan was evacuated by civilians during the Indo-Pak conflict of August-September 1965, as it was in the battle zone. The residents were not afraid to go back and they returned after the cease-fire.

(b) A statement indicating the steps taken by Government is laid on the table of the House. **[Placed in the Library. See No. LT-745/68]**

Measures taken by Government have gone a long way to restore confidence and the people of Khem Karan have resumed their normal activities.

Shri Onkar Lal Berwa: Mr. Speaker, Sir, I want to know how much amount was given and to how many families, and whether there were certain members who happened to be a Rajasthan M. L. A. and also the village chief; and who returned after acquiring the citizenship there?

श्री दा० रा० चह्वाण : यदि माननीय सदस्य सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य को देखें तो खर्च सम्बन्धी आंकड़े वहां मिल जायेंगे । जिस विधायक के बारे में कहा गया है उसके सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Onkar Lal Berwa: I want to know how many families went away to Pakistan and did not return?

श्री दा० रा० चह्वाण : लोगों के खेमकरण से पाकिस्तान में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अ० सिं० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि इन परियोजनाओं से कितने लोगों को लाभ पहुंचा है तथा उन पर कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जैसा मैंने अभी-अभी बताया है, जो धन खर्च हुआ है उसका ब्योरा सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य में निहित है । वस्तुतः निर्धारित कार्यक्रमानुसार सभी परिवारों को लाभ पहुंचा है । तथा उनकी नियमित गतिविधियां फिर से आरम्भ हो गई हैं ।

श्री अनन्तराव पाटिल : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान खेमकरण क्षेत्र में हुई सम्पत्ति और फसलों की हानि का अनुमान लगा लिया है तथा इस क्षति की पूर्ति करने के लिये क्या कुछ कदम उठाये गये हैं ?

श्री दा० रा० चह्वाण : पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान सरकारी सम्पत्ति को 6.18 लाख रुपये की हानि हुई तथा गैर-सरकारी सम्पत्ति को लगभग 299.33 लाख रुपये की और इस प्रकार कुल 305.51 लाख रुपये की क्षति हुई । सहायता करने की स्वीकृत पद्धति के अनुसार पुनर्वास कार्यों के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों पर 4 करोड़ रु० से अधिक की राशि खर्च की गई ।

Shri Balraj Madhok: Mr. Speaker, Sir, I have recently returned from Khem Karan and have seen all that they have done. These measures have been affected only to urban localities whereas certain permanent benefits, tax benefits etc. should be provided to the people who

live in that agricultural area which is quite fertile for upto the Pakistan boundaries and which should be put under cultivation fully. In this behalf, M/s Escorts have done something worth praising. They have sent some tractors there which are functioning very well. I want to know whether Government have certain scheme so as to provide the affected people with some permanent benefits so that even a single inch of our land upto Pakistan boundaries may not remain uncultivated ?

श्री दा० रा० चह्वाण : अभी एक मास पूर्व ही मैंने केवल खेमकरण का ही नहीं बल्कि सीमान्त का भी दौरा किया था। सदन के सूचनार्थ में कह दूं कि इन लोगों ने पाकिस्तानी सीमा तक एक अन्य भूमि भी खाली नहीं छोड़ी है, सारी ही भूमि पर खेती की गई है। मैंने वास्तव में इसे देखा है। जहां तक विशिष्ट लाभों का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि क्या विशिष्ट लाभ दिये जाने चाहिये।

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, Sir, there are two points on page 1 and page 4 of the statement. An expenditure to the tune of Rs. 89 lakhs has been shown on the first page. I want to know, in this behalf, what has been spent on Khem Karan, Burki and Dera Baba Nanak respectively, since people from one side say that they have not been benefited. People from other side have got the benefit.

My second question is that as they stated that they have sanctioned an ex-gratia grant ; then, how much of that sanctioned grant has so far been distributed. As far as my information goes, that ex-gratia grant has not been fully distributed and that money is lying ; and that is why I asked this question.

श्री दा० रा० चह्वाण : जहां तक अनुग्रहपूर्वक अनुदान के वितरण एवं भुगतान का सम्बन्ध है, मैंने अमृतसर में वहां के पुनर्वास मंत्री से बातचीत की थी तथा इस सम्बन्ध में वस्तुतः 99 प्रतिशत अनुदान परियोजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं। जहां तक पृथक-पृथक व्यय-आंकड़ों का सम्बन्ध है कि कितना बर्की पर खर्च हुआ तथा कितना अन्य क्षेत्रों पर, तो वे पृथक-पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु 4 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि व्यय की जा चुकी है।

Reorganisation of Informal Consultative Committees of Parliament

*1054. **Shri Bal Raj Madhok :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Leaders of Opposition Parties have given some suggestions to Government for the re-organisation of Informal Consultative Committees of Parliament relating to various Ministries, for broadening their scope of activities and for making them more effective ; and

(b) if so, the nature thereof and the decision taken by Government thereon ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Following suggestions were received from Leaders of Opposition for the re-organisation of Informal Consultative Committees attached to various Ministries :—

(i) Reports incorporating the decisions, conclusions, of these Committees should be laid on the Table from time to time ;

(ii) Committees should have non-official members (Congress and Opposition—more or less in equal strength) as Chairmen ; and

(iii) Special arrangements should be made for certain Departments. For Ministries of Defence, Commerce, Industrial Development and Company Affairs and Works Housing and Supply Standing Committees/Parliamentary Committees with powers to summon witnesses/or ask documents when necessary should be constituted.

Keeping these in view certain reforms have already been introduced in the functioning of the Informal Consultative Committees and it is proposed to review their working on completion of one year.

Shri Balraj Madhok : Mr. Speaker, the Hon. Minister has just now stated that the suggestions have not been accepted and that certain reforms have been introduced in the functioning of these committees. So, may I know what those reforms are ?

Dr. Ram Subhag Singh : The reforms, about which the opposition leaders have been told is that if there is a unanimous opinion on certain decision as well as its implementation, and if the Ministry, for certain reasons, is unable to implement it, the Committee will be informed accordingly, or it will be implemented. Secondly, each member will be informed about the action taken.

Shri Balraj Madhok : There are 500 Members in Lok Sabha and 250 in Rajya Sabha. Every matter cannot be discussed in these two Houses of Parliament, in order, therefore, to carry on the business of Parliament properly, and enable the Members to put their suggestions in a right way, it is essential that these Committees should exist, and those were constituted on that very basis. But the existing Committees do not serve any useful purpose .... (**Interruptions**). So, I want to know, what is the objection if it is suggested that these Committees should be converted to Standing Committees, as in the U. S. A. and other countries ? Since the suggestion has not been accepted, the opposition Members are boycotting these committees.

Dr. Ram Subhag Singh : Referring to the U. S. A., it has been said that our Committees should be constituted on the pattern of those of the U. S. A; but we have different system here. The cabinet in U. S. A. is not responsible to the Congress whereas our cabinet is directly responsible to the Lok Sabha .... (**Interruptions**) Both, India and the U.S.A. have different systems. Mr. Speaker, the same point was put before your predecessor Shri Mavlankar and also before Dr. Radhakrishnan ; and they, in this behalf .... (**Interruptions**).

Since you referred to U. S. A., that is why I was telling all this ; and so is this difference. And I have stated about bringing reforms since we ourselves have to endeavour to make them function all along. We do not want to overlook any one.

Shri Balraj Madhok : Hon. Minister has not replied to my second question in which I have stated that the opposition members are boycotting these Informal Consultative Committees and resigning from them.

Dr. Ram Subhag Singh : We have received a few resignations and I do not want to ignore them but I would certainly like to point out that the Committees' meetings have been quite successful .... (**Interruptions**).

An Hon. Member : They have playing a drama for the last 20 years and are very expert in this art.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मंत्री महोदय कृपया सदन में माननीय सदस्यों की जिज्ञासा को समझने का प्रत्यन करें। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं। यह मामला श्री मावलंकर तथा डा० राधाकृष्णन के समय में उठाया गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि इस विषय पर उनके क्या विचार थे ?

डा० राम सुभग सिंह : डा० राधाकृष्णन ने कहा था :

"वर्तमान स्थिति में, स्थाई समिति के बारे में मामला बड़ा कमजोर दिखाई देता है।"

श्री मावलंकर ने कहा था :

"सदन के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी सरकार में, कोई भी मंत्रालय एकाग्रता से प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सकती यदि उसे प्रशासन के मामलों में स्थाई समितियों के माध्यम से सदन के विभिन्न पक्षों से विचार-विमर्श करने को बाध्य होना पड़े।"

श्री रंगा : जिस समय श्री मावलंकर और डा० राधाकृष्णन इस मामले पर विचार कर रहे थे उस समय इस सदन का 90 प्रतिशत भाग एक दल के नियंत्रण में था। स्वतंत्रता से पूर्व ऐसी समितियां हमारे यहां थीं तथा इन सब चीजों पर हम विचार किया करते थे तथा तत्कालीन प्रशासन जो कि आज से अधिक अधिकारी-तांत्रिक था तथा साथ ही साथ उन समितियों के प्रस्ताव भी ग्रहण करता था, के समक्ष कभी बाधा उत्पन्न नहीं हुई। जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा, आज की स्थिति ऐसी है कि वे एक वर्ष परीक्षण समय देना चाहते थे। वह समय ये दे चुके हैं। पिछले वर्ष इन्होंने आरम्भ किया था। पिछले वर्ष से ही पत्र-व्यवहार चल रहा है तथा विपक्षी दल इन समितियों से असहयोग कर रहे हैं। कुछ सदस्यों ने जिनको उस समय विपक्ष के मत का ज्ञान नहीं था, उन समितियों के सदस्य बनने की अपनी इच्छा प्रकट करते थे परन्तु इसके पश्चात् इन्होंने सम्बन्धित मंत्रालयों तथा मेरे माननीय मित्र को सूचित कर दिया कि वे इन समितियों के साथ नहीं बने रहना चाहते।

मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि मेरे माननीय मित्र डा० राम सुभग सिंह हमारे विचारों से असहमत ही होने पर उतारू नहीं हैं, परन्तु अब तो वह एक मंत्री हैं। पहले हम दोनों सचिव हुआ करते थे—मैं कांग्रेस का वरिष्ठ सचिव था तथा वह कनिष्ठ सचिव। कांग्रेस दल में बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। अब तो उनकी अपनी ही अनौपचारिक समितियां हैं जिनमें वे मंत्रियों को ही आमंत्रित करते हैं। मंत्रीगण वहां उपस्थित होने तथा दूसरों के विचार सुनने की कृपा किया करते थे। इसके अतिरिक्त, विपक्ष को सन्तुष्ट करने के लिये ऐसी परामर्शदात्री समितियां भी होती थीं।

इस विचार से तथा क्योंकि उनके द्वारा प्रदत्त एक वर्ष का परीक्षणकाल भी समाप्त हो गया है तथा नया वर्ष आरम्भ हो रहा है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब वे विपक्षी नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से रखे गये सुझावों तथा मांगों को स्वीकार करने का प्रयत्न करेंगे ? हमने अधिक तो कुछ नहीं मांगा है, केवल इतना ही चाहा है कि 5 समितियों में से तीन की अध्यक्षता कांग्रेस करे तथा दो की विपक्ष। पहले भी उन्होंने तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण वित्तीय

समितियों में से एक का अध्यक्ष विपक्षी सदस्य को बना रखा है । जबकि मन्त्रिमंडल के पास इतना एकाधिकार है, तो यह कोई अधिक नियम-विरुद्ध नहीं कि विपक्ष ने यह मांग रखी है; और यह तो हमारा अधिकार है कि हमने लोकतंत्रात्मक विचार से यह मांगा है । अध्यक्ष महोदय यह तो केवल उन विभिन्न मांगों, प्रशासन सम्बन्धी मामलों आदि पर व्यापक रूप से विचार करने के लिये है जिन पर विचार करने के लिये सदन के पास पर्याप्त समय नहीं है । इसीलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपने केवल इन बिचारे मंत्री महोदय बल्कि सारे मंत्रिमंडल पर अपना प्रभाव डालें तथा यह निश्चय करें कि यह मंत्रिमंडल लोकतंत्रात्मक ढंग से व्यवहार करे तथा विपक्षी नेताओं की मांगों को स्वीकार करे ।

डा० रामसुभग सिंह : हमारे लोकतन्त्रात्मक ढंग से न व्यवहार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । हम हर विचार पर ध्यान देते हैं तथा हम उतने ही लोकतंत्रात्मक ढंग से काम करते हैं जितनी की कोई कल्पना कर सकता है । इसीलिये मैं कहता हूं कि हमने लगभग एक वर्ष तक परीक्षण कर लिया है तथा हम विपक्षी नेताओं, बल्कि वस्तुतः सारी संसद् से विचार-विमर्श करना चाहते हैं । महोदय, हम आपका मार्ग-दर्शन भी लेंगे और किसी निर्णय पर पहुंचेंगे ।

Shri Sheo Narain : The proof of the liberal attitude of this Government towards the opposition Parties is that the Chairman of the Public Accounts Committee, which is the highest Committee, belongs to an opposition Party. I would like that the Hon. Minister for Parliamentary Affairs should read the rulings in this connection given by the first Speaker of Lok-Sabha Late Shri Mavalankar.

Dr. Ram Subhag Singh : Sir, I read the first sentence of that ruling of Late Shri Mavalankar in reply to the question just asked.

The second sentence of that is as :

> "The Ministry comes with a definite policy and it is being accepted by the majority of the House. It will not lead to smooth working to have heterogeneous committees, even though they may be advisory, which have to be consulted on almost every matter or act of administration."

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इसका वित्तीय समितियों से कोई सम्बन्ध नहीं है । हमारा सम्बन्ध सभा के अधिकारों तथा सभा के सदस्यों के अधिकारों से है । यह कांग्रेस और विरोधी दलों के बीच का मामला नहीं है, जहां तक अनौपचारिक सलाहकार समितियों का सम्बन्ध है, हम अपने पिछले वर्ष के ही नहीं बल्कि पिछले सारे वर्ष के अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये समितियां प्रायः अनुपयोगी हैं और इनसे कोई मतलब हल नहीं होता । इसलिये, यदि संसद् को समितियों के द्वारा कार्य करना है तो हमारा यह सुझाव है कि मंत्रालय के कार्यकलाप की छानबीन के लिये सदस्यों की एक अधिक अच्छी और सक्रिय संस्था होनी चाहिये । इस प्रयोजन के लिये केवल चार मंत्रालयों के लिये स्थायी समितियों का सुझाव दिया गया था, ऐसी बात नहीं है कि हमने सारे मंत्रालयों के लिये स्थायी समितियां चाही थीं । प्रथमतः हमने चार मंत्रालयों के लिये स्थायी समितियों का सुझाव दिया था और अन्य मंत्रालयों के लिये हमें

अनौपचारिक सलाहकार समितियां नहीं बल्कि सलाहकार समितियों की किस्म की संसदीय समितियां अपेक्षित थीं, मैं जानना चाहता हूं किस कारण से सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। कांग्रेसी सदस्यों को यह नहीं सोचना चाहिये कि केवल विरोधी दल के सदस्य ही इसके लिये दलील पेश कर रहे हैं, यह सभा के सभी सदस्यों के लिये है कि इस प्रकार संगठित रहें, क्या मंत्री महोदय को ऐसा अनुभव नहीं है ? विरोधी दलों के सभी सदस्यों ने इन समितियों का वहिष्कार किया है और इसलिये ये केवल कांग्रेस समितियां मात्र हैं जो अनौपचारिक सलाहकार समितियों के नाम से जानी जाती हैं। कभी-कभी मंत्री महोदय कहते हैं कि सलाहकार समितियों ने यह परामर्श दिया है, हमें इसे एक साथ समाप्त कर देना चाहिये।

डा० रामसुभग सिंह : वास्तव में इस विषय पर कांग्रेस तथा विरोधी दलों में मतभेद का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि हम सब एक कारगर ढंग से कार्य करना चाहते हैं। ये समितियां जो कि 1954 में बनी थीं और तब से कार्य कर रही हैं। इनके विषय में यह कहना कि ये अनुपयोगी रही हैं सच नहीं है क्योंकि इन्होंने काफी योगदान दिया है।

जहां तक चार मंत्रालयों के सम्बन्ध में चार संसदीय समितियों के गठन का प्रश्न है हमने सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श लिया था और हमने यू० के० में जैसी पद्धति है उसका अनुसरण करने की कोशिश भी की थी और जैसा कि सभा को विदित भी है अब तक संसदीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सका है लेकिन हम हमेशा प्रस्तुत हैं और हम इन नेताओं से परामर्श करने वाले हैं। मेरे माननीय मित्र श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी भी उन नेताओं में से एक हैं, हम उनसे शीघ्र ही परामर्श करेंगे।

श्री विश्वनाथन : मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा जान पड़ता है कि वे कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके सामने कानूनी और संवैधानिक कठिनाइयां हैं... (**व्यवधान**) मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि आस्ट्रेलिया में, जहां कि हमारे यहां की जैसी सरकार है, संसदीय समिति को इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह यहां तक कि राजदूतों को भी गवाह के रूप में बुला सकती है। मंत्री महोदय विरोधी दलों की विनती को शान से और बिना हिचकिचाये क्यों स्वीकार नहीं कर लेते ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं आस्ट्रेलिया की पद्धति के अनुकरण की बात को एकदम कैसे स्वीकार कर सकता हूं ? इसे सम्पूर्ण सभा तथा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के सम्मुख रखना होगा। क्योंकि इस पद्धति का निर्णय विधान सभा ने किया था और बाद में लोक सभा तथा राज्य सभा की सहमति से इसे व्यवहारिक रूप दिया गया था, इसलिए इसके लिए फिर वैसा ही करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मधु लिमये।

श्री वेदव्रत बरुआ खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : यह विरोधी पक्ष की मांग है। माननीय सदस्य क्यों उठ रहे हैं और सभा का समय क्यों नष्ट करना चाहते हैं ? मुझे उनको बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मंत्री महोदय स्वयं की रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम हैं।

Shri Madhu Limaye : Three-four days before after a 6 or 7 hours debate we sanctioned Rs. 1,015 crores for Defence purposes. Whole country is laughing at us and our voters are asking that is it the way how we keep control that after a debate of only six hours we sanctioned an amount above Rs. 1,000 crore. I would like to say to the Hon. Minister that if they are not prepared to accept the demand raised by all the opposition parties then we should together reach the public and ask for their decision. He should resign and fight election on this issue and ask for the public opinion.

अध्यक्ष महोदय : यह अवसर इसके लिए नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : It is all right if public votes in favour of Dr. Ram Subhag Singh but if he is defeated then he should accept the demand of the Standing Committees and should work for the survival of democracy.

Dr. Ram Subhag Singh : I am ready for it but Shri Madhu Limaye should get it accepted from the leaders of other opposition parties that this is such an important matter that his resignation is necessary.

Shri Madhu Limaye : One should not make a fun of it.

Dr. Ram Subhag Singh : His brain is so fertile that he is worried about trifles and he does not understand important things.

अध्यक्ष महोदय : विरोधी दलों के सभी सदस्य इस विषय पर सहमत हैं, उनमें मतभेद नहीं है । इस विषय पर वे सब एक ग्रुप से लेकर आखिरी ग्रुप तक एक हैं ।

श्री नाथपाई : वैसे ही आप भी ।

अध्यक्ष महोदय : वे इसके लिए पिछले एक वर्ष से कह रहे हैं । वास्तव में सरकार को इस पर विचार करना है, मंत्री महोदय ने यह स्वीकार कर लिया है कि वे पुनः विरोधी दलों के सदस्यों से परामर्श करेंगे । जरा और देख लीजिए और देखिये कि हम कुछ ऐसा करने में सफल होते हैं ।

Shri Madhu Limaye : You defend Lok Sabha and democracy with strength.

Shri Rabi Ray : Constitute Parliamentary Committees.

अध्यक्ष महोदय : मैं सदा सहायता करने के लिए तैयार हूं ।

Shri Madhu Limaye : Put pressure over them.

श्री कण्डप्पन : इस विषय पर आपको हमारी सहायता करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है ...।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं बोलने के लिए बार-बार उठा लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई, यह प्रश्न जो पूछा गया है संसद सदस्यों से सम्बन्धित है । हाल ही में शिमला में जो मुख्य सचेतकों का सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस अथवा विरोधी पक्ष में इस बात पर विचारों की एकमतता थी कि ऐसी अनौपचारिक सलाहकार समितियों को समाप्त किया जाय और इनके स्थान पर स्थायी समितियां होनी चाहिए । उस सम्मेलन का सभापतित्व स्वयं मंत्री महोदय ने किया था, मैं उपचुनावों के पक्ष में नहीं हूं और इस विषय पर तत्काल ही उप-चुनाव कराना

नहीं चाहता हूं । लेकिन मैं इतना अवश्य बता दूं कि मुख्य सचेतकों के सम्मेलन में हुए ऐसे एकमत निर्णय का उलंघन किया गया तो भविष्य में हम ऐसे सम्मेलनों में उपस्थित होने से पहले हजार बार सोच लेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : यह सच नहीं है क्योंकि मुख्य सचेतकों के सम्मेलन में ऐसा निर्णय नहीं हुआ था कि सलाहकार समितियों का उन्मूलन कर दिया जाए ।

श्री स० मो० बनर्जी : अनौपचारिक रूप से यह कहा गया था ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं उस सिफारिश को पढ़ रहा हूं जो इस प्रकार थी :

"यह सम्मेलन केन्द्र स्थित अनौपचारिक सलाहकार समितियों में उनके और अधिक कारगर ढंग से कार्य करने के लिए उनमें किए गए परिवर्तनों की सराहना करते हुए यह सिफारिश करता है कि ऐसी ही समितियां सभी राज्यों तथा संघ राज्यों में भी स्थापित की जांय..." । इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य ने यह प्रभाव कहां से ग्रहण किया ?

श्री स० मो० बनर्जी : उन्हें सारी बातें पढ़ने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न को लेने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा । कल मैंने कहा था कि श्री समर गुह और शिक्षा मंत्री किसी बात पर सहमत हुए थे, मैंने गलत नहीं कहा था, मैं चाहता हूं कि मंत्री तथा माननीय सदस्यों के बीच सहमति होनी चाहिए । यदि इस प्रकार की सहमति उनमें हो तो मेरा कार्य सरल हो जाएगा । इसलिए यह कोई गलत बात नहीं है, यदि कोई अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है और उसका उत्तर देने के लिए मंत्री महोदय राजी हो जाते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी । यह कोई गलत बात नहीं है । आज भी, श्री समर गुह के नाम से एक अल्प सूचना प्रश्न है । वह इसे अब पूछ सकते हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

जादवपुर विश्वविद्यालय में 'घेराव'

अ०सू०प्र०संख्या 17. श्री समर गुह : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जादवपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, रजिस्ट्रार तथा 50 अध्यापकों का विद्यार्थियों ने हाल ही में पूरे एक दिन और एक रात से अधिक समय तक घेराव किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) विशेषकर उक्त विश्वविद्यालय के तथा सामान्यतः अन्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का सम्मान, प्रतिष्ठा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में छात्र अनुशासन की समस्याओं को हल करने के लिये अध्यापकों तथा छात्रों के सम्बन्धों में सुधार करने की सरकार की कोई योजना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) यादवपुर विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के कुलपति, कुछ अध्यापकों और शासी निकाय के सदस्यों का 19 मार्च की रात के 11-30 बजे तक 'घेराव' किया। 20 मार्च, 1968 को फिर, कुलपति तथा 46 अध्यापकों, अधिकारियों और कार्यालय के कर्मचारियों को उसी दिन शाम के 5-30 बजे से अगले दिन के शाम के तीन बजे तक समिति कक्ष तक ही सीमित रखा गया।

(ख) इंजीनियरी और टेक्नोलोजी संकाय के विद्यार्थियों की मांग थी कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 10 अप्रैल से 29 अप्रैल, 1968 तक स्थगित कर दी जांए।

(ग) मामला मुख्यतः राज्य सरकारों से संबंधित है।

(घ) शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, समान समस्याओं और कठिनाइयों पर विचार-विमर्श करने के लिए विद्यार्थियों और कर्मचारियों की संयुक्त समितियां स्थापित करने की सिफारिश की है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि विद्यार्थियों में असंतोष पैदा करने वाली शैक्षिक कमियों को दूर करने के लिए तथा अनुशासनहीनता के कार्यों को रोकने के लिए पर्याप्त परामर्शदात्री तथा प्रशासनिक मशीनरी स्थापित करने के प्रयत्न किए जाएं। शिक्षा आयोग की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के पास विचारार्थ और जहां तक संभव हो सके उस हद तक उन्हें कार्यान्वित करने के लिए भेज दी गई हैं।

श्री समर गुह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थियों द्वारा की गयी हड़तालों, प्रदर्शनों, घेरावों तथा उनके अपनी शिकायतों को अभिव्यक्त करने के अन्य तरीकों द्वारा हमारे देश का शैक्षिक जीवन बर्बाद हो रहा है और इससे हमारी शैक्षिक संस्थाओं की प्रगति, शान्ति, और प्रतिष्ठा में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा शिक्षा आयोग की सिफारिश को भी ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संस्थाओं के अन्दर पालन करने के लिए एक अनुशासन एवं आचार संहिता तैयार करने के लिए तथा उनके लिए एक प्रतिष्ठा-न्यायालय बनाने हेतु इस आचार संहिता को कार्यान्वित करने के लिए भारत के सम्पूर्ण विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय स्तर की बड़ी सभा जुटायेंगे जिससे कि वे इस आचार संहिता को लागू करने के उत्तरदायित्व को स्वयं सम्भाल सकें जिसके लिए वे सहमत होंगे ?

डा० त्रिगुण सेन : इस प्रकार की सभा जुटाने का हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में ऐसी सभाएं अधिकतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जाती हैं। लेकिन हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री समर गुह : इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि यादवपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति द्वारा शिक्षा मंत्री को तार भेजा गया था और पश्चिमी बंगाल के स्कूलों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की ओर से हाल ही में वहां के शिक्षा संस्थाओं में हुए पुलिस की क्रूरताओं को बताने के लिए विशेषकर उत्तरपारा महाविद्यालय के 26 प्रोफेसरों में से 18 के साथ हुए पुलिस के अत्याचारों को बताने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री तथा शिक्षा

मंत्री के पास आया था, क्या मंत्री महोदय हमें पुलिस द्वारा शिक्षा संस्थाओं की पवित्रता के भंग किए जाने पर मंत्रालय में जो प्रतिक्रिया हुई उससे अवगत करायेंगे और क्या उनके पास इन शिक्षा संस्थानों की पवित्रता को बनाये रखने के लिए कोई योजना है ?

डा० त्रिगुण सेन : शिक्षा मंत्रालय के विचार जो हमने सभी संस्थाओं को भेज दिए हैं इस प्रकार हैं :

"हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि संस्थाओं में शान्ति बनाये रखने का उत्तरदायित्व एक पक्षीय नहीं है। यह विद्यार्थियों, माता-पिताओं, अध्यापकों, सरकार तथा राजनीतिक दलों आदि का संयुक्त उत्तरदायित्व है। प्रत्येक संस्था को कार्य करने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयत्न करने चाहिए और विद्यार्थियों की वैध व्यथाओं को दूर करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। विशेषकर संस्था के प्रधान को सहानुभूतिपूर्ण और ज्ञानवान होना चाहिए। इसके साथ-साथ उसे परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार दृढ़ भी होना चाहिए। जो विद्यार्थी संस्था की शांति में खलल डालते हैं और आचार संहिता का पालन नहीं करते उनको उन संस्थाओं में स्थान नहीं देना चाहिए जहां युवकों को जीवन की एक अनुशासित पद्धति पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता कि एक शिक्षित व्यक्ति पर जिसे समाज के खातिर अन्यों की अपेक्षा अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त है भिन्न कानून लागू किया जाय। यह बात विद्यार्थियों के मस्तिष्क में बैठा देनी चाहिए कि संस्था के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व सम्बन्धी कुछ निश्चित क्षेत्र है जिनमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता उदाहरणार्थ अध्ययन का पाठ्यक्रम, परीक्षाएं, शैक्षिक स्तर, अध्यापकों की नियुक्ति आदि।"

श्री समर गुह : यादवपुर विश्वविद्यालय के, जिसके कि मंत्री महोदय उपकुलपति भी रह चुके हैं पुलिस द्वारा पवित्रता को भंग किए जाने तथा पश्चिमी बंगाल के कई शिक्षा संस्थाओं में भी ऐसी ही घटनाओं के घटित होने से सम्बन्धित मेरा जो विशिष्ट प्रश्न था उसका उत्तर नहीं दिया गया है। पुलिस के छापों तथा हिंसात्मक कार्यों से शिक्षा संस्थाओं को बचाने के लिए तथा उनकी पावनता को बनाये रखने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

डा० त्रिगुण सेन : पुलिस के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण ऐसा है कि जब किसी शिक्षा संस्था के क्षेत्र के अन्दर खतरनाक स्थिति का मुकाबला करने के लिये पुलिस का हस्तक्षेप आवश्यक हो तो पुलिस को बुलाने का तथा उसे वापिस भेजने का काम समान्य रूप से शैक्षिक प्राधिकारियों के हाथ में होना चाहिए.........

श्री मधु लिमये : सामान्य रूप से क्यों ?

डा० त्रिगुण सेन : जो कि स्थिति की गम्भीरता को सबसे अधिक अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, निश्चय रूप से अध्यापक लोग।

श्री समर गुह : पुलिस की सहायता के लिए न यादवपुर विश्वविद्यालय के शैक्षिक प्राधिकारियों ने कहा और न ही उत्तरपारा महाविद्यालय के।

श्री रा० कृ० सिंह : विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की समस्या केवल एक ही समस्या है। दूसरी समस्या जिसे सहानुभूतिपूर्वक हल करना है वह है देश के विद्यार्थी-समुदाय की समस्या। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि सारे देश में विद्यार्थियों तथा युवकों द्वारा आन्दोलन हुए हैं। जहां विद्यार्थियों का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रकट होता है वहां मंत्रालय विद्यार्थियों का राष्ट्रीय संघ (यूनियन) स्थापित करने में सहायता क्यों नहीं करती और उन्हें जीवन का एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने में सहायता क्यों नहीं करती जिससे कि हमें भी लाभ हो? जब उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता तो दूसरे दल तथा अभिकरण और कभी-कभी राष्ट्र-विरोधी शक्तियां भी मौके से फायदा उठा लेती हैं। इससे सम्पंत्ति, अनुशासन, आवरण आदि की हानि होती है। इस विषय में मंत्री महोदय का क्या मत है?

डा० त्रिगुण सेन : समाज के नेताओं, संस्थाओं के प्रधानों तथा अध्यापक वर्ग को चाहिए कि वे विद्यार्थियों का मार्ग-दर्शन करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यादवपुर विश्वविद्यालय में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी अर्थात् उप-कुलपति तथा अन्य अध्यापकों का जो घेराव किया गया था, उसका कारण यह था कि विद्यार्थी चाहते थे कि परीक्षा की तारीख स्थगित हो जाए। मंत्री महोदय निश्चित रूप से इस बात से अवगत हैं कि देश के विभिन्न भागों में विद्यार्थियों द्वारा अधिक संख्या में जो गड़बड़ी फैलायी जा रही है उनका कारण इसी प्रकार की व्यथाएं हैं जिनका सम्बन्ध विशेषकर परीक्षाओं, प्रश्न-पत्र बनाने से सम्बन्धित आरोपों, स्वयं प्रश्नों, निरीक्षकों, पेपरों में अंक देने की प्रणाली आदि से है, इनमें से कुछ शिकायतों पर व्यथाएं अकारण हो सकती हैं लेकिन कुछ का आधार वैध हो सकता है। विशेषरूप से परीक्षाओं से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में, जांच करने के लिए, और अधिक अच्छी तरह इसका अध्ययन करने के लिए तथा यह देखने के लिए कि क्या इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ किया जा सकता है, क्या सरकार अथवा मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव है?

डा० त्रिगुण सेन : हमने कई मामलों का अध्ययन किया है, जैसा मैंने बताया हमने सभी संस्थाओं को अपनी राय बता दी है और उनसे उसी के अनुसार कार्य करने के लिए कहा है। मैं नहीं सोचता कि विद्यार्थियों की यह शिकायत वैध है कि परीक्षाओं की तारीख को स्थगित कर दिया जाय। मैं उनसे हमेशा टेलीफोन से सम्बन्ध स्थापित किए हुए था। हमेशा ही ऐसे कुछ विद्यार्थी होते हैं जो नहीं पढ़ते और परीक्षा की तिथि को स्थगित करवाना चाहते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सभी अध्यापकों का यह मत था कि विद्यार्थियों की मांगें न्यायसंगत नहीं थीं। वे सब एक मत थे। अधिकांश विद्यार्थी भी इसी मत के थे। यदि अध्यापक कुछ घंटे और कमरों में रहते तो घेराव अपने आप समाप्त हो गया होता। पुलिस को बुलाना आवश्यक न था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने क्या उत्तर दिया है? मैंने यह नहीं कहा था कि उनकी शिकायत वैध थी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया कि उन्होंने इसका अध्ययन किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने परीक्षाओं, प्रश्न-पत्र बनाने आदि के सम्पूर्ण ढंग और प्रक्रिया के बारे में पूछा है, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया । जो कुछ उन्होंने कहा वह यह है कि उन्होंने शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रत्येक को डाक-घर की भांति भेज दी है ।

श्री दी० चं० शर्मा : एक बुरा उदाहरण अच्छे उदाहरण की अपेक्षा अधिक संक्रामक होता है । घेराव का यह बुरा उदाहरण उस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसके कि हमारे शिक्षा मंत्री उप-कुलपति रह चुके हैं । 'घेराव' जो कि कारखानों में अपनाया गया और जिससे काफी क्षति हुई, कहीं अन्य विश्वविद्यालयों में न फैल जाय, इसके लिए मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं ?

डा० त्रिगुण सेन : मेरा यह अनुभव है कि घेराव तभी होता है जब कि अध्यापक वर्ग में राजनीतिक दलबन्दी होती है और जब उनमें मत-भेद होता है, इस स्थिति से राजनीतिक दल भी फायदा उठाते हैं ।

श्री हेम बरुआ : घेराव दमन का एक नया साधन है जो कि मालिक-मजदूर-सम्बन्ध के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, अब यह वहां से शिक्षा संस्थाओं में आ गया है । यह हमारे शैक्षिक जीवन में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर देने वाली चीज है । इस सन्दर्भ में, शिक्षा संस्थाओं को शिक्षा आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां अच्छे डाक-घर की भांति भेजने के अतिरिक्त...

श्री उमानाथ : बुरे डाक-घर की भांति,

श्री हेम बरुआ : अथवा बुरे डाक-घर की भांति भेजने के अतिरिक्त, क्या सरकार ने पता लगाया कि क्या घेराव की प्रत्याशा में शिक्षा आयोग ने कुछ सिफारिशें कीं ? क्या सरकार ने हमारी शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच अनुशासन और सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को सुनिश्चित करने के लिए कोई सुझाव भी तैयार किए हैं ?

डा० त्रिगुण सेन : कई विश्वविद्यालयों में समस्याओं के समाधान के लिए अध्यापकों और विद्यार्थियों की संयुक्त परिषदें हैं । ऐसे मामलों में कोई कठिनाई नहीं होगी । लेकिन कुछ राज्यों में जहां दुर्भाग्यवश 'घेराव' का आविष्कार हो गया है वहां शिक्षा संस्थाओं का वातावरण कुछ दूषित हो गया है । जिन विश्वविद्यालयों में दिन-प्रति-दिन की समस्याओं को हल करने के लिए जिससे कि कोई गलतफहमी न हो अध्यापकों और विद्यार्थियों की संयुक्त समितियां हैं वहां विद्यार्थी-अशान्ति की कोई समस्या नहीं है । ये समितियां अच्छा कार्य कर रही हैं ।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

डा० त्रिगुण सेन : मैंने उत्तर दे दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह अच्छा-डाक घर है अथवा बुरा डाक-घर ?

श्री हेम बरुआ : एक अच्छे डाक-घर अथवा बुरे डाक-घर की भांति कार्य करने की बजाय क्या उन्होंने अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच अनुशासन और अच्छे सम्बन्धों को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं कुछ नीतियां तैयार की हैं ।

डा० त्रिगुण सेन : जी हां, मैंने व्यवहारिक रूप से ऐसा किया है और उप-कुलपतियों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श किया है।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि कई घण्टों तक अन्दर ही सीमित (बन्द) रहने के बाद उप-कुलपति, रजिस्ट्रार तथा स्टाफ के अन्य सदस्यों ने अन्ततोगत्वा यह निर्णय किया कि घेरे को तोड़ कर निकल चलें लेकिन उस प्रयास में विद्यार्थियों द्वारा उन पर हाथा पाई की गई और उन्हें चोटें आईं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि समाचार-पत्रों में जो प्रकाशित हुआ है क्या यह सच है ?

डा० त्रिगुण सेन : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह सच नहीं है, लगभग 2 बजे सारे अध्यापक एकत्र हुए और उन्होंने उप-कुलपति तथा अध्यापकों का समर्थन करने का निर्णय किया। सामान्य रूप से ऐसा कई संस्थाओं में नहीं होता।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : इसका खंडन न शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है और न ही उप-कुलपति द्वारा।

डा० त्रिगुण सेन : समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित होता है उस सबका विरोध या खंडन कैसे हो सकता है...... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि यह सच नहीं है।

Shri Rabi Ray: May I know whether a delegation of College Teacher's Association of West Bengal met the Hon. Minister some months ago and whether that delegation discussed, particularly about the illegitimate entry of police into the educational institutions in West Bengal and the indiscipline among the students? I also want to know whether those professors gave promise that they are prepared to fulfil their responsibility in this respect; that they will make more close relations with the students; that they will bring out a solution by understanding their demands and discussing this matter with them and that they will give full co-operation in abolishing indiscipline among students, but they should get proper rights and representation in the management of institutions? Whether the Hon. Minister will tell what discussion took place in this respect and what is his reaction in respect of these suggestions?

डा० त्रिगुण सेन : जी, हां, मैंने प्रतिनिधिमंडल के उन सदस्यों से बातचीत की थी जो बंगाल से आये थे और यह बड़ी अच्छी बात है। शायद पहली बार कालिजों के अध्यापकों के संघ ने विद्यार्थियों की इन गतिविधियों की निन्दा की है और वे इस परामर्शदात्री समिति को लेकर आगे आये और मैंने भी इसका अनुमोदन किया। I have congratulated them also, यदि वे विद्यार्थियों और अध्यापकों में इस सम्बन्ध को स्थापित करते हैं तो मुझे विश्वास है कि घेराव का यह साधन जिसका आप लोगों ने आविष्कार कर रखा है शिक्षा संस्थाओं में इसके विषय में कुछ भी नहीं सुनाई पड़ेगा।

Shri Tulsidas Jadhav: Unrest is created among the students of High Schools and Colleges by not attending to their demands with the result they resort to Gherao etc. I would

like to know whether Government have prepared any strong programme under which the legitimate demands of the students may be attended by the school, college and university officials; they should be made to understand officially or non-officially and such an atmosphere is created so that they may be able to absorb themselves in their studies and practices?

Dr. Triguna Sen: Yes, Sir. We have done.

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय वहां क्यों बैठे हैं ? यह उनकी सीट नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : सभा के स्थगित होने के बाद आप उनसे पूछ सकते हैं......(**व्यवधान**)

Shri Mohammad Ismail: The case regarding the illegitimate intervention by police in educational institutions is an old one and in this very connection some teachers and professors of Bengal came to put this important issue before the Minister. I would like to know whether the Hon. Minister wants to solve this problem by conducting an enquiry through a committee into the police intervention in different educational institutions?

डा० त्रिगुण सेन : यह बहुत अच्छा सुझाव है ।

श्री मनुभाई पटेल : मंत्री महोदय का कहना है कि विद्यार्थियों, माता-पिताओं, अध्यापकों तथा राजनीतिक दलों के सहयोग से इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके प्रतिकूल वास्तव में ये राजनीतिक दल हैं जो विद्यार्थी संघों (यूनियनों) के शोषण करने के प्रयत्न करते हैं। क्या शिक्षा मंत्री महोदय एक योजना तैयार करेंगे और उन राजनीतिक दलों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाएंगे जो विश्वविद्यालयों में व्यापार संघवार लाते हैं...... (**व्यवधान**)

श्री उमानाथ : मद्रास में श्री कामराज ऐसा कर रहे हैं ।

डा० त्रिगुण सेन : मैं नहीं सोचता कि मुझे वह सौभाग्य प्राप्त होगा जब कि राजनीतिक दल मेरे आदेश पर ध्यान देंगे ।

श्री अ० कु० किस्कु : एक शिक्षा संस्था में 'घेराव' का आना बड़ी गम्भीर बात है। इससे संस्था के आचार पर आघात पहुंचता है। मंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने उप-कुलपतियों से परामर्श किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे उप-कुलपतियों तथा राजनीतिक नेताओं की एक सभा करना चाहेंगे जिससे कि शिक्षा संस्थाओं में 'घेराव' को स्थायी रूप से बन्द करने के सम्बन्ध में कोई रास्ता निकल सके ?

डा० त्रिगुण सेन : कुछ समय के लिये वे पश्चिमी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे यह उनका सुझाव था और मैंने उन्हें कहा कि वे विरोधी पक्ष के सदस्यों से मिल सकते हैं और एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं। मैं उनके अनुभव की प्रतीक्षा कर रहा हूं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : घेराव विद्यार्थियों में नैराश्य और आर्थिक अस्थायित्व का लक्षण है। क्या मंत्री महोदय तत्काल युवकों की एक संस्था या निदेशालय बनाने के लिये तैयार हैं जिसमें अनुन्मत्त और सन्तुलित लोगों का एक अनुभाग नई पीढ़ियों की शक्तियों को मिलाने के लिये तथा सरकार और युवकों को रचनात्मक आधार पर एक साथ लाने के लिए तैयार होगा ?

डा० त्रिगुण सेन : हमने युवक-कल्याण के लिये निदेशकों की नियुक्ति के लिये विश्वविद्यालयों को कहा है और कई विश्वविद्यालयों ने ऐसा किया भी है। वे स्थिति में सुधार लाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। कई संस्थाओं में हम देखते हैं कि विद्यार्थियों का जो अनुन्मत्त अनुभाग है जिनकी संख्या भी सबसे अधिक है वे प्रसिद्ध होने का, (महत्व प्राप्त करने का) प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Molahu Prasad : The indiscipline which spreads among the students has some special reasons. Students appear in the examinations after full one year's study in the schools. A confidential circular is issued by the Director of the Board of Education that 30 or 40 per cent of students should be declared successful. If actually 60 per cent of the students pass the examination but according to circular only 30 per cent are passed then the remaining 30 per cent are put to great injustice. This is how indiscipline is created. I would like to know what is the reaction of the Hon. Minister in this respect and whether he will take suitable steps in this respect?

डा० त्रिगुण सेन : यदि ऐसा कहीं हुआ है तो यह बड़ी बुरी बात है। यदि माननीय सदस्य मुझे जानकारी देंगे तो मैं अवश्य यथासम्भव करने के लिये तैयार हूं। यह पूर्णतः गलत है।

श्री वेदब्रत बरुआ : जब कि विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिये राजनीतिज्ञ भी उत्तरदायी हैं, क्या मंत्री महोदय विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता पर अकादमी राजनीति के प्रभाव का मूल्यांकन करके बतायेंगे।

डा० त्रिगुण सेन : अकादमी राजनीति ?

श्री वेदब्रत बरुआ : जी हां, मेरा तात्पर्य विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध कारिणी परिषद् सभा आदि जैसी शासी निकायों से है।

डा० त्रिगुण सेन : वे बड़ा भारी पार्ट अदा करते हैं, आप इस बात को अधिक अच्छी तरह जानते हैं।

Shri Bhogendra Jha : The Hon. Minister has stated that there was no necessity of calling police in this matter and most of the students had not joined in the 'Gherao'. Keeping this in view that if any peaceful 'Gherao' takes place somewhere and most of the students and teachers do not take part in it then there is no necessity of police intervention. It is the view of the Hon. Minister that generally police should not enter into the educational campus so long there is no request from the education authorities. But it is very difficult for the police to decide in respect of "Generally'. In these circumstances whether the Government will issue instructions that without a request from the principal, headmaster or superintendent the police will not enter into an educational institution? If Government is not ready for it then whether the Government is prepared to make such a law that if police enters into an educational institution in special circumstances then will they have necessarily to speak for why they entered into the educational campus without a request from the educational authorities?

डा० त्रिगुण सेन : मेरा दृष्किोण बिल्कुल स्पष्ट है। शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन बनाये रखने का उत्तरदायित्व संस्थाओं के प्रधानों तथा अध्यापकों का है। उन्हें शिक्षा संस्थाओं में ही

अनुशासनहीनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और पुलिस की सहायता नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन अगर स्थिति बहुत ही भयानक हो तो पुलिस को बुलाने के सम्बन्ध में संस्थाओं के प्रधान ही निर्णय कर सकते हैं।

Shri Bhogendra Jha: I have asked whether the Government are prepared to make any law in the case when police enters into an institution without a request from the authorities.

श्री बलराज मधोक : दो प्रकार की समस्याएं हैं—एक विद्यार्थियों के कल्याण और सुविधाओं से सम्बन्धित है और दूसरी शैक्षिक। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि शिक्षा सम्बन्धी मामलों को सीधे हल करने की बजाय हमारे शिक्षा संस्थाओं के प्रशासक इन समस्याओं के सम्बन्ध में नौकरशाही रुख अपनाते हैं जो कि विद्यार्थियों के कल्याण और सुविधाओं से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार का यह नौकरशाही रुख और उप-कुलपतियों, प्रिंसिपलों तथा विद्यार्थियों के बीच समीप के सम्बन्ध का अभाव उप-कुलपतियों, प्रिंसिपलों द्वारा अपने आपको हाकिम (बास) समझना, विद्यार्थियों के साथ सीधा-सम्पर्क स्थापित न करना आदि विद्यार्थियों में घोर अनुशासनहीनता के वास्तविक कारण हैं ? क्या यह सच नहीं है कि यहां तक कि प्राचीन समय में, नालन्दा विश्वविद्यालय में प्रशासकीय मामले विद्यार्थियों पर छोड़े हुए थे और आचार्य केवल शैक्षिक नियंत्रण रखते थे ? क्या यह पद्धति अब हमारे यहां भी अपनाई जायेगी और विश्वविद्यालयों के प्रशासकों को यह कहा जायेगा कि वे केवल शैक्षिक मामलों से सम्बन्ध रखेंगे और उन सारे मामलों को जो विद्यार्थियों के कल्याण तथा उनकी सुविधाओं से सम्बन्धित हैं वे उनके संबंध में विद्यार्थियों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार करेंगे ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं श्री मधोक के बातों से सहमत हूं। जहां कहीं गड़बड़ी होती है मैं हमेशा कहता हूं कि प्रशासन में कहीं कमी है, इस बात को हम सब जानते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम आपकी तरह लोगों से यह कहें कि प्रशासन को इस तरह कार्य करना चाहिए और आप लोगों की विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए ? बड़ों के तथा प्रशासकों के प्रति भाषण देने का कोई फायदा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब पेपर सभा-पटल पर रखे जाएं, श्री हाथी।

Shri Madhu Limaye: I had to request something regarding short notice question, I am not asking question......

अध्यक्ष महोदय : अब समय नहीं है, मैं अब दूसरे मद पर आ गया हूं।

Shri Madhu Limaye: I had to request about short notice question.

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नलकूप लगाना और कुएं खोदना

*1049. **श्री गं०च० दीक्षित** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पीने के लिये तथा खेती के लिये पानी की व्यवस्था

करने के हेतु मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में 1960 से 1967 तक प्रति वर्ष नलकूप लगाने और कुएं खोदने के लिये एक योजना क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र से कितनी सहायता मांगी है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). 1966-67 से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक पीने के पानी के लिये 2500 कूपों (कूप और नलकूप) को इतने ही गांवों में खोदने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आदिम जाति विकास खण्ड निधि के 180 लाख रुपये इस काम के लिए उपयोग में लाने के लिए भारत सरकार से अनुमोदन मांगा। प्रस्ताव मान लिया गया।

जहां तक कृषि के लिए नलकूपों के निर्माण का संबंध है राज्य सरकार ने अगले कुछ वर्षों में सिंचाई के लिए 7000 नलकूप खोदने के लिए 1967-68 में एक प्रस्ताव बनाया।

इस योजना के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण कृषकों की ओर से राज्य सरकार करेगी और जो राशि इस पर खर्च होगी उसे कृषि ऋण समझा जायेगा और इसे भूमि-बन्धक बैंकों द्वारा दिया जायेगा। कृषि-पुनर्वित्त निगम की सहायता से सघन क्षेत्रों में नलकूपों के निर्माण के कार्य को करने के लिए राज्य सरकार सहमत हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 7000 नलकूपों की इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपयों की आवश्यकता बताई। ऐसा प्रस्ताव है कि इस राशि को भूमि बन्धक बैंकों अथवा कृषि-पुनर्वित्त निगम के द्वारा दिया जायेगा। मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार की सहायता की दो विषयों में आवश्यकता पड़ी :

(क) भूमिगत जल सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के लिए ; और

(ख) निष्फल नलकूपों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रस्तावित अनुदान में सहयोग देने के विषय में यह निर्णय लिया गया है कि 1968-69 के दौरान भारत सरकार का परीक्षात्मक नलकूप संघ राज्य में परीक्षात्मक कार्य करेगा। इस काम के लिए तीन ड्रिलिंग रिग प्रयोग में लाने का प्रस्ताव है। मोरेना और भिंड जिलों में भूमिगत जल के विकास के लिए, राज्य को सघन क्षेत्र योजनाओं के बनाने में मदद करने के लिए परीक्षात्मक नलकूप संघ का एक दल पहले ही राज्य का दौरा लगा चुका है। यह योजना अभी बन रही है। इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम काम अपने आप करने के लिए भारत सरकार से 50% अनुदान प्राप्तकर राज्य विभाग में ही एक भूमिगत जल अन्वेषण सैल स्थापित करने में सहमति हो गयी है। निष्फल नलकूपों के लिए अनुदान के सम्बन्ध में सहभागी होने के प्रस्ताव पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

Trade Unions

*1055. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Shri Gopal Saboo :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of trade unions which Government have recognised on an All-India basis ; and

(b) the conditions laid down by Government for giving recognition?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) There is no provision for the recognition of trade unions by the Government of India. If the question relates to Central Labour Organisations recognised by the Government of India, the number of such organisations is 4.

(b) The following criteria, as recommended by the Indian Labour Conference in July, 1959, have been adopted by the Government, for granting representation on tripartite bodies like Indian Labour Conference, Standing Labour Committee, Industrial Committees, etc. :—

Organisations claiming representation should have an all-India character with a minimum membership of one lakh over a number of States and a sizeable membership in the majority of industries.

अधिवक्ता अधिनियम

*1056. **श्री स० कुण्डू :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिवक्ता अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम उन विधि स्नातकों को, जिन्होंने प्राइवेट उम्मीदवारों के रूप में विधि की परीक्षा पास की हो, विधि वृत्ति करने से प्रतिषिद्ध करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे नियम को परिवर्तित करने का है ?

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां। ऐसा प्रतिषेध उन व्यक्तियों के बारे में है जिन्होंने विधि में अपना अध्ययन क्रम 10 अप्रैल, 1965 को या उसके पश्चात् आरम्भ किया।

(ख) जी नहीं।

अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद

*1057. **श्री द० रा० परमार :**
श्री रा० की० अमीन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद ने उस समय अपनी शिकायतों तथा मांगों के बारे में उनको अभ्यावेदन दिया था जब वह पिछले दौरे पर अहमदाबाद गये थे तथा उन्होंने बाद में भी कई अभ्यावेदन दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अभ्यावेदन दिए गए थे ; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ, श्रेणी III, गुजरात सर्कल, अहमदाबाद ने संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री को 24 सितम्बर, 1967 को उनके गुजरात आगमन पर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(ख) इस संघ ने निम्नलिखित अभ्यावेदन दिये थे :

(1) अहमदाबाद में डाक-तार डिस्पेंसरी में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयां ।

(2) मंडल कार्यालय (तार) खोलना ।

(3) गुजरात सर्कल में अतिरिक्त डाक मंडलों का निर्माण ।

(4) मासिक बैठकों और संघ के साथ पत्र-व्यवहार में गुजरात सर्कल के पोस्ट-मास्टर जनरल की उदासीनता और मदद न करने का रुख ।

(ग) प्रत्येक मद से सम्बन्धित स्थिति संलग्न विवरण-पत्र में बताई गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-746/68]

कलकत्ता में गेहूं और चावल की बिक्री

*1058. **श्री स० चं० सामन्त:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता महानगर में गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री की अनुमति देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गेहूं की फसल

*1060. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1967-68 के रबी सीजन में गेहूं की फसल का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) राज्य-वार वसूली के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार एक निदेश जारी करने का है कि 5 एकड़ (सिंचित) और 10 एकड़ (गैर-सिंचित) से कम वाली सभी जोतों से अनाज की वसूली नहीं की जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967-68 की फसल के गेहूं के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुऐ हैं । कुछ महीनों में इसे अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1968-69 **के लिये गेहूं प्राप्ति का लक्ष्य**

राज्य	1968-69 **मौसम के लिए प्राप्ति लक्ष्य** (हजार टनों में)
बिहार	25
गुजरात	25
हरियाणा	100
मध्य प्रदेश	225
महाराष्ट्र	25
पंजाब	1,200
राजस्थान	75
उत्तर प्रदेश	400
योग ...	2,075

(ग) जी नहीं ।

(घ) अधिप्राप्ति के तरीके अपनाने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है ताकि वे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय कर सकें ।

Agriculture-Oriented Industries in Co-operative Sector

*1061. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Expert Committee appointed by the National Co-operative Development Corporation has recommended that 1, 194 new agriculture-oriented industries should be set up in the co-operative sector by 1970-71 ;

(b) the other recommendations made by the Committee ; and

(c) the decision taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) The other recommendations made by the Committee are indicated in the statement annexed. **[Placed in Library. See No. LT-747/68]**

(c) The Government has not yet taken any decision. The report is still under consideration in the National Co-operative Development Corporation.

राष्ट्रीय बीज निगम

*1062. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने कृषकों को अच्छे बीज देने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में अपने एकक खोले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने केन्द्र खोले गये हैं ; और 1967-68 में कृषकों को कुल कितना बीज दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). कृषकों को सुधरे बीजों के प्रत्यक्ष विक्रय की एक योजना राष्ट्रीय बीज निगम के विचाराधीन है । इस समय निगम द्वारा अपने क्षेत्रीय/प्रादेशिक/उप-प्रादेशिक कार्यालयों के माध्यम से सुधरे बीज बेचे जा रहे हैं । ये बीज सीधे कृषकों को विक्रय होते हैं परन्तु यह विक्री नाममात्र है । जून, 1967 से जनवरी, 1968 तक की अवधि में 925 क्विन्टल बीजों की बिक्री हुई है ।

दिल्ली में चोरी छिपे अनाज लाया जाना

*1063. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1968 के पहले दो सप्ताहों में हरियाणा से दिल्ली में 25 लाख रुपये से अधिक मूल्य का अनाज चोरी-छिपे लाया गया बताया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि चोरी-छिपे लाया गया अनाज स्थानीय मंडियों में खुले आम बेचा जा रहा है और दिल्ली प्रशासन तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में संकोच कर रहा है, क्योंकि चोरी-छिपे लाये गये अनाज के कारण दिल्ली में मूल्य कम हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं, हरियाना से दिल्ली में 19.90 क्विंटल खाद्यान्न अनधिकृत रूप से लाते समय पकड़े गये बताये गये हैं ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि उपकरण

*1064. **श्री समर गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ बढ़िया किस्म के कृषि

उपकरणों का देश में निर्माण करने की एक योजना चालू की थी ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय और राज्य अभिकरणों द्वारा किस किस्म के उपकरण अब तक बनाये गये हैं तथा उन पर कितनी लागत आई है ;

(ग) किसानों ने कितने ऐसे उपकरणों का अब तक उपयोग किया है तथा उन उपकरणों के लिए कितना मूल्य दिया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में कृषि उपकरण बनाने की यह योजना अपना उद्देश्य पूरा न कर सकी है तथा इसके फलस्वरूप इन राज्यों को बहुत नुक्सान हुआ ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे उपकरणों के निर्माण और उपयोग सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा राज्य सरकारों को कुल कितना नुक्सान हुआ है तथा कितने उपकरणों का उपयोग नहीं किया गया है तथा इस योजना के सफल न होने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तीसरी योजना के अन्तर्गत उन्नत कृषि औजारों के देशीय निर्माण के लिये राज्यों में कोई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Managing Directors of Co-operative Banks in U. P.

*1065. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of the Managing Directors of the Co-operative Banks against whom enquiries have been made under Ordinance issued by the Government of Uttar Pradesh in October, 1967;

(b) whether it is a fact that the allegations for misuse of Banks' money by the Managing Directors have been proved in some cases;

(c) if so, whether Government propose to take any action against them, if not, the reasons therefor; and

(d) if so, the time by which action is proposed to be taken?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) to (d). Information is being colleeted.

दण्डकारण्य में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

*1066. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **संचार** मंत्री 7 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 3144 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोरापट जिले में दण्डकारण्य क्षेत्र में काम करने वाले डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये इस बीच परियोजना भत्ता मंजूर कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) 1 अक्तूबर, 1966 से उसी दर पर और उन्हीं शर्तों पर जो दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों पर लागू होती हैं, परियोजना भत्ता देने के लिए 14 मार्च, 1968 को मंजूरी जारी की जा चुकी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी के वितरण में असमानता

*1067. **श्री रविराय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीनी के वितरण के विषय में समूचे देश में अत्यधिक असमानता है ;

(ख) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, इसमें कुछ असमानता है ।

(ख) और (ग). मौजूदा वितरण प्रणाली उस समय के विभिन्न राज्यों में खपत सम्बन्धी प्रतिमान पर आधारित है जबकि सप्लाई स्थिति सुगम थी। जनसंख्या सम्बन्धी तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए इस प्रतिमान में परिशोधन करने का विचार है। यह तभी होगा जबकि चीनी के उत्पादन में सुधार हो जाता है।

D. M. S. Milk Supply

*1068. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of persons in Delhi who get their supply of milk from the Delhi Milk Scheme and the number of those who do not get it ;

(b) whether it is a fact that the remaining people are purchasing milk from the private small dairies functioning in Delhi ;

(c) if so, the names and number of such dairies and the steps taken by Government to improve the condition of these dairies ; and

(d) whether Government have formulated any scheme to set up small dairies and if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) No precise data is available. Roughly 4.50 lakh milk bottles are sold daily.

(b) This may be so.

(c) There are 8 Municipal cattle byres in New Delhi. Information regarding the number of small dairies is not available. Under the provision of the Delhi Municipal Corporation Act, the Municipal Bodies control the Sanitary conditions.

(d) No, Sir.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्लाटों की खरीद

*1069. **श्री शशिभूषण वाजपेयी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कितने प्लाट खरीदे गये और प्रत्येक प्लाट के क्रय की तिथि, उसका क्षेत्र तथा उसके लिए दी गई राशि क्या है ; और

(ख) क्या किसी भी प्लाट पर निर्माण-कार्य शुरू नहीं हुआ है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-748/68]

(ख) दो प्लाटों पर निर्माण-कार्य शुरू हो चुका है । कार्यालयों के आकार में वृद्धि, जिसके कारण पहले परिकल्पित आवास से अधिक आवास की व्यवस्था की आवश्यकता हुई, बोर्ड के निर्णय के अनुसार प्राथमिकता पर विचार करना, कर्मचारियों के अभ्यावेदन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन मिलाने के नीति सम्बन्धी प्रस्तावों जैसी बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अन्य मामलों पर समय-समय पर कार्यवाही करनी पड़ी ।

पंजाब तथा हरियाणा में अनाज जमा हो जाना

*1070. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा की मंडियों में अनाज का स्टाक जमा हो जाने की सम्भावना है, जिसे 1967 में 30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में अप्रैल, 1968 में 45 लाख टन की बहुत अच्छी फसल होने के कारण भारतीय खाद्य निगम खरीदने की स्थिति में नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो फालतू अनाज को उठाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) बाजार में अनाज के बहुत जमा हो जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अनाज ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को सरकार द्वारा हटाये जाने और मूल्यों को स्वयं निश्चित होने देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). रबी की भरपूर फसल होने की सम्भावना के कारण पंजाब और हरियाना में बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न अधिशेष होने की सम्भावना है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों को उस स्थिति से निपटने में कोई कठिनाई होने की आशा नहीं है। देश भर में चने और जौ के संचलन पर प्रतिबन्ध 28-3-1968 से उठा लिए गये हैं। इस तारीख से पंजाब, हरियाना और राजस्थान से देश के किसी भी भाग में ज्वार, बाजरा और मकई के भेजने की अनुमति भी दे दी गई है। चावल और गेहूं के लिए पंजाब, हरियाना, चण्डीगढ़, दिल्ली, जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का एक ही खाद्य क्षेत्र बनाया गया है। इस समय मंडियों में खाद्यान्न का भारी स्टाक नहीं पड़ा है और फिलहाल क्षेत्रीय प्रतिबन्धों में और ढील देना उपयुक्त नहीं समझा जाता।

Rabi Crops

*1071. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the names of the States where bumper rabi crop is expected this year?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): According to present indications, the production of rabi crops on the whole is expected to be bumper in all the important rabi States except Maharashtra and Madhya Pradesh where some rabi crops are reported to have been adversely affected.

साधारण निर्वाचनों पर व्यवसाय संघों का प्रभाव

*1072. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 के साधारण निर्वाचनों में व्यवसाय संघों ने अपने प्रभाव का प्रयोग किया था ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ख). सरकार को कोई जानकारी प्राप्त नहीं है।

औद्योगिक श्रमिकों को परिवार पेंशन

*1073. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 14 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों को परिवार पेंशन वेतन के बारे में कार्यकारी दल का प्रतिवेदन इस बीच सरकार को मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) कार्यकारी दल की रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टेल्को के आटो डिवीजन में हड़ताल

*1074. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेल्को के आटो डिवीजन के 16,000 श्रमिक 11 मार्च, 1968 से हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) हड़ताल से प्रतिदिन कितनी हानि होगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

Statutory Rationing in Maharashtra

*1075. **Shri Deo Rao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government of Maharashtra have recently requested the Central Government to permit them to do away with statutory rationing of foodgrains in Nagpur, Sholapur, Poona and Bombay ; and

(b) If so, the decision taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली में राशन व्यवस्था

1076. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में राशन व्यवस्था समाप्त करने का है ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की गई है कि इसके परिणामस्वरूप अनाज के भाव चढ़ने न पायें ; और

(ग) इस बारे में कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री करने तथा केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली

को उत्तरी खाद्य क्षेत्र में सम्मिलित करने की अनुमति देने से दिल्ली में वस्तुतः राशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है ।

(ख) और (ग). उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर गेहूं, चावल तथा आटा सुलभ किया जाता रहेगा, ताकि खाद्यान्नों के मूल्य बहुत ऊंचे न जाने पाएं ।

केरल में कृषि उद्योग निगम

*1077. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य में एक कृषि उद्योग निगम स्थापित करने में केरल सरकार का हाथ बटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस निगम का कार्यक्षेत्र तथा कृत्य क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (**श्री अन्नासाहिब शिन्दे**) : (क) भारत सरकार पहले ही केरल कृषि-उद्योग निगम में शामिल हो गई है। इसने वर्ष 1967-68 के दौरान इस निगम को शेयर-पूंजी में 6,76,500 रुपये की राशि का योगदान दिया है ।

(ख) इस निगम के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(1) पौल्ट्री-उपकरण, मत्स्य-ग्रहण उपकरण तथा कृषि औजारों और यन्त्रों को प्राप्त करना, खरीदना, देना अथवा बेचना ।

(2) वर्कशापों और मरम्मत के केन्द्रों का संगठन संचालन अथवा प्रबन्ध करना ।

(3) वर्कशाप मशीनरी, मशीन-औजार तथा हर प्रकार के धातुओं का निर्माण, आयात, निर्यात, खरीदना और बेचना ।

(4) कृषि औजारों, यन्त्रों और उपकरणों को किराये पर देना ।

(5) कृषि तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए उर्वरकों, बीजों आदि का कुशल वितरण करना ।

(6) फार्म मशीनरी और औजारों, कीटनाशी, उर्वरकों के निर्माण तथा मत्स्य-ग्रहण के उपकरणों डेरी, कुक्कुटादि पालन, पशु-पालन के काम, कृषि-उपज, फलों तथा अन्य कई खाद्यान्न सामग्री को तैयार करने तथा उसके परिक्षण के कार्य को करना अथवा उसमें सहयोग देना ।

(7) खाद्यान्न के उत्पादन, परिक्षण और सम्भरण से सम्बन्धित उद्योगों का संवर्धन करना और उनको कार्यान्वित करना ।

मंत्रियों द्वारा टेलीफोनों पर व्यय

6302. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर, 1967 को समाप्त होने वाले छः महीनों में टेलीफोन शुल्क के रूप में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य द्वारा कितने रुपये खर्च किये गये और संबंधित मंत्रियों के नाम क्या हैं ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : अपने टेलीफोन के खर्च से संबंधित व्यय का हिसाब देना सम्बन्धित मंत्रालयों का काम है। डाक-तार विभाग में लेखे टेलीफोन के हिसाब से रखे जाते हैं, न कि मंत्रियों आदि वर्गों के अनुसार। फिर भी ज्ञात सूचना के आधार पर विचाराधीन अवधि के दौरान दिल्ली में कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के टेलीफोनों के बिलों की रकम का विवरण-पत्र तैयार किया गया है और उसे सभा-पटल पर रखा जा रहा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-749/68]

उड़ीसा में भू-संरक्षण

6303. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को 1967-68 में भू-संरक्षण के लिये कितनी राशि आवंटित की गई थी; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस काम पर कितनी राशि व्यय की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) स्टेट प्लान के अन्तर्गत भूमि-संरक्षण की योजनाओं के लिए सन् 1967-68 में 25.00 लाख रुपये का कुल खर्च अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त हीराकुड तथा मैचकुण्ड की नदी-घाटी परियोजनाओं के जलग्रह में भूमि-संरक्षण सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 25.00 लाख रुपये की राशि उड़ीसा को नियत की गई।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्टेट प्लान स्कीमों को चलाने में 25 लाख रुपये और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 26.95 लाख रुपये का उपयोग किया गया।

भुवनेश्वर कृषि विश्वविद्यालय के लिये केन्द्रीय सहायता

6304. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में उड़ीसा में भुवनेश्वर में कृषि विश्वविद्यालय और कालेज को क्या और कितनी केन्द्रीय सहायता वास्तव में दी गई; और

(ख) 1968-69 में कितनी धनराशि देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967-68 की अवधि में भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा कृषि तथा टेक्नोलोजिकल विश्व-विद्यालय को 13,00,000.00 (तेरह लाख रुपये) का अनुदान दिया गया है। भुवनेश्वर कृषि महाविद्यालय उन महाविद्यालयों में से एक है जो कि इस विद्यालय से संबद्ध हैं। उपरोक्त अनुदान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन, होस्टलों, स्टाफ क्वार्टरों, महाविद्यालय भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, पुस्तकालय की पुस्तकों तथा कृषि, पशु-चिकित्सा व कृषि इंजीनियरी महाविद्यालयों आदि के विकास सम्बन्धी मदों के लिये दिया गया है।

(ख) 1968-69 की अवधि में जारी होने वाले अनुदान के विषय में अन्तिम निर्णय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की दौरा करने वाली टीम की रिपोर्ट के आधार पर वित्त मन्त्रालय के परामर्श से किया जाना है। इस टीम ने सिफारिश की है कि यदि विश्वविद्यालय/उड़ीसा राज्य सरकार बराबर का अनुदान दे सकती है और सिफारिश की गई मदों को कार्यरूप देने को तैयार हो जायें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से 21.58 लाख रुपये का अनुदान दे दिया जाये।

उड़ीसा में सहकारी चीनी कारखाने

6305. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1968-69 में उड़ीसा राज्य में कितनी सहकारी चीनी कारखाने खोलने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : 1968-69 के दौरान उड़ीसा में किसी भी नये सहकारी चीनी कारखाने के उत्पादन करने की कोई सम्भावना नहीं है।

मध्य प्रदेश के लिए अधिक उपज देने वाले धान के बीज तथा आलू

6306. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1966-67 और 1967-68 में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के अधिक उपज देने वाले बीज के धान तथा आलू की मांग की थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-750/68]

Direct Dialling System in Madhya Pradesh

6307. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce direct dialling system in Madhya Pradesh ;

(b) if so, when ; and

(c) the places in Madhya Pradesh where direct dialling system would be introduced ?

The Minister of State in the Departments of Parlaimentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) and (c). Indore and Bhopal are likely to have Subscriber Trunk Dialling facility in about 5 years' time ; subject to availability of essential foreign exchange.

Sugar Requirement of Madhya Pradesh

6308. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total sugar requirement of Madhya Pradesh ;

(b) the names of sugar mills in Madhya Pradesh ;

(c) the period for which these mills functioned during the season in 1966-67 and the quantity of sugar produced by these mills during that period ; and

(d) the period for which these mills are likely to function during the current season and estimated production of sugar during this period ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) It is not possible to give an estimate of requirements, but the present monthly quota of levy sugar for Madhya Pradesh is 5,832 tonnes. Free sale sugar is also available according to demand.

(b) to (d) : A statement giving the required information is attached. **[Placed in Library. See No. LT-751/68]**

Seed Farms and Research Centres in Madhya Pradesh

6309. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Seed Farms and Research Centres are being set up in each District of Madhya Pradesh with Central assistance ;

(b) if so, the details thereof : and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). Only Seed Multiplication Farms of 100 acres each are being set up with Central assistance to cater to seed requirements of four adjacent blocks. Ninetythree such farms have so far been set up.

Research Centres with the help of the I. C. A. R. are located in Hoshangabad, West Nimar, East Nimar, Indore, Chhindawara, Raipur, Gwalior, Rewa, Mandsaur and Jabalpur Districts only. Setting up of Research Centres by the I. C. A. R. depends on Agro-Climatic Zones.

(c) Does not arise.

Use of Hindi in Election Commission

6310. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the letters received in Hindi in the Election Commission of India are replied to in Hindi itself ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken to ensure that the letters received in Hindi are replied to in Hindi in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem): (a) As far as possible replies to the letters received in Hindi are sent in Hindi ;

(b) and (c). Commission has on its establishment a Hindi Unit consisting of one Translator and two Hindi Assistants for attending to the Hindi work. A Section Officer is in overall charge of the work of this Unit in addition to his other duties.

उड़ीसा में भूमि-बंधक बैंक

6312. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में वर्ष 1968-69 में ऋण तथा ऋण-पत्र जारी करने के बारे में भूमि-बंधक बैंकों का कार्यक्रम क्या है;

(ख) वर्ष 1967-68 में इन बैंकों को कुल कितनी सहायता दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) 1968-69 में 130 लाख रुपए के साधारण ऋण-पत्र जारी करने के कार्यक्रम की सम्भावना है । इस आधार पर 150 लाख रुपए के ऋण जारी करने का एक कार्यक्रम व्यवहार्य समझा जाता है ।

(ख) 1967-68 में दी गई सहायता निम्न प्रकार है :

(क) जीवन बीमा निगम, भारत का स्टेट बैंक और भारत का रिजर्व बैंक से	रु० 40.00 लाख
(ख) राज्य सरकार से	रु० 13.00 लाख
(ग) वाणिज्य बैंकों से	रु० 53.71 लाख

(ये आंकड़े अस्थायी हैं)

Damage to Crops Due to Rain and Hailstorm

6313. **Shri Nihal Singh :**
Shri Deorao Patil :
Shri Ramachandra Veerappa :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that extensive damage has been caused to the crops by the recent rains and hailstorms ;

(b) if so, the estimated damage to the crops State-wise ; and

(c) the amount sanctioned by Government to each State for helping the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The recent rains and hailstorms in March, 1968 have affected rabi crops in the important rabi States marginally only. However, the Maharashtra State have reported extensive damage to kharif and rabi crops and orchards due to the untimely rains, hailstorms and coldwave from December, 1967 to March, 1968. . The estimated damage to crops, orchards etc. in Mahrashtra is of the order of Rs. 679 lakhs.

(c) No amounts have been sanctioned. Maharashtra Government, too, have not approached the Centre for any assistance in this respect.

राज्यों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

6314. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने-कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ हैं और उनकी देखभाल पर कितनी लागत आती है;

(ख) कितने बूथ खराब हैं अथवा क्षतिग्रस्त हैं और इस स्थिति में टेलीफोन बूथ होने के क्या कारण हैं और चोरी तथा लापरवाही से रिसीवरों के प्रयोग किये जाने के कारण प्रतिवर्ष कितनी हानि होती है;

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों को ठीक हालत में बनाये रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में टेलीफोन रिसीवर, टेलीफोन तार और डायल आदि चोरी करते हुए कितने अपराधी पकड़े गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा उस कार्यवाही का क्या परिणाम रहा है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और संकलित किये जाने पर यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मुर्गीपालन विकास परियोजनायें

6315. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मुर्गीपालन विकास परियोजनाओं की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां हैं;

(ख) विदेशियों द्वारा अथवा विदेशियों के सहयोग से स्थापित की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) भारत में मुर्गीपालन उद्योग को प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के मक्का या अन्य खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है;

(घ) मुर्गीपालन विकास के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन से उपहार रूप में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का मक्का प्राप्त हुआ है;

(ङ) प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसतन कितने अण्डों की खपत होती है और यदि इस बारे में जानकारी नहीं है तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) मुर्गीपालन के विकास तथा वृद्धि में सहायता देने के लिये निकट भविष्य में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विभिन्न राज्यों में 92 मुर्गीपालन विकास परियोजनायें हैं। इन परियोजनाओं की एक सूची संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-752/68]

(ख) उक्त सभी परियोजनायें राजकीय नियंत्रण में हैं। तथापि विदेशी सहयोग से ये तीन वाणिज्यिक अण्ड-जनन घर स्थापित किये गये हैं।

1. रानीशेवर पोल्टरी ब्रीडिंग फार्म, गुड़गांव (हरियाणा)।
2. आर्बर एक्रज पोल्टरी ब्रीडिंग फार्म, पूना (महाराष्ट्र)।
3. मैसर्स हाई-ब्रेड पोल्टरी फार्म, करनाल (हरियाणा)।

(ग) मुर्गीपालन की श्रमप्रधान प्रणाली के अन्तर्गत पाले जा रहे लगभग 750 लाख पक्षियों के लिये प्रतिवर्ष 650 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से लगभग 23 करोड़ रुपये का लगभग 3.6 लाख मीट्रिक टन अनाज की आवश्यकता होती है।

(घ) संयुक्त राष्ट्र संघ, खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम से मुर्गीपालन के विकास के लिये 30,61,450 रुपये का 8,747 मीट्रिक टन मक्का प्राप्त हुआ है। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में 64253 मीट्रिक टन और मक्का प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ङ) प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति के लिये अनुमानतः लगभग 9.4 अण्डे उपलब्ध होते हैं।

(च) सरकार मुर्गीपालन उद्योग को इस प्रकार सहायता दे रही है :

1. श्रमप्रधान मुर्गीपालन विकास परियोजनाओं की स्थापना करना जहां पर मुर्गी पालने वालों को पैकेज कार्यक्रम के रूप में सभी सुविधायें दी जायेंगी ;
2. कृषकों को प्रजनन की दृष्टि से मुर्गियां प्रदान करने के लिये कुक्कुट प्रजनन फार्मों की स्थापना करना;

3. अंडा संग्रह विपणन केन्द्र और शीत भंडारों की स्थापना करके और उन्हें इनसूलेटेड/प्रशीतन परिवहन से संम्बद्ध कर कुक्कुट व्यापार को वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना;
4. उपयुक्त मूल्य पर संगठित मुर्गी चारे की उपलब्धि करना;
5. रोग नियंत्रण उपाय करना;
6. विस्तार सेवाएं; और
7. ऋण सुविधायें प्रदान करना।

कपास का उत्पादन

6316. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले 3 वर्षों में देश में प्रत्येक राज्य और जिले में कितने-कितने एकड़ भूमि में कितनी, किस किस्म की और कितने मूल्य की कपास बोई गई;

(ख) हमारे कपड़ा उद्योग द्वारा प्रतिवर्ष कितने मीट्रिक टन और कितने मूल्य की कपास की खपत की जाती है और उन वस्त्रों का विवरण क्या है जिनके लिये विशेष किस्म की कपास काम में लाई जाती है ;

(ग) हमारी कपास की फसल में रेशे को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं और पिछले पांच वर्षों में इस दिशा में क्या प्रगति हुई है और वे क्षेत्र कौन से हैं जहां प्रगति हुई है; और

(घ) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में कपास की कितनी मात्रा का, इसके विवरण और मूल्य सहित, आयात किया गया और यह आयात किन-किन देशों से किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) 1964-65, 65-66 और 66-67 में कपास के उत्पादन के आंकड़े निम्न हैं :

वर्ष	**कपास के रेशों का उत्पादन (प्रति गांठ 180 किलोग्राम की 1000 गांठें)**
1964-65	5663.8
1965-66	4762.0
1966-67	4931.0

पिछले तीन वर्षों में कपास की किस्मों और मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

1964-65 से 1966-67 तक राज्यवार कितने एकड़ भूमि है का विवरण संलग्न है (अनुबन्ध संख्या 1) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-753/68]

जिलावार एकड़ेज के आंकड़े केवल 1964-65 के ही उपलब्ध हैं और एक विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध संख्या 2) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-753/68]

(ख) गत तीन वर्षों में कपड़ा मिलों द्वारा भारतीय कपास की खपत के आंकड़े निम्न हैं :

वर्ष	**खपत की गई मात्रा** (लाख मीट्रिक टनों में)
1964-65	1.00
1965-66	0.93
1966-67	0.96

मिलों द्वारा खपत की गई कपास के मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी और जिन वस्त्रों के लिये विशेष किस्म की कपास प्रयोग में लायी जाती है का विवरण उपलब्ध नहीं है। फिर भी, भारतीय कपास का प्रयोग 38 काउन्ट तक के वस्त्रों को बुनने के लिये किया जाता है, जोकि उच्च मध्यम स्तरीय वस्त्रों को बनाने में प्रयोग होता है।

(ग) गत दशाब्दी में कई शोध प्रायोजनाओं पर अर्स्टवाइल भारतीय केन्द्रीय कपास समिति की वित्तीय सहायता से अतिरिक्त लम्बाई की 1/16 इंच और ऊपर के रेशों की किस्मों के विकास के लिये विभिन्न राज्यों में कार्य हो रहा था, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने इन्हीं आधारों पर देश भर में कपास के अनुसन्धान कार्य को तीव्र करने के लिये एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्वीकृति दी है।

अब तक किये गये कार्य के फलस्वरूप जैसे कि मद्रास में एस० सी० यू०-4, बी 1007, देवीराज, देवीतेज और गुजरात और गुजरात के निकट क्षेत्रों में गुजरात 67 और कुछ अन्य किस्में भी व्यापारिक कृषि के लिये निर्मुक्त की गई हैं। इनके अतिरिक्त कई श्रेष्ठ लम्बे रेशे की किस्मों का अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना के अन्तर्गत उत्पादन और श्रेणी निर्धारण के लिये परीक्षण हो रहा है। विकास के क्षेत्र में कपास के न्यूकिलियस और फाउंडेशन बीजों के उत्पादन के लिये मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में कपास विकास योजनाओं, राज्य और केन्द्रीय कपास पैकेज कार्यक्रम और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कपास और विशेषकर लम्बी रेशे वाली कपास की उत्पादन वृद्धि के लिये कदम उठाये गये हैं। गत पांच वर्षों में लम्बे रेशे वाली कपास के उत्पादन में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में हुई प्रगति का विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध 3) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-753/68] यह 31 अगस्त, 1965 को समाप्त होने वाले तीन कपास वर्षों में कपास के लम्बे, मध्यम और छोटे रेशे के राज्यवार उत्पादन के आंकड़े प्रस्तुत करता है। 1962-63 की तुलना में 1964-65 में मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लम्बे रेशे वाली कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(घ) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। (अनुबन्ध संख्या 4) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-753/68]

Employment Exchanges in Madhya Pradesh

6317. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Employment Exchanges in Madhya Pradesh ;

(b) the number of Gazetted and non-Gazetted employees working in them ;

(c) the number of Employment Exchanges functioning in Government and rented buildings, separately ; and

(d) the amount being paid as rent annually ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir) (a) 52.

(b) Gazetted - 64 Non-gazetted - 574

(c) Five Employment Exchanges are functioning in Government buildings, three in buildings given by Universities and 44 in rented buildings.

(d) Rs. 70,550/-.

Disturbances in Labour Areas

6318. **Shri Hukam Chand Kachwai** ; Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of incidents of disturbances in labour areas in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bengal from November, 1967 to date ; and

(b) the number of persons arrested in the said States in this connection ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दिल्ली में खाद्यान्नों के मूल्य

6319. **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री लोबो प्रभु :**
श्री पीलु मोडी : **श्री गार्डिलिंगन गौड :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पड़ोसी राज्यों में क्षेत्रीय प्रतिबंधों के हटाये जाने की आशा में दिल्ली में खाद्यान्नों के मूल्य गिर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं के 50-60 रुपये प्रति क्विटल की दर से वायदे के सौदे गुप्त रूप से किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे आवश्यक उपाय करने पर विचार कर लिया है जिनको करने पर मूल्यों को गिरने से रोका जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मार्च 1968 के दौरान चावल और बाजरा के भाव न्यूनाधिक स्थिर रहे और गेहूं और चना के भावों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ग) सरकार बिक्री के लिये लाये गये सभी खाद्यान्नों को निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्यों पर खरीद लेगी, इस घोषणा से मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिये स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा। अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम सहाय्य मूल्यों से अपेक्षाकृत ऊंचे हैं जोकि उत्पादक को एक प्रकार की भाव-गारंटी प्रदान करते हैं।

Purchase of Chillies and Onions in Maharashtra

6320. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government or the Food Corporation of India have received any report from Maharashtra suggesting them to purchase onions and chillies from the State; and

(b) if so, the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Sub-Post Offices in Urban and Rural Areas in Madhya Pradesh

6321. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of sub-Post Offices functioning in the urban and rural areas, separately, of each District in Madhya Pradesh and among those opened during the First, Second and Third Five Year Plans;

(b) the number of such sub-Post Offices among them in which telegraph Service has not so far been provided; and

(c) the number of sub-Post Offices in Madhya Pradesh in which Government propose to provide telegraph service during 1968-69?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The information is being collected and will be placed on the Table of the Lok Sabha in due course.

(b) 210.

(c) 30, subject to fulfilment of departmental standards and availability of funds.

मद्रास में टेलीफोन

6322. **श्री किरुतिनन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 तक मद्रास राज्य में कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन के लिये आवेदन-पत्र दिये थे;

(ख) अब तक उनमें से कितने व्यक्तियों को टेलीफोन दे दिये गये हैं; और

(ग) देरी के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 31 दिसम्बर, 1967 को 29584 ।

(ख) 1 जनवरी, 1968 और 28 मार्च, 1968 के बीच लगभग 2800 नये कनेक्शन लगाये गये ।

(ग) एक्सचेंज क्षमता और कुछ आवश्यक सामान की कमी के कारण ।

रामनाथपुरम (मद्रास) में डाकघर

6323. **श्री किरुतिनन** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मद्रास राज्य के रामनाथपुरम् जिले में कितने डाकघर किराये के भवनों में काम कर रहे हैं ? और

(ख) 1967-68 में किराये के रूप में सरकार ने कितनी राशि का भुगतान किया ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 112

(ख) 78,835 रुपये ।

अन्दमान में रक्षित वन

6324. **श्री किरुतिनन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कितने क्षेत्र में रक्षित वन हैं;

(ख) कितने क्षेत्र में खेती की जाती है; और

(ग) 1968-69 में इस द्वीप में कितनी भूमि खेती के अन्तर्गत लाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 2,43,574 हैक्टेयर ।

(ख) 9687.45 हैक्टेयर जिनमें निकोबार द्वीप शामिल नहीं हैं क्योंकि निकोबार द्वीपों का अभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) पहले ही खेती किए गए क्षेत्र के अतिरिक्त 1704.94 हैक्टेयर ।

सुपर बाजार

6325. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुपर बाजारों के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरपदस्वामी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने सुपर बाजारों के कार्यकरण का कोई विशिष्ट पुनर्विलोकन नहीं किया है । तथापि, सुपर बाजारों के कार्य का आंकन नियतकालिक रूप से किया जा रहा है । परिणामस्वरूप, सुपर बाजारों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये राज्य सरकारों को सुझाव भेजे गये हैं ।

वस्तु समितियां

6326 **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्तु समितियों के स्थान पर कुछ विकास सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इनके कृत्य क्या हैं ; और

(ग) भूतपूर्व वस्तु समितियों द्वारा किया जाने वाला अनुसन्धान कार्य नई सलाहकार समितियों द्वारा कहां तक किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) जी हां । निम्नलिखित विकास परिषदों की स्थापना की गई है :

1. भारतीय कपास विकास परिषद्
2. भारतीय तिलहन विकास परिषद्
3. भारतीय गन्ना विकास परिषद्
4. भारतीय पटसन विकास परिषद्
5. भारतीय तम्बाकू विकास परिषद्
6. भारतीय लाख विकास परिषद्
7. भारतीय नारियल विकास परिषद्
8. भारतीय नारियल विकास परिषद्
9. भारतीय मसाला विकास परिषद्
10. भारतीय काजू विकास परिषद्

(ख) इन परिषदों के संगठन विषयक संकल्पों की एक-एक प्रतिलिपि संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०**-754/68]

(ग) अब सनुसन्धान कार्य की जिम्मेदारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की है । विकास परिषदें अनुसंधान के लिये उत्तरदायी नहीं हैं ।

जापान से उर्वरकों का आयात

6327. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 19 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1192 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान से उर्वरकों की खरीद पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जायेगी ; और

(ख) इससे कृषि उत्पादन में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उर्वरकों के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन वार्षिक आधार पर किया जाता है। 1968-69 की अवधि में उर्वरकों के आयात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कुल 270 लाख डालर के येन ऋण (खाद्य उत्पादन सहायता कार्यक्रम सहित) का नियतन किया गया है। सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत जापान से आगामी वर्षों में उर्वरकों के क्रय पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी यह इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक आगामी वर्ष में जापान उर्वरकों के लिये कितनी सहायता उपलब्ध करता है। हमारी अपनी विदेशी मुद्रा से खरीदा जाने वाला उर्वरक आगामी वर्षों में क्रय होने वाले विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के मूल्यों की प्रतियोगिता पर निर्भर करता है।

(ख) 1968-69 की अवधि में जापान से 1.46 लाख मीटरी टन नाईट्रोजन व 0.0224 मीटरी टन $के_2$ $ओ^5$ उर्वरकों का क्रय किया जायेगा। ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि उर्वरक के उपयोग से कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी क्योंकि उर्वरकों का उपयोग अन्य आदानों के साथ मिला कर किया जाता है। फिर भी अनुमान है कि औसतन एक मीटरी टन नाईट्रोजन के प्रयोग से 10 मीटरी टन खाद्यान्न का उत्पादन और एक मीटरी टन $पी^2$ $ओ^5$ के प्रयोग से लगभग 6 मीटरी टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। इस अनुमान के आधार पर हिसाब लगाया जाये और यह मान लिया जाये कि उर्वरकों की सारी मात्रा का उपयोग खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये किया जायेगा तो उपरोक्त आयात से अनुमानतः 14.7 मीटरी टन अधिक खाद्यान्न उत्पन्न होगा।

Cotton Production Research Centres in Maharashtra

6328. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of important centres and sub-centres in Maharashtra State where research is being done on the production of good varieties of cotton, checking of diseases and pests and improving seed of fibre cotton under the I.C.A.R. scheme for co-ordinated research ; and

(b) the amount spent and likely to be spent thereon during 1967-68 and by 1971, respectively ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) The Indian Council of Agri-

cultural Research has sanctioned, with effect from 1st April, 1967, an All India Co-ordinated Research Project on Cotton with the object of developing and releasing high yielding varieties of cotton with superior fibre and spinning quality. The Centres of work provided under the Co-ordinated Project in Maharashtra State are the following:

Akola	..	Main Centre
Nanded	..	Sub-Centre
Achalpur	..	Sub-Centre

The Akola station will carry out work on breeding, agronomy and control of pests and diseases of cotton. The work will relate to both American and **desi** varieties.

At the Nanded station, work will be done on **desi** cotton and at Achalpur, on American cotton.

(b) The detailed scheme is under scrutiny of the State Government of Maharashtra and it will be put into operation by that Government as early as possible. The amount provided and sanctioned for Main and Sub-Centres in Maharashtra State during 1967-68 and for the period ending 31st March, 1971 are as under :

Centre	**Amount provided for 1967-68**	**Amount provided for the period from 1-4-67 to 31-3-71**
	Rs.	Rs.
Akola	65,000	2,72,000
Nanded	31,000	1,27,000
Achalpur	32,000	1,28,000

Telephone dues outstanding against Office Bearers of Reception Committee of Patna Session (1962) of A. I. C. C.

6329. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that telephones were installed in the name of the former Chief Minister of Bihar, Shri Krishna Ballabh Sahai, Secretary of the Reception Committee of the plenary session of the All India Congress Committee at Patna in January, 1962 and in the names of other Congress leaders in the management body of the said session;

(b) whether bills for telephone charges are still outstanding against him and the Reception Committee;

(c) the amount of telephone dues outstanding against each; and

(d) the action proposed to be taken by Government to realise the amount of outstanding bills from them?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Chairman, Reception Committee— Rs. 266.50; Shri K. B. Sahai, General Secretary— Rs. 2,204.73; and Chief Minister, Bihar— Rs. 214.15.

(d) Action as per rules is continuing.

Minor Irrigation Schemes

6330. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of minor irrigation schemes in respect of which survey was conducted by the former ruler in Kotah District of Rajasthan; and

(b) the amount allocated to Rajasthan Government by the Central Government so far in regard to the said schemes?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The information is being collected from the State Government and would be laid on the Table of the Sabha on receipt.

Telephone Facility at Sonaigiri

6331. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the steps being taken to provide telephone facility at Sonaigiri, a place of pilgrimage in Datia district of Madhya Pradesh ; and

(b) when this work is likely to be completed ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The proposal to provide Telephone facility at Sonaigiri is under examination. Steps will be taken to sanction the scheme if it is found feasible within the framework of the policy of the department.

(b) The likely date of completion of the work can be indicated only after the scheme is sanctioned.

Minor Irrigation Scheme in U. P.

6332. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of persons to whom loans have been advanced under minor irrigation schemes in U. P. from the 3rd April to 31st December, 1967, District-wise;

(b) whether complaints about partiality shown in the disbursement of loans has been received ;

(c) if so, the details thereof district-wise ; and

(d) the action taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (d). The information is being collected from the State Government and would be laid on the Table of the Sabha on receipt.

Government Pleaders in Delhi

6333. **Shri Mahant Digvijai Nath :** Will the Miniter of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a great shortage of Government Pleaders in Delhi ;

(b) whether it is also a fact that for want of Government Pleaders, the cases in Delhi courts are kept pending for long;

(c) whether it is also a fact that the Delhi Administration are not in a position to employ Pleaders; and

(d) if so, the steps Government are taking for the appointment of Government Pleaders?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem): (a) No, Sir.

(b) Cases in Delhi court are kept pending not because of shortage of Government pleaders, but because of other factors.

(c) Delhi Administration engages or employs lawyers in criminal cases and in certain other types of cases. For civil cases under the provisions of Financial rules they have to obtain the services of panel lawyers maintained by the Ministry of Law.

(d) Does not arise.

New Delhi Co-operative Bank

6334. **Shri Balraj Madhok:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the New Delhi Co-operative Bank has been declared insolvent;

(b) whether it is also a fact that the Secretary and Executive Committee of the Bank have approved this decision; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

P. and T. Offices in Delhi

6335. **Shri Kanwar Lal Gupta:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of night Posts and Telegraphs offices in Delhi;

(b) whether it is a fact that this number is inadequate in view of the increasing population of Delhi; and

(c) if so, whether Government propose to open such Posts and Telegraphs Offices in Subzimandi, Sadar Bazar and other areas?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Seven Night Post Offices and 19 Telegraphs Offices.

(b) No. The number of Night Post Offices in Delhi is the largest compared to any other city in the country. In Bombay and Calcutta there are more Telegraph Offices working at night. The existing facilities at Delhi are, however, considered to be satisfactory.

(c) Telegraphs facilities already exist at Sadar Bazar and Subzimandi P. and T. Offices. As regards Postal facilities, the conversion of these offices into night Post Offices will be examined.

Go-Sadans

6336. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri R. S. Vidyarthi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of Go-sadans opened by Government in the country, the places where they are located and the number of cows in them ;

(b) the amount spent by Government annually in this regard ; and

(c) the number of additional Go-sadans proposed to be opened during the next two years and their locations ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) 80 Go-sadans have been opened in the country. Out of these 48 Go-sadans have been set up by State Animal Husbandry Departments and the remaining 32 Go-sadans have been set up by private institutions with financial assistance from the State Governments. A statement showing name and location of these Go-sadans is enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-755/68]** The number of cattle handled in these Go-sadans vary from year to year. In the last three years the number of animals handled in these Go-sadans is as follows :—

Year	No. of cattle handled.
1964-65	28,167
1965-66	23,777
1966-67	21,482

(b) The figures of annual expenditure being incurred by the State Departments of Animal Husbandry on these Go-sadans are not available. Expenditure in respect of two Go-sadans **viz.**, Gularbhoj in **U. P.** and Delawari in M. P. which are being directly administered by the Central Council of Gosamvardhana for the year 1966-67 is as under :—

	Expenditure Rs.	Receipts Rs.
Gularbhoj.	85,075.28	83,220.46
Delawari.	64,164.29	41,047.75

(c) There is no proposal to establish additional Go-sadans in the year 1968-69. For the year 1969-70, proposals are not yet finalised.

समुद्र-पार संचार विभाग

6337. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 और 1966-67 में समुद्र-पार संचार विभाग द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई तथा खर्च की गई ;

(ख) समुद्र-पार संचार विभाग द्वारा अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) वर्ष 1968-69 में कितनी विदेशी मुद्रा कमाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) विदेश संचार सेवा द्वारा 1965-66 और 1966-67 के वर्षों में अर्जित और व्यय की गयी विदेशी मुद्रा की राशियां निम्नलिखित हैं :

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा (ये राशियां विदेशी मुद्रा में अर्जित परियात-राजस्व को प्रदर्शित करती हैं)	व्यय की गयी विदेशी मुद्रा (ये राशियां विदेशी मुद्रा में राजस्व तथा पूंजीगत व्यय सहित परियात की बाह्य-अदायगियों को प्रदर्शित करती हैं)
1965-66	28.17 लाख रुपये	43.65 लाख रुपये
1966-67	31.78 लाख रुपये	118.55 लाख रुपये

(ख) देशान्तरों से भारत का दूरसंचार-परियात मुख्यतः राष्ट्रमंडल दूरसंचार-जाल (कामनवेल्थ टेलीकम्यूनिकेशन्स नेटवर्क) से होकर परिचालित होता है। जहां कहीं परियात की मांग अधिक हो और वित्तीय रूप से लाभ-कर भी हो, सीधे परिपथों (सरकिटों) द्वारा इनमें और वृद्धि भी की जाती है। इस व्यवस्था में विदेशी-मुद्रा-देयताओं के न्यूनतम रहने और अदायगी-संतुलन की स्थिति के अत्यन्त अनुकूल रहने का सुनिश्चय हो जाता है।

(ग) अनुमान है कि 1968-69 में दूरसंचार-परियात की बाह्य-अदायगियों के सम्बन्ध में लगभग 33.62 लाख रुपये की शुद्ध विदेशी-मुद्रा-देयता रहेगी तथा संभावना है कि राजस्व तथा पूंजी शीर्षों के अधीन 3 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी-मुद्रा खर्च होगी, जिसमें से बड़ी राशि संचार-उपग्रह के भूमि-स्थित केन्द्र की प्रायोजना के उपस्करों के सम्बन्ध में खर्च होगी।

Cultivation of Soyabean and Zimikund

6338. **Shri Y. S. Kushwah:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have chalked out any programme for the cultivation and increasing the production of Soyabean and Zimikand in the country ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, a programme for the cultivation and increasing the production of soyabeans has been chalked out and is being implemented since 1967. There is no special programme for increasing the production of Zimikund.

(b) During 1967, the State Governments of U. P. and Himachal Pradesh were requested to take up special soyabean production programmes with the existing varieties available with them by growing soyabeans along with maize as a Kharif crop. They were expected to cover

about 1000 acres under soyabean. 12 tonnes of soyabean seeds were imported for Pantnagar Agricultural University from U. S. A. But due to the closure of the Suez Canal, the seed could not reach India in time for planting during Kharif, 1967.

During 1968, it is proposed to import 20 tonnes of high yielding varieties of soyabean seed from U. S. A. This will be multiplied by National Seeds Corporation at Central State Farm, Suratgarh in Rajasthan during Kharif, 1968 and again in the South as a winter/summer crop in 1968-69 season.

The State Governments of U. P., Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir have also to take up a programme for the production of soyabean during 1968 with the existing varieties of which about 40 to 50 tonnes of seed is available in their respective areas.

पंसकुरा स्टेशन पर रेलवे डाक सेवा कार्यालय

6339. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंसकुरा रेलवे स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर एक रेलवे डाक सेवा कार्यालय खोलने का निर्णय कुछ समय पूर्व किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) देरी के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) दिसम्बर, 1960 में ।

(ग) इस उद्देश्य के लिये रेल विभाग द्वारा इमारत के निर्माण के लिये रेल विभाग से पत्र-व्यवहार चल रहा है ।

खाद्यान्न और बीजों का भाण्डागारण

6340. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का विचार किसानों द्वारा खाद्यान्न और बीजों को सुरक्षित ढंग से रखने के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) यह कब चालू किया जायेगा और इसकी अवधि कितनी होगी ; और

(घ) इस प्रशिक्षण से किसानों को कहां तक सहायता मिलेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 7 से 12 मार्च, 1968 तक गांवों में सेफ स्टोरेज आफ ग्रेन में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पहले ही शुरू किया हुआ है ।

(ख) इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में प्रयुक्त वर्तमान भण्डारण ढांचे के बारे में एक संक्षिप्त रूपरेखा देना और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विकसित पूरा बीज के प्रयोग को स्पष्ट करना है।

(ग) उपरोक्त (क) में जानकारी दी गई है।

(घ) ऐसी सम्भावना है कि प्रगतिशील किसान जिन्होंने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया अपने प्रयोग के लिये इन भण्डारण ढांचे को निर्मित ही नहीं करेंगे बल्कि अपने पड़ोसियों को ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित भी करेंगे।

संयुक्त अरब गणराज्य से चावल का आयात

6341. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री अंबचेजियान :
श्री दीवीकन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य सरकार भारत को चावल की सप्लाई करने को सहमत हो गई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई करार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कुल कितना चावल सप्लाई किया जायेगा ; और

(घ) उस चावल के कब तक भारत में आ जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 40,000 मीटरी टन।

(घ) सारी मात्रा का लदान जुलाई, 1968 तक पूरा किया जाना है।

बेरोजगारी

6342. **श्री स० कुण्डू :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में शहरी और देहाती बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो बेरोजगार पुरुषों तथा स्त्रियों के वर्षवार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इस समय देश में कितने तकनीशियन, डिप्लोमाधारी तथा इंजीनियर बेकार हैं ?

श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) बेरोजगारी में वृद्धि से सम्बन्धित यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। योजना आयोग ने

अनुमान लगाया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 90 लाख से 1 करोड़ तक लोग बेरोजगार थे जिसका तीन-चौथाई भाग देहाती क्षेत्र में है। बेरोजगारी के सम्बन्ध में इसके बाद के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं किन्तु सन् 1966-67 और 1967-68 के बीच, नियोजन अवसर पैदा करने वाले लगभग सभी क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में मंदी आने के कारण बेरोजगारी की स्थिति में और अधिक गिरावट आनी सम्भव है।

(ख) और (ग). इस बारे में उपलब्ध जानकारी नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में नियुक्ति सहायता के लिये नाम दर्ज कराने वालों की संख्या से सम्बन्धित है जो पिछले पृष्ठ पर दिये विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-756/68]

दिल्ली में गेहूं और चावल की बिक्री

6343. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री की अनुमति देने का निर्णय किये जाने के बाद दिल्ली से तथा दिल्ली में खाद्यान्न ले जाने तथा लाने पर लगे हुए प्रतिबंधों को पूर्णतया या आंशिक रूप में हटा दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो दिल्ली में खाद्यान्न आने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). गेहूं और चावल के संचलन के लिये पंजाब, हरियाना, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का 28 मार्च, 1968 से बने एक क्षेत्र का दिल्ली भी एक अंग है।

खुले बाजार में चीनी का मूल्य

6344. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुले बाजार में चीनी के मूल्य को, जो 4 रुपये प्रति किलो पर लगभग स्थिर हो गया है, कम कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या खुले बाजार में चीनी के अधिक मूल्यों तथा चीनी उत्पादकों द्वारा लिये जा रहे अत्याधिक लाभ को ध्यान में रखते हुए चीनी पर पूर्ण नियंत्रण लगाने अथवा नियंत्रण हटाने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी अभी नहीं।

Production Cost of Sugar

6345. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3224 on the 7th March, 1968 and state :

(a) whether Government are aware that Prof. Ghosh has further developed his electrical process after May, 1967 which would reduce the production cost ;

(b) whether Government have ascertained per tonne comparative cost of production through the old and the new processes ; and

(c) if so, the details in this regard and Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) It is understood that the process has been modified.

(b) and (c). A technical expert is being deputed to study the modified process. The data regarding cost may become available on receipt of his report.

कानपुर में नई प्रयोगात्मक चीनी बनाने की फैक्टरी

6346. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय चीनी संस्था कानपुर में अधिक उत्पादन क्षमता की दृष्टि से आधुनिक मशीनों से सज्जित एक नया प्रायोगिक चीनी कारखाना चलाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या ऐसे कारखाने अन्य स्थानों में भी चालू करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने, अनुसन्धान कार्य करने और फैक्ट्री-स्तर पर परीक्षण करने के लिये राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर के साथ प्रति दिन 35 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाली एक प्रयोगात्मक चीनी फैक्ट्री सम्बद्ध है। क्योंकि इस फैक्ट्री की मशीनरी पुरानी, पुराने ढर्रे की और नाकारा हो गयी है इसलिये यह निर्णय किया गया कि प्रति-दिन 100 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाली एक नई प्रयोगात्मक चीनी फैक्ट्री स्थापित की जाये।

(ग) जी नहीं। राष्ट्रीय शर्करा संस्था के लिये केवल एक फैक्ट्री स्थापित की जा रही है।

केन्द्रीय श्रम कल्याण निधि

6347. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों को सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये उपकर लगाकर एक केन्द्रीय

श्रमिक कल्याण निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सभी उद्योगों में नियुक्त श्रमिकों के लिये एक सामान्य कल्याण निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कोयला, अभ्रक तथा कच्चा लोहा खानों के श्रमिकों के लिये सांविधिक कल्याण निधियां मौजूद हैं। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर खानों के श्रमिकों के लिये ऐसी ही एक निधि स्थापित करने का विचार है। अन्य सभी खानों में नियुक्त श्रमिकों के लिये एक सामान्य निधि स्थापित करने का एक प्रस्ताव था। लेकिन यह निर्णय किया गया है कि इस सम्बन्ध में श्रमिक कल्याण समिति और राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जाय।

Suratgarh Farm

6348. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he inspected Suratgarh Farm on the 9th March, 1968; and

(b) if so, the condition in which he found the said farm ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) The Union Minister for Food and Agriculture went round some parts of the farm. On the whole, he found the farm in a reasonably good shape. He has suggested certain organisational changes which are under Government's examination.

Awards on Development of New Seeds

6349. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have given awards to those scientists and agricultural experts who have developed new seeds of wheat ;

(b) if so, the nature of awards given ; and

(c) the names of the said persons ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) and (c). New varieties of wheat have been bred in India over a long period of time and some of these were hailed at the time they were released as being important contributions. Dr. B. P. Pal, at present Director-General, Indian Council of Agricultural Research, was awarded the Padma Shri by the President in 1958 and the Rafi Ahmed Kidwai Prize for Agricultural Botany in 1960. In both the cases the award was not limited to his wheat work alone. Recently the emphasis has been on dwarf, fertiliser-responsive wheats the material of which was first obtained from Mexico. Wheat breeders at the I. A. R. I., at the Punjab Agricultural University and at the U. P. Agricultural University have made some re-selections

from this material. Dr. M. S. Swaminathan Director, I. A. R. I., was responsible for the creation of Sharbati Sonora wheat from the imported strain Sonora 64 by radiation treatment. Dr. Swaminathan was awarded the Padma Shri in 1967 and the Shanti Swarup Bhatnagar Memorial Award by the C. S. I. R. in 1963. Both these awards were given for his outstanding contribution as a research scientist though not specifically for work on wheat. Recently a very intensive programme for breeding new varieties by crossing the Mexican wheats with the best Indian wheats is in progress the results of which will be known in the near future. At that time the question of further awards for wheat would be taken up.

भारत सेवक समाज

6350. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक लेखा समिति (तीसरी लोक लेखा सभा) के 34वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन में सरकार द्वारा स्वयं निर्धारित की गई अन्तिम अवधि अर्थात सितम्बर, 1966 के पश्चात कितनी राशि के अनुदान दिये गये ; और

(ख) एक संसदीय समिति को दिये गये आश्वासनों का उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गोदामों तथा खत्तियों का निर्माण

6351. **श्री मधु लिमये : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा गोदामों और खत्तियों के निर्माण का कोई कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आगामी वित्तीय वर्ष में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा कुल कितनी-कितनी पूंजी लगाई जायेगी ; और

(ग) क्या इस पूंजी में परिवर्तन करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने 1968-69 के लिये कार्यक्रम तैयार कर लिया है। केन्द्रीय बजट अनुमानों में 1968-69 के लिये कुल 202 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इस उपबन्ध में संशोधन करने के प्रश्न पर इस समय विचार हो रहा है। कार्यक्रमों और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किये गये उपबन्धों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80

6352. **श्री मधु लिमये** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या याचिका समिति की तीसरी रिपोर्ट (तृतीय लोक सभा) और विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 14 और 27 में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 की विधि मान्यता के बारे में की गई टिप्पणी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धारा को निरस्त करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस मामले की सरकार द्वारा परीक्षा की जा रही है।

मध्य प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों के पदों की समाप्ति

6353. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्यप्रदेश सरकार से राज्य में खण्ड विकास अधिकारियों के पदों की समाप्ति से परिणामों के बारे में कोई समीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसा विचार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). केन्द्र को किसी राज्य से खन्ड विकास अधिकारी का पद समाप्त करने के लिये कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

Rat Menace

6354. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any assistance has been received from foreign countries in tackling the rat menace ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) No financial assistance or assistance in materials has been received from foreign countries ; however some foreign experts on the subject have visited the country from time to time ;

(b) The information is nil with regard to financial and material assistance; as regards the experts, they have participated in Seminars and two foreign experts were in the country for brief periods in the capacity of consultants.

Annapurna Cafetaria, New Delhi

6355. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) The amount of profit earned or loss sustained by the Annapurna Cafetaria, Janpath, New Delhi, during the last three years ;

(b) the purpose with which the said Cafetaria was opened ;

(c) the extent to which that purpose has been achieved ; and

(d) the decision taken in regard to its future programme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) (a) to (d) : The Annapurna Cafetaria, New Delhi, is run by the All India Women's Food Council which is a registered private body. One of the objects for which the All India Women's Food Council was established was to popularise and provide low-cost nutritious non-cereal food for the benefit of the low-income group. The Government are not associated with the Cafetaria or the Council and as such have no information in the matter.

Youth Clubs in Rural Areas

6356. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission has submitted any report in regard to obtaining the help of youngmen in rural areas in the Community Development Programmes ;

(b) if so, the main recommendations thereof ; and

(c) the decision taken by Government in regard to the expansion of Youth Clubs ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b). Yes. The Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission undertook in 1966 a series of case studies, one each in eleven States, where the Youth Programme had made some headway. The report has become recently available. Among the factors which it emphasizes as essential for success are definite State policy and a clear-cut programme, covering activities not merely social, cultural and recreational but also economic ; full involvement of the field development agencies and Panchayati Raj institutions in the programme ; proper training to the youth in leadership and group activity ; suitable recognition and incentives for good work ; and the importance of keeping the Youth movement free from political alignment and influence. The report also stresses the need for full-time posts of Social Education Organisers for furthering the Programme.

(c) Expansion either in the number or activities of youth clubs would depend, among other things, on the available resources. This and other factors highlighted by the study would be kept in view when formulating approaches to the Youth Programme in the Fourth Plan.

Confirmation of Assistants/U. D. Cs in Department of Agriculture

6357. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Assistants/Upper Division Clerks in the Department of Agriculture on the 1st May, 1967 who have been working on the same post for (i) three years (ii) five years and (iii) eight years ;

(b) the number of Assistants/Upper Division Clerks confirmed against these posts in 1967 ;

(c) the time likely to be taken for the confirmation of Assistants/Upper Division Clerks who have completed five year's service ;

(d) whether it is a fact that their counterparts in other offices, who were junior to them before decentralisation in 1962, have been confirmed ; and

(e) if so, whether the said discrimination would not have adverse effect from the view-point of promotions etc. on the Assistants/Upper Division Clerks in the Department of Agriculture ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) 3 years (but less than 5 years)	5 years (but less than 8 years)	8 years (and above	Total.
Assistants 21	14	182	217
U. D. Cs 9	35	90	134

Of this total of 217 Assistants and 134 U. D. Cs, 129 Assistants and 9 U. D. Cs had already been confirmed before 1967.

(b) One Assistant and three Upper Division Clerks were confirmed in 1967. Since confirmations of Officers in the Grade of Assistants/Upper Division Clerks are made against the authorised permanent strength sanctioned for each grade, there were on other vacancies in 1967 within the authorised permanent strength on which confirmation could have been made in that year.

(c) It depends upon the number of permanent vacancies as and when these become available in these grades due to retirement/death/confirmation in the higher grades of existing permanent incumbents or due to the augmentation of the Authorised permanent strength in these grades according to the Rules in this regard. The question of raising the permanent authorised strength was taken up with the Ministries of Home and Finance who agreed to raise the permanent authorised strength of Assistants by 20 and Upper Division Clerks by 15 in 1968. Orders confirming Assistants and Upper Division Clerks on these posts will be issued very soon.

(d) No such record is maintained since officers belong to different cadres.

(e) After de-centralisation of C. S. S./C. S. C. S. in 1962, officers in these grades have been allocated to the cadres of various Ministries/Departments. Promotions in the grades of

Assistants/Upper Division Clerks are made according to the number of vacancies that become available in each Department from amongst officers belonging to the respective cadres. There can be no question of discrimination between officers belonging to different cadres.

सहकारी समितियों का परिसमापन

6358. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसी बचत तथा ऋण सहकारी समितियों की संख्या कितनी थी, जिनका 1967-68 में परिसमापन हो गया था तथा ऐसी अवधि में कितनी नई समितियों का पंजीयन हुआ ;

(ख) जिन सहकारी समितियों का परिसमापन हुआ उनका कुल वित्तीय परिव्यय कितना था ;

(ग) क्या इन सहकारी समितियों का परिसमापन होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास यथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :(क) से (ग). राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी :

सिंचाई उपकरणों की खरीद

6359. **श्री गा० शं० मिश्र: क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं, जो किसानों द्वारा सिंचाई उपकरणों की खरीद के लिए, उपकरणवार, राजसहायता दे रही हैं और प्रत्येक उपकरण पर क्रमशः कितने प्रतिशत राजसहायता दी जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

चीनी पर से नियंत्रण हटाना

6360. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजाम शूगर फैक्टरी के प्रबन्ध निदेशक ने केन्द्रीय सरकार से चीनी पर तुरन्त नियंत्रण हटाने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि अन्यथा गर्मियों के महीनों में चीनी के मूल्य बढ़ जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायियक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शन्दे) (क) जी नहीं, लेकिन इस बारे में समाचार-पत्रों में एक समाचार छपा था।

(ख) सरकार का अभी पूरी तरह से नियंत्रण हटाने का कोई विचार नहीं है।

गन्ने की फसल

6361. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष ईख की फसल बहुत अच्छी होने की आशा की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो बोये गये क्षेत्र के आधार पर कितने उत्पादन का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क)और(ख). आगामी 1968-69 की गन्ने की फसल के लिये रोषण सम्बन्धी कार्य अभी-अभी शुरू किया गया है और यह कार्य देश के विभिन्न भागों में प्रगति पर है। 1968-69 के दौरान जितने क्षेत्र में गन्ने की बुवाई होगी, उसके प्रारम्भिक अनुमान जुलाई, 1968 में उपलब्ध होने की सम्भावना है। अतः 1968-69 में गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र और गन्ने के उत्पादन के अनुमानों के बारे में इस समय कुछ संकेत करना सम्भव नहीं है।

स्मृति डाक-टिकटों की छपाई

6362. **श्री समर गुह** : क्या **संचार** मंत्री 19 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4831 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी, श्री जवाहर लाल नेहरू और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति में जारी की गई डाक-टिकटों की संख्या में अन्तर होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या नेताजी की डाक-टिकटें उतनी अवधि के लिए परिचालित रहीं, जितनी अवधि के लिए गांधी जी और नेहरू जी की डाक-टिकटें परिचालित रही थीं ;

(ग) क्या यह सच है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की डाक-टिकटों का मूल्य अधिक होने के कारण बहुत सी डाक-टिकटें बिना बिकी रह गई हैं ; और

(घ) क्या नवीन परिचालन के लिए नेताजी की कम मूल्य की डाक-टिकटें छापने और 55 पैसे वाली कितनी डाक-टिकटों को पुनः परिचालित करने का सरकार का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री(श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सामान्यतः विशेष/स्मारक डाक-टिकट जारी करते समय प्रत्येक अवसर पर 20 लाख डाक-टिकट छापे जाते हैं। फिर भी इस संख्या में संभावित मांग, अवसर और विदेशों से आयात किये जाने वाले गोंद लगे कागज की उपलब्धि पर निर्भर रहने के कारण अन्तर हो सकता है।

(ख) यह जानकारी एकत्रित नहीं की जाती और न ही रखी जाती है। सभी विशेष/स्मारक डाक-टिकटों की बिक्री छापे गये डाक-टिकटों के समाप्त होने तक जारी रखी जाती है।

(ग) जी नहीं ।

(घ) पुनर्प्रसारण के लिए डाक-टिकट दुबारा नहीं छापे जाते । 55 न० पै० वाले डाक-टिकटों का स्टाक समाप्त हो चुका है ।

आन्ध्र स्टील कारपोरेशन विशाखापत्तनम

6363. **श्री जनार्दनन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में प्रबन्धकों द्वारा सीधे और ठेकेदारों के जरिये अलग-अलग आन्ध्र स्टील कारपोरेशन, विशाखापत्तनम में कितने कर्मचारी रखे गये ;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल किये गये ;

(ग) इनमें से कितने कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आते हैं ;

(घ) क्या दिसम्बर, 1967 में आन्ध्र स्टील कारपोरेशन कर्मचारी संघ से सरकार को कोई शिकायत मिली है ; और

(ङ) यदि हां, तो वह शिकायत क्या थी और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 31-3-67 को प्रबन्धकों द्वारा सीधे 224 श्रमिक रखे गये थे । ठेकेदारों के जरिये रखे गये श्रमिकों की संख्या निश्चित की जा रही है । उनसे सम्बन्धित रिकार्ड नियोजक ने अभी तक प्रस्तुत नहीं किये हैं ।

(ख) सीधे रखे गये 145 ; अभी तक ठेकेदारों का कोई भी श्रमिक कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल नहीं किया गया है और इस मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) सीधे रखे गये 220 ; ठेकेदारों के जरिये रखा गया कोई भी श्रमिक अभी तक शामिल नहीं किया गया है और इस मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) श्रमिकों की यूनियन ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को शिकायत की थी और उसकी एक प्रति भारत सरकार को भेजी थी ।

(ङ) यह शिकायत कुछ श्रम कानूनों की क्रियान्वित न किये जाने और उद्यम में औद्योगिक संबंधों के बारे में थी ।

औद्योगिक संबंध राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं और इसलिये राज्य सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना की गई है ।

जहां तक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के क्रियान्वित न किये जाने का प्रश्न है, ठेकेदारों के श्रमिकों को इनके अन्तर्गत लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

Investigations into Food Department Cases in U. P.

6364. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Uttar Pradesh has set up eight branches of C. I. D. at Meerut, Bareilly, Kanpur, Agra, Lucknow, Varanasi, Gorakhpur and Allahabad to investigate the cases relating to Food Department ;

(b) if so, the number of cases of smuggling, hoarding, etc. of foodgrains detected by the said units, District-wise; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). Information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Leases of Gram Sabha Lands in Uttar Pradesh

6365. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ;

(a) the number of complaints received during the period from the 3rd April to 31st December, 1967 regarding favouritism shown in respect of leases of lands belonging to Gram Sabha in Uttar Pradesh ;

(b) the nature of action taken against the Pradhans found guilty in the matter ;

(c) whether it is a fact that such complaints were also received against the Pradhans of village Pawsara of District Bulandshahr during the last three years ; and

(d) if so, the action taken against him ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) to (d). Information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the House when received.

Pumping Sets to Farmers of Gorakhpur

6366. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of farmers, who were given assistance for installing pumping sets and boring material through Gorakhpur Planning Office in that district in 1966-67 ;

(b) the names of those shopkeepers who supplied pumping sets and boring material and got them installed in various blocks, block-wise ;

(c) whether it is a fact that these shopkeepers got their payment without supplying the said material or doing the boring work, etc ; and

(d) if so, the action taken against the officers concerned for payment of such dues ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (d). The information is being collected from the State Government and would be laid on the Table of the Sabha on receipt.

कृषि अनुसंधान तथा प्रशिक्षण अनुदान

6367. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को कृषि अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिये वार्षिक अनुदान कितना दिया जाता है ; और

(ख) किसानों को अनुसंधान के परिणामों का लाभ पहुंचाने के लिये विस्तार कार्य पर कितने प्रतिशत राशि व्यय की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-757/68]

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि विस्तार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यक्षेत्र में नहीं आता।

डाक टिकटों का मुद्रण

6368. **श्री रवि राय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संविधान की अष्टम अनुसूची में दर्ज सभी भाषाओं में डाक टिकटें छापने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक वे छापे जायेंगे ; और

(ग) उसका व्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) मौजूदा नीति के अनुसार डाक-टिकट द्विभाषी अर्थात केवल हिन्दी और अंग्रेजी में छापे जाते हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

गांवों का विद्युतिकरण

6369. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गांवों के विद्युतीकरण के कार्यक्रम के पश्चात जस्ता चढ़ी नालियों, रबड़ की नालियों और उसके उपकरणों, वाड़ लगाने के समान, पम्पिग सेटों और उसके कंट्रोल करने, उपकरणों और उसके पुर्जों की मांग बहुत बढ़ गई है और परिणामतः मूल्य भी बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कम मूल लागत पर तथा बिना कठिनाई किसानों को ये उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक राज्य की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये उनको निश्चित कोटा नियत करने और समूचे भारत के लिये समान मूल्य नीति अपनाने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) पम्प सेटों के उत्पादन को नियमित करने के लिये ताकि एक समय में मांग की सकेन्द्रता न हो जाये और उससे ब्लैक मार्किटिंग, गड़बड़ी आदि न हो जाये ।

सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये :

(1) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे बिजली द्वारा तथा डीजल द्वारा चालित पम्प सेटों के बारे में अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगायें ।

(2) देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिये विभिन्न निर्माताओं की निर्माण क्षमता को तीव्र करना ।

(3) ऐसे प्रबन्ध किये गये जिससे राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं को भली प्रकार प्रस्तुत कर सकें ।

(4) राज्यों में स्थापित कृषि-उद्योग निगमों से अनुरोध किया गया कि वे पम्प सेटों की खरीद के लिये किसानों को किराया-खरीद सुविधायें अधिकाधिक दें ।

(5) समस्त निर्माताओं पर बल दिया गया कि वे किसानों को आवश्यक मरम्मत सुविधायें प्रदान करें ।

उपरोक्त उपायों से निर्माताओं में मुकाबला होने लगा और मूल्यों में गिरावट आई ।

(ग) और (घ). उपरोक्त उपायों को अपनाने से जो मुकाबला शुरू हुआ उसके कारण पम्प सेटों के लिए एक बाजार बन गया जिसमें प्रत्येक किसान अपनी मर्जी का पम्प सेट खरीद सकता है । कोटा पद्धति आवश्यक नहीं है क्योंकि सभी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देशीय निर्माण क्षमता पर्याप्त है और अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है ।

Import of Tractors from U. S. S. R.

6370. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1522 on the 22nd February, 1968 and state :

(a) the number of Russian tractors for which Government have placed an indent with U. S. S. R. this year ; and

(b) the factors to be kept in view while distributing these tractors to various States and the proportion in which they are to be distributed among them?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) No indent for the supply of tractors has been placed with U. S. S. R. during the current year.

(b) Distribution of Russian tractors will be considered after imports are finalized.

Purchase Price of Milk by D. M. S.

6371. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Milk Scheme authorities have raised the purchase price of milk to Rs. 110 per quintal at Gulaothi Milk Collection Centre with effect from January, 1968 as a result of which the persons supplying the milk at other Milk Collection Centres in Uttar Pradesh, Punjab and Haryana have also demanded a rise in price and have also gone on strike; and

(b) if so, the action taken by Government to meet the situation?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) Delhi Milk Scheme was confronted with very tough competition by Private Trade at its milk collection centre at Gulaothi, resulting in loss of large quantities of milk. Higher rates as follows had accordingly to be paid for purchase of milk at this centre.

Date	Rate at other centres per quintal	Rate at Gulaothi per quintal
17-1-68 to 24-1-1968	Rs. 90/-	Rs. 100/-
25-1-63 to 8-2-1968	Rs. 85/-	Rs. 100/-
9-2-68 to 16-2-1968	Rs. 85/-	Rs. 110/-

From 17-2-68 onwards prices at Gulaothi Centre were fixed at the same level as at other Centres, **viz.** Rs. 85 per quintal. Collection of milk was suspended by some of the dudhias (cycle carriers) for 4 days each at Dadri, Dankaur and Bhaun, 6 days at Siana and 7 days at Pilakhua in Feb., 1968 Milk Collection was suspended as a protest against decrease in price of milk from Rs. 90/- to Rs. 85/- per quintal with effect from 25-1-1968. The price of Rs. 89/- per quintal was fixed with effect from 25-2-1968 for all Centres including Gulaothi.

(b) The special circumstances which lead to increase in prices at Gulaothi were explained to dudhias and they restarted full supply.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

6372. **श्री शशिभूषण बाजपेयी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के कितने-कितने अधिकारी हैं ;

(ख) इनमें से कितने अधिकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति पर हैं ; और

(ग) इस संगठन में प्रतिनियुक्ति पर इतने अधिक कर्मचारी रखने का क्या औचित्य है जब कि इस संगठन को चलते हुए 15 वर्ष हो चुके हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 1.3.1968 को कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार थी :

कर्मचारियों की श्रेणी		**संख्या**
श्रेणी I	...	37
श्रेणी II	...	117
श्रेणी III	...	3,901
श्रेणी IV	...	534
	कुल...	4,589

(ख) उन कर्मचारियों की कुल संख्या जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति पर हैं इस प्रकार हैं :

श्रेणी I	...	11
श्रेणी II	...	42

(ग) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति व्यवहृत दक्षता बनाए रखने के लिए अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है ।

कर्मचारी भविष्य निधि मंडल

6373. **श्री शशि भूषण बाजपेयी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 1963 में संगठन के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिये यथासमय तथा 10 प्रतिशत स्थायी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये तुरन्त स्टाफ क्वार्टरों का उपबन्ध करने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने को रिहायशी मकान दिये गये हैं ;

(ग) ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितनों को रिहायशी मकान दिये गये थे ; और

(घ) क्या कर्मचारियों को रिहायशी मकान अलाट करने के संबंध में बोर्ड का निर्णय लागू नहीं किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) मई, 1963 में बोर्ड ने सेद्धांतिक रूप से और इस शर्त पर कि वित्तीय पहलुओं की जांच की जायेगी, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कानपुर और चण्डीगढ़ जैसे स्थानों के कर्मचारियों में 50 प्रतिशत स्थायी कर्मचारियों के लिये चरणात्मक कार्यक्रम के अनुसार क्वार्टरों के निर्माण की स्वीकृति दी थी । क्वार्टर बनने तक के समय के लिए बोर्ड ने उपरोक्त स्थानों में प्रादेशिक आयुक्तों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनियुक्त अधिकारियों और स्थायी कर्मचारियों में से 10 प्रतिशत के लिए, सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान पद्धति के अनुरूप, रिहायशी मकान किराये पर लेने की मंजूरी दी ।

(ख) से (घ). कानपुर में कुछ कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण चल रहा है । बम्बई और कलकत्ता में कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण के लिए जमीन खरीद ली गई है और मद्रास में जमीन लेने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है । दिल्ली में भी उपयुक्त जमीन लेने के लिए संबंधित अधिकारियों से पत्र-व्यवहार हो रहा है । प्रादेशिक आयुक्तों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकारों के उन अधिकारियों की संख्या जो प्रतिनियुक्ति पर हैं 63 है और संगठन के स्थायी कर्मचारियों के 10 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या 221 है । केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त,को प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों और प्रतिनियुक्ति पर आये आठ अन्य अधिकारियों के लिये रिहायशी मकान किराये पर लेकर दिये गये हैं । सहायता-प्राप्त आधार पर बड़े पैमाने पर मकानों को किराये पर लेने का कार्य इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इससे बहुत खर्च आता है और ऐसे कर्मचारियों की संख्या सीमित है जिन्हें किसी भी तरह सहायता-प्राप्त रिहायशी मकान दिये जा सकते हैं । किराये पर दिये गये रिहायशी मकान विशेष परिस्थितियों में और ऐसे विशेष अधिकारियों को दिये जाते हैं, जो सामान्य रूप में स्थानांतरित होने वाले होते हैं । किराये पर लिए गये रिहायशी मकान देने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनायी गई पद्धति को ध्यान में रखकर विचार करना पड़ेगा । इसी बीच सभी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर मिलने वाले मकान किराये भत्ते की दर से मकान किराया दिया जा रहा है ।

कर्मचारी भविष्य निधि का केन्द्रीय न्यासी बोर्ड

6374. **श्री शशि भूषण वाजपेयी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी संघ ने कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धक कार्य में कर्मचारियों के भाग लेने को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी नीति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) यह मांग स्वीकार नहीं की जा सकती । कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 5ए के अन्तर्गत केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और ऐसे प्रतिष्ठानों के नियोजकों एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू होती है । कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेने को उत्साह देने की सरकार की नीति औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होती है और न कि कर्मचारी भविष्य निधि जैसे संगठन पर, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को सहायता देना है और जिसका प्रबन्ध एक ऐसे बोर्ड द्वारा किया जाता हैं जिसमें श्रमिकों, कर्मचारियों और केन्द्रीय व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं । परन्तु, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के सेवा मामलों तथा अन्य शिकायतों का निपटारा करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सलाहकार मशीनरी के आधार पर एक सलाहकार मशीनरी के स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

6375. **श्री शशि भूषण वाजपेयी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों को उद्योगों/संस्थानों को अधिनियम के अन्तर्गत लाने की तथा कुछ परिस्थितियों में उन्हें अधिनियम के अन्तर्गत लाने की तिथि निर्धारित करने की व्यापक शक्तियां दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों के वेतनक्रम क्या हैं और क्या उनको दी गई शक्तियां उन पदों के वेतनक्रम के अनुकूल हैं ;

(ग) क्या प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों के हाथों शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिये सतर्कता की कोई व्यवस्था है ; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत कार्य-संचालन के विरुद्ध उद्योग तथा अंशदत्ताओं से प्राप्त अनेक शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सतर्कता व्यवस्था में अब तक कितने मामलों में कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 को उद्योगों/प्रतिष्ठानों पर लागू करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है । जिस तारीख से प्रतिष्ठान की स्थापना हुई हो और उसने अपने विकास की आरम्भिक अवस्था समाप्त की हो, उसे ध्यान में रखकर प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उसके अधिनियम के अन्तर्गत लाने की तारीख निश्चित कर सकते हैं ।

(ख) प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों के वेतन-क्रम निम्नलिखित हैं :

(i) ग्रेड I	1,000-50-1,400
(ii) ग्रेड II	900-40-1100-50/2-1250
(iii) ग्रेड III	700-40-1,100-50-2/-1150
(iv) ग्रेड IV	400-400-450-30-600-35-670-दक्षतारोक-35-950

उपरोक्त वेतन-क्रम प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय के काम की मात्रा और उसकी किस्म पर विचार करने के बाद निर्धारित किये गये हैं।

(ग) और (घ). केन्द्रीय भविष्य निधि-संगठन का एक सतर्कता अधिकारी है। इसके अतिरिक्त किसी प्रतिष्ठान को अधिनियम के अन्तर्गत लाने के बारे में कठिनाई या संशय होने पर संशय और कठिनाई को दूर कराने संबंधी निर्देश दिए जाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 19ए के अधीन केन्द्रीय सरकार को लिखा जा सकता है। वर्ष 1966 और 1967 में केन्द्रीय सरकार ने 100 से अधिक मामलों में निर्देश जारी किये। ये मामले सतकर्ता मशीनरी के पास तभी भेजे जाते हैं जबकि आवश्यकता प्रतीत हो। ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है।

राज्यों में अनाज का रक्षित भण्डार

6376. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में भी रक्षित भण्डार बनाने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और उसकी रूपरेखा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). आशय यह है कि देश में बफर स्टाक अंशतः केन्द्र के पास और अंशतः राज्यों के पास रहना चाहिये। बफर स्टाक रखने के राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए हैं।

Co-operative Societies in Bihar

6377. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of various types of Co-operative Societies formed in Bihar during the rule of the non-Congress Government;

(b) whether Government propose to give some special incentive to the State Government for the expeditious development of these societies; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) to (c). "Co-operation" is a subject included in the State List, and matters pertaining to them are within the purview of the State Government. The Central Government has no information on the points referred to in the Question nor has any request for special incentives been received from the State Government.

Educated Unemployed Persons in Bihar

6378. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total number of educated and uneducated unemployed persons in Bihar separately;

(b) whether the number of unemployed persons has decreased or increased during the Third Five Year Plan as against Second Five Year Plan and the extent of decrease or increase thereof;

(c) whether Government propose to give assistance to the State Government with a view to solve the problem of unemployment; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation: (Shri S. C. Jamir): (a) and (b). The only information available in this regard relates to the number of work-seekers on the live register of employment exchanges in Bihar which is given in the statements overleaf. **[Placed in Library. See No. LT-758/68]**

(c) and (d). Various development programmes in the field of industry, irrigation, power, transport and communications and social services such as education, health and social welfare in Bihar State Plan as well as in the Central Plan are expected to provide increasing employment opportunities in the State. The question of expanding the employment opportunities will also be kept in view while formulating the States' Fourth Five Year Plan which is expected to commence from April, 1969.

Study on Birds

6379. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the progress so far made in regard to the scheme drawn up by Government for conducting study regarding useful and harmful birds for crops;

(b) whether any scheme has been drawn up to protect the crops from harmful birds in the Fourth Five Year Plan; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). A scheme has been drawn up for creation of a section of Ornithology and other vertebrate pests of agriculture in the Entomology Division of Indian Agricultural Research Institute. The scheme is under active consideration of the Indian Council of Agricultural Research.

(c) It is proposed to undertake intensive investigations on various species of birds which are serious pests of agricultural and horticultural crops. The scheme also envisages study of methods of control of such birds.

Fodder Crops

6380. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the details regarding the programme of research drawn up by Government on an all-India basis in respect of fodder crops for animals;

(b) whether the items for research work have now been allocated to various Research Centres instead of different Centres doing research on one and the same item, as was the case in the past;

(c) the outcome of the research conducted so far;

(d) the new types of fodder evolved as a result thereof; and

(e) whether the seeds of these fodder have been distributed to farmers for sowing and if so, the acreage of land in which they have been sown so far and the reaction of farmers thereto?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) A "Co-ordinated Project for Research on Forage Crops" on an all-India basis is being formulated by the Indian Council of Agricultural Research. It envisages the following programme of research work:—

(1) Introduction, selection and breeding of varieties suited to varying agro-climatic conditions.

(2) Agronomic investigations to determine the optimum cultural, manurial and harvesting schedules under different agro-climatic conditions.

(3) Studies on the evaluation of herbage production of natural grasslands and on their improvement and management.

(4) Forage conservation to develop the technique of hay making and ensilage.

(5) Studies on seed production.

(b) Under the proposed scheme, the research work pertaining to various selected forage crops has been allocated to the participating six main stations and eight sub-stations representing distinct agro-climatic regions.

(c) The Project has not yet been sanctioned. However, the work carried out on fodder crops so far is given in the attached note. **[Placed in Library. See No. LT-758/68]**

(d) As a result of previous work in the country, a number of new or improved types of fodder crops have been evolved. Napier grass, Guinea grass, Para grass, Sudan grass, teosinte, Rhodes grass, M. P. chari and berseem are some of the important earlier introductions. Hybrid Napier, Oats (Kent), Pusa Giant Anjan, Deenanath grass and Kudzu vine, are some of the recent introduction. The I. A. R. I. has developed Tetraploid berseem which gives very high forage yields especially in the first two cuts.

(e) The seeds of most of the above fodder crops are being regularly distributed to the farmers through the State Deparments of Animal Husbandry/Agriculture.

No information is available on the extent of area under these improved fodder crops.

There is an increasing demand for the improved seeds/planting material especially of berseem, cowpeas, oats, Hybrid Napier etc., indicating a favourable response from the cultivators.

Requirement of Fertilisers

6381. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Food and Argiculture** be pleased to state:

(a) the maximum quantity of nitrogen, phosphate and potash required per acre for securing full production of hybrid maize, jawar and millet and the quantity of fertilisers required for growing maize, jawar and millet from ordinary but improved seeds; and

(b) the estimated acreage of land proposed to be brought under cultivation of hybrid maize, millet and jawar in 1970-71?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-759/68]**

(b) It is planned to cover 16.18 lakh hectares under each of the hybrids of maize, jowar and bajra by 1970-71.

मध्य प्रदेश में वनरोपण योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

6382. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 14 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 293 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सागवान के वनों और ताड़ के वनों को पुन: लगाने तथा जल्दी उगने वाले पेड़ पोधों को लगाने के कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु मध्य प्रदेश सरकार की प्रार्थना पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने निम्नलिखित वन विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता हेतु भारत सरकार से प्रार्थना की :

(1) 10,000 एकड़ क्षेत्र में टीक वनों के रोपण के लिए 20 लाख रुपये ।

(2) फार्म फारैस्टरी के लिए 10 लाख रुपये ।

(3) क्विक ग्रोइंग स्पैसीज की योजना के अन्तर्गत वर्तमान दर 200 रुपये प्रति एकड़ से 250 रुपये प्रति एकड़ राजसहायता और 50 रुपये प्रति एकड़ ऋण के रूप में बढ़ाना ।

फिर भी सन् 1968-69 के लिए वन सम्बन्धी अपनी वार्षिक योजना प्रस्तावों में मध्य प्रदेश सरकार ने अविकसित वनों (जिनमें टीक वन भी शामिल हैं) के रोपण सम्बन्धी योजना के लिए केवल 11.3 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया । सन् 1968-69 के लिए फार्म वन हेतु राज्य सरकार ने किसी व्यवस्था का प्रस्ताव नहीं किया । प्लान स्कीम सम्बन्धी इन विशेष वित्तीय प्रस्तावों के मुकाबले मध्य प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया कि मुख्य मंत्री के पत्र में सुझाये गए मदों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध किया जाये, किन्तु उन्होंने इन राशियों को सन् 1968-69 की राज्य की वार्षिक योजना में शामिल नहीं किया ।

वार्षिक योजना चर्चा के समय दिसम्बर, 1967 में वन सम्बन्धी वर्किंग ग्रुप ने इस स्थिति पर विचार किया और निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :

(1) "रिहैबिलीटेशन आफ डिग्रेटिड फारेस्ट्स" की योजना के अधीन टीक वनों के रोपण के लिए सन् 1968-69 में 11.33 लाख रुपये की सिफारिश की। यह अनुभव किया गया कि इस शुरुआत से योजनावधि के दौरान टीक वनों के 10,000 एकड़ क्षेत्र को रोपण करना सम्भव हो सके (इस योजना के लिए केन्द्रीय सहायता का आदर्श 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 30 प्रतिशत ऋण के रूप में देना है)।

(2) यद्यपि सन् 1968-69 के लिए "फार्म फोरेस्टरी" योजना हेतु राज्य सरकार ने किसी राशि का प्रस्ताव नहीं किया, तथापि सन् 1968-69 के दौरान इस योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 3 लाख रुपये की सिफारिश की गई।

(3) भारत सरकार के लिए इस बात के लिए सहमत होना सम्भव नहीं है कि 'क्विक ग्रोइंग स्पैसीज' की योजना के लिए 200 रुपये तक सहायता के वर्तमान दर में संशोधन किया जाये।

खाद्यान्न का रक्षित भंडार

6383. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 लाख टन अनाज का रक्षित भण्डार बनाने की योजना में कटौती की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कटौती की जायेगी और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (**श्री अन्नासाहिब शिन्दे**) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अल्मोड़ा परियोजना के लिये सहायता

6384. **श्री हिम्मतसिंहका** :
श्री बलराज मधोक :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्मोड़ा में खाद्य तथा कृषि संगठन तथा जर्मन सहयोग से जिन परियोजनाओं को आरम्भ किया गया है, उनका ब्योरा क्या है, कितने एकड़ में फार्म स्थापित किया गया है, वहां कौन-सी फसलों की काश्त की जायेगी तथा परियोजना के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में सहायता कहां से मिलेगी ; और

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा कितनी लगेगी तथा इससे होने वाले लाभ का कितना भाग विदेशी सहयोगी अपने देश भेज सकेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत-जर्मन खाद्य और कृषि संगठन परियोजना के अन्तर्गत, जिसका उद्घाटन 4 मार्च, 1968 को अल्मोड़ा में हुआ था, शुरू में अल्मोड़ा जिले के गारूर, बागेश्वर तथा कामकोटे नायम 3 विकास खण्डों की लगभग 4,000 एकड़ सिंचित भूमि को इस योजना के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। चुने हुए क्षेत्र के समस्त फार्म परिवारों को परियोजना के अन्तर्गत लाया जायेगा । परियोजना में धान, गेहूं तथा आलू की अधिक उत्पादनशील किस्मों को बोया जा रहा है। बीजों, उर्वरकों, वनस्पति रक्षा उपकरणों, कृषि औजारों व मशीनों की सप्लाई व सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं। कृषकों के प्रशिक्षण देने व पैकेज की विधियों के प्रदर्शन द्वारा खेती की उन्नत विधियों को लोकप्रिय बनाने का कार्य भी शुरू किया जायेगा।

फैड्रल जर्मनी की सरकार 1967-68 की अवधि में 271.510 डेम्स अर्थात् लगभग 5.1 लाख रुपये के मूल्य का 1070 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध करेगी। उपलब्ध संकेतों के अनुसार पश्चिमी जर्मनी की सरकार संभवतः उत्पादन संसाधनों मशीनों की उपलब्धि के अतिरिक्त अपने विशेषज्ञों की सेवायें भी उपलब्ध करेगी जिसमें आगामी 23 वर्षों की अवधि में उपरोक्त परियोजना का एक संपूर्ण योजना के रूप में विकास हो सके।

(ख) योजना की मौजूदा रूपरेखा के अनुसार भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार को विदेशी मुद्रा के रूप में कुछ व्यय नहीं करना पड़ेगा। फैड्रल रिपब्लिक जर्मनी द्वारा दिये जाने वाले उर्वरक उपहार रूप में प्राप्त होंगे। अतः लाभ को विदेश भेजने का प्रश्न ही नहीं होता।

आम की खेती

6385. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक ढंग से आम की खेती करने का सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) गत समय आम सम्बन्धी कई अनुसन्धान योजनाओं पर भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने धन लगाया और जो परिणाम प्राप्त हुए उनका भी कुछ चुने हुए राज्यों में "स्कीम फार दी ट्रायल्ज आन इम्प्रूव्ड कल्चरल एण्ड मैनुरियल प्रैक्टिसिज इन फ्रूट्स" नामक एक योजना के अधीन नमूने के तौर पर परीक्षण किया गया।

अनुसन्धान के परिणामों को प्रसारण के लिए राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया।

हाल ही में फलों सम्बन्धी एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजना जिसमें आम शामिल है बनाई गई है। यह परियोजना उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं को सुलझायेगी और इस प्रकार वैज्ञानिक ढंग से आमों की खेती में सहायक होगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

राजनैतिक दलों के प्रभावाधीन कार्मिक संघ

6386. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने और कौन-कौन से कार्मिक संघ हैं, जिन पर राजनैतिक दलों का प्रभाव है ;

(ख) उनके नाम क्या हैं और वे किस-किस राजनैतिक दल के प्रभाव में हैं ;

(ग) राजनैतिक दलों से सम्बद्ध इन कार्मिक संघों के सदस्यों की संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) ऐसे मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों की संख्या कितनी है जो देश में किसी भी दल के प्रभाव में नहीं हैं और उनकी सदस्यों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) राजनैतिक दलों के प्रभावाधीन तथा प्रभाव से दूर दोनों प्रकार के मान्यता-प्राप्त कार्मिक संघों की वित्तीय स्थिति कैसी है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार के पास यह सूचना नहीं है।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली के चिड़ियाघर के प्राधिकारियों द्वारा पक्षियों को चुराने वालों की गिरफ्तारी

6387. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के चिड़ियाघर के प्राधिकारियों ने जोरदार पीछा करके तीन सशस्त्र चोरों के एक गिरोह को हाल ही में गिरफ्तार किया था ;

(ख) क्या यह गिरोह दिल्ली के चिड़ियाघर से पक्षियों की चोरी के लिए जिम्मेदार रहा है ; और

(ग) भविष्य में पक्षियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली चिड़ियाघर के तालाब से बाहर उड़ते हुए कुछ पक्षियों का शिकार करते समय शिकार करने वाली एक पार्टी को हाल ही में पुलिस की सहायता से पकड़ा गया था।

(ख) चिड़ियाघर का कोई पक्षी गुम नहीं है। परन्तु एक शिकारी पार्टी कुछ चलते-फिरते पक्षियों का शिकार करते देखी गई थी।

(ग) दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वह दिल्ली चिड़ियाघर व इसके आस-पास के क्षेत्र को सुरक्षित घोषित करे ताकि इस क्षेत्र में कोई शिकार न कर सके।

हरियाणा में निष्क्रान्त सम्पत्ति की नीलामी द्वारा बिक्री

6388. **श्री सूरज भान** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा में ग्राम्य निष्क्रान्त भूमि की नीलामी केवल हरिजनों के लिये की जाती है ;

(ख) क्या हिसार जिले में भिवानी तहसील में सिवानी गांव में हरियाणा सरकार की इस स्थायी नीति का पालन नहीं किया गया, जहां नवम्बर, 1967 में केवल हरिजनों को नीलामी में दी जाने के लिये आरक्षित भूमि हरिजनों के अधिकार और दावे की उपेक्षा करके आरक्षित मूल्य पर अनधिकृत कब्जेदारों को दे दी गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हरियाणा सरकार ने इन आदेशों को रद्द करने के बजाय इन आदेशों को समूचे सिसवानी कानूनगो सर्किल पर, जिसमें 100 से अधिक गांव हैं, लागू कर दिया है और इस प्रकार हरिजनों को लगभग 40,000 एकड़ भूमि से वंचित कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो हरिजनों के हित के विपरीत किये गये कार्य को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां, छोटे-छोटे टुकड़ों को छोड़कर जो एक एकड़ से अधिक नहीं हैं और उन मालिकों की जोत से घिरे हुए हैं जो अनुसूचित जन-जाति के सदस्य नहीं हैं।

(ख) से (घ). भूतपूर्व पंजाब राज्य में अतिरिक्त निष्क्रान्त भूमि राज्य सरकार को जून, 1961 में एक मुश्त सौदे में हस्तान्तरित कर दी गई थी। पंजाब सरकार ने उसके बाद (2-5-1962 को) यह निर्णय लिया कि सारी निष्क्रान्त ग्राम्य भूमि जो अधिकृत और अनधिकृत कब्जेदारों के कब्जे में थी जिनमें हरिजन भी शामिल हैं और जिसकी खरीफ 1960 या उससे पूर्व से निरन्तर जुताई की जा रही थी, 5 मानक एकड़ की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुये, उनकी अपनी जोत को मिलाकर, यदि कोई हो, निर्धारित दरों पर उन कब्जेदारों को हस्तान्तरित कर दी गई थी। इस निर्णय का अनुसरण करते हुये सेवानी गांव की भूमि कब्जेदारों को राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित की जा रही है। इसलिये इन हस्तान्तरणों में उपरोक्त (क) के अधीन दी गई नीति के अपवाद का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन

6389. **श्री दीवीकन : श्री कमलनाथन् :**
श्री दुरायरासु : श्री मयावन :
श्री सुब्रावेलू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन ने इस्तीफा देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण त्याग-पत्र देने का विचार किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष ने सरकार को अपना पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है लेकिन उन्होंने यह संकेत नहीं दिया है कि वे किन परिस्थितियों में ऐसा करना चाहते हैं ।

Condolence Messages by Telegrams

6390. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce the sending of condolence messages by telegrams in same manner as in the case of greetings telegrams ;

(b) if so, when it will be introduced ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). A suggestion in this regard is under examination.

(c) Does not arise.

महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में भूमिहीन श्रमिकों का पुनर्वास

6391. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित उस योजना का ब्योरा क्या है जिसके अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में भूमिहीन श्रमिकों को बसाया जा रहा है; और

(ख) कितने व्यक्तियों को और कितनी भूमि दी गई है और इस योजना पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना जिसके अन्तर्गत बेकार भूमि के सुधार तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों के पुर्नवास के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है, महाराष्ट्र के योतमाल जिला को

छोड़कर लगभग सभी राज्यों में चालू है। योजना के लिए केन्द्रीय सहायता देने का आदर्श निम्न प्रकार है :

(1) **सुधार पर लागत—**

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ अनुदान तथा ऋण बराबर-बराबर वहन करती है, बशर्ते नियतित की गई भूमि का सीलिंग 300 रु० प्रति एकड़ तक हो।

(2) **पुनर्वास में आरम्भिक खर्च—**

अनुदान	75 प्रतिशत
ऋण	25 प्रतिशत

बशर्ते प्रति परिवार 750 रुपया की सीलिंग हो।

(ख) उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार योतमाल जिला में लगभग 41,31,630 रुपये की लागत पर लगभग 18,738 एकड़ क्षेत्र 2475 परिवारों को नियत किया गया है।

ईंटों की बनी खत्तियां

6392. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने खाद्यान्न स्टोर करने के लिये गारे और ईंटों की एक खत्ती का आविष्कार किया है;

(ख) क्या इस बात की संतुष्टि करने के लिये पर्याप्त परीक्षण किये गये हैं कि क्या यह खत्ती विभिन्न राज्यों की स्थानीय दशाओं में उपयुक्त सिद्ध होगी ;

(ग) क्या इस खत्ती की कीमत उचित होगी ताकि इसको सारे किसान खरीद सकें; और

(घ) यदि हां, तो इस खत्ती को गांवों में लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गांवों में अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिये "पूसा बिन" का आविष्कार किया है। इस ढांचे का वर्णन कुछ समाचार-पत्रों में "अनाज के भंडारण के लिये गारे और ईंटों की खत्ती" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ है।

(ख) इस भंडारण ढांचे का विवरण 1959 में जब प्रथमबार एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था तबसे इसका विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अवधियों में परीक्षण हुआ है। इसका परीक्षण दिल्ली राज्य के 7 गांवों, संस्थान के वनस्पति विज्ञान के उप-केन्द्र, पूरा (बिशार) जिला बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) के चार जिलों, राजकीय फार्म भुवनेश्वर (उड़ीसा) और दक्षिण भारत के तंजौर जिले के दो गांवों में किया गया है।

(ग) यह ढांचा कम कीमत पर तैयार हो जाता है और इसको सभी कृषक आसानी से खरीद सकते हैं।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विस्तार सेना कार्यकर्ताओं और प्रगतिशील कृषकों के लिये 7 से 12 मार्च, 1968 तक एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रबन्ध किया गया। इस प्रशिक्षण पाठ्क्रम में मुख्यतः "पूसा बिन" के निर्माण और उपयोग का प्रदर्शन करना था। 12 मार्च, 1968 को जब समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों ने इस संस्थान का दौरा किया तो उन्हें इस भंडारण ढांचे के निर्माण और उपयोग के विषय में बताया गया। देश के विभिन्न भागों में कई समाचार-पत्रों में इस ढांचे का विवरण प्रकाशित हो चुका है।

Installations of Telephones in Jabalpur

6393. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications for telephone connections pending in Jabalpur at present ;

(b) the number of applications pending for the longest period along with their period ;

(c) the reasons for not installing telephones in these cases so far ;

(d) whether Government have also received complaints from Jabalpur that applications submitted later were provided with connections whereas the older applications are still pending ; and

(e) if so, the reasons therefor and whether action would be taken against officials responsible thereof ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 1,208.

(b) The oldest application is dated 25-2-63.

(c) Shortage of exchange capacity and non-availability of essential stores.

(d) No such complaints have been received but the rules permit provision of out-of-turn connections on recommendation of the Telephone Advisory committee.

(e) Does not arise.

कोचीन में टेलेक्स-केन्द्र

6394. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में टेलेक्स-केन्द्र चालू हो गया है;

(ख) क्या त्रिवेन्द्रम में एक ऐसा ही केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसके वहां कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। इस वर्ष 18 मार्च को एक 100 लाइन की टेलेक्स प्रणाली चालू की जा चुकी है।

(ख) जी हां।

(ग) दिसम्बर, 1970।

केरल को चावल का नियतन

6395. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1968 के लिये केरल को कितना चावल नियत किया गया है; और

(ख) इसमें कितना चावल देशी है तथा कितना आयातित ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). मार्च, 1968 के लिये केरल में भारतीय खाद्य निगम के डिपो को कुल 76,557 मीटरी टन चावल की मात्रा आवंटित की गयी थी। इसमें से 61,334 मीटरी टन आन्तरिक स्रोत से और 15,223 मीटरी टन आयात से प्राप्त चावल आवंटित किया गया था। 500 मीटरी टन चावल पांडिचेरी से सीधे केरल सरकार को आवंटित किया गया था।

विदेशी तेल समवायों द्वारा कर्मचारियों की छंटनी

6397. **श्री जुगल मंडल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 7 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 518 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोखले जांच आयोग ने विदेशी तेल समवायों द्वारा कर्मचारियों की छंटनी के मामले में इस बीच जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी तक आयोग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जून, 1968 के शुरू तक इसके प्राप्त होने की आशा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कालीनोली डाकघर का पोस्ट मास्टर

6398. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कालीनोली डाकघर मिदनापुर के पोस्ट मास्टर ने बचत बैंक के खाते से लगभग एक लाख रुपये का गोलमाल किया है;

(ख) क्या वह बचकर पाकिस्तान भाग गया है; और

(ग) यदि हां, तो जमाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) ऐसी सूचना मिली है कि कालिंदी (कालीनोली नहीं) शाखा डाकघर, पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त विभागीय

शाखा पोस्टमास्टर मिर्जा शमसुद्दीन वेग ने बचत बैंक से लगभग 23,438 रुपये की रकम का गोलमाल किया है।

(ख) अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर फरार है और पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि वह पाकिस्तान भाग गया है।

(ग) जमाकर्ताओं के दावों की जांच की जा रही है और इनमें से असल पाये जाने वाले दावों का निपटान कर दिया जाएगा।

बेरोजगारी

6399. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों में रोजगार दिलाऊ केन्द्रों में कुल कितने बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज हुए ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक रोजगार दिया गया है ;

(ग) उनमें कितने व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक हैं और कितने भूतपूर्व सैनिकों को अब तक रोजगार दिलाया गया है; और

(घ) हैवी इलैक्ट्रिकल्स, हरिद्वार और हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक्स, ऋषिकेश में कितने गैर-तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार दिलाऊ केन्द्रों के माध्यम से नियुक्त किया गया है और उनमें कितने व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) से (ग). जानकारी नीचे दी गई हैं :

(हजारों में)

प्रार्थियों की श्रेणियां	सन् 1958-67 के बीच नाम दर्ज कराने वाले	सन् 1958-67 के बीच नियुक्ति सहायता पाने वाले
1	2	3
1—नियुक्ति सहायता चाहने वाले सभी श्रेणी के अभ्यार्थी	34,207	4,261
2—भूतपूर्व सैनिक	641	106

(घ) अलग-अलग संस्थापनों के बारे में जानकारी इकट्ठी नहीं की जाती है।

रबी की फसल की वसूली के बारे में कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन

6400. **श्री हेमराज** :

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबी की फसल की वसूली तथा उसके निम्नतम मूल्य निर्धारित करने के लिये कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-** 760/68]

चावल मिलें

6401. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों के नियंत्रण में रबड़ रोलर ग्राइंडिंग शेलर चावल मिलें आरम्भ की हैं;

(ख) विदेशों से कितनी और किस-किस मशीनरी का आयात किया है; और

(ग) मिलों की संख्या कितनी है और वे किस-किस स्थान पर हैं ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सात आधुनिक चावल मिलों (रबर रोलर शेलरज सहित) को प्रायोगिक अध्ययन और मूल्यांकन कार्यक्रम के एक अंश के रूप में आयात कर स्थापित किया गया था । इनमें से छ: सहकारी क्षेत्र में हैं ओर एक मिल राज्य सरकार के नियन्त्रण में सरकारी क्षेत्र में बिक्रमगंज (बिहार) में स्थापित की गयी है । ये मिलें निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं ।

(1) तिरूवरूर (मद्रास) ।
(2) तड़ेपल्ली गुड़म (आन्ध्र प्रदेश) ।
(3) माडया (मैसूर) ।
(4) रायपुर (मध्य प्रदेश) ।
(5) बारगढ़ (उड़ीसा) ।
(6) मेमारी (पश्चिमी बंगाल) ।
(7) बिक्रमगंज (बिहार) ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई

6402. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रवि राय :
श्री मयावन :
श्री दंडपाणि :
श्री दीवीकन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजदूर समाज केन्द्र के सचिव और दिल्ली दुग्ध योजना के कुछ

भूतपूर्व कर्मचारियों ने हाल में एक पत्रकार सम्मेलन में यह कहा था कि यद्यपि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा जनता को नये कार्ड नहीं दिये जा रहे हैं फिर भी अधिकारियों द्वारा जारी की गई चिटों के द्वारा दूध दिया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि दूध के "बूथों" में काम करने वाले लड़के लड़कियां इन चिटों के आधार पर दूध नहीं देते तो उन्हें परेशान किया जाता है ;

(ग) क्या केन्द्र ने उन्हें एक ज्ञापन भेजा है जिसमें दिल्ली दुग्ध योजना के कार्यकरण में विभिन्न कदाचारों की जांच करने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । विशेष परिस्थितियों में चिकित्सीय आधार पर अस्थायी स्लिप जारी की जाती हैं ।

(ख) जी नहीं । यदि विशेष मामले अध्यक्ष के सामने लाये जायें तो दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही की जायेगी ।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के "बूथों" पर काम करने वाले अंश कालिक कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

खाद्यान्नों के संग्रह की व्यवस्था

6403. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के संग्रह की व्यवस्था के बारे में कृषि मूल्य आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उचित भांडागार व्यवस्था के लाभों के बारे में कृषकों को अवगत कराने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस सम्बन्ध में मुख्य सिफारिश यह है कि सरकारी क्षेत्र में संचयन क्षमता बढ़ायी तथा युक्तियुक्त की जानी चाहिये और विशेषतया अधिशेष क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां अधिक उपज देने वाली किस्में बोई गयी हैं, वहां पर संचयन क्षमता बढ़ाने पर अब बल दिया जाना चाहिये ।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध संचयन क्षमता विशेषतया अधिप्राप्ति वाले क्षेत्रों में बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जा रही है और इस सम्बन्ध में पंजाब तथा हरियाना में गोदाम बनवाने के

लिए एक 'क्राश' कार्यक्रम शुरू किया गया है। अन्य अधिशेष क्षेत्रों में जहां संचयन क्षमता अपर्याप्त है, वहां इसे बढ़ाने के लिये प्रस्तावों पर विचार हो रहा है।

(ग) इस सम्बन्ध में किये गए उपाय बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कृषकों को खाद्यान्न के उचित संग्रह के लाभों से अवगत कराने के लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, वे संक्षेप में नीचे दिये गये हैं :

1. देश के विभिन्न भागों में कुछ चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में "अन्न बचाओ आन्दोलन" की मार्गदर्शी परियोजना के दौरान खाद्यान्न के उचित संग्रह की विधियों के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई। इस विषय पर तकनीकी परामर्श तथा साहित्य या अनुदेश भी दिए या सप्लाई किये जा रहे हैं।

2. खाद्यान्नों को वैज्ञानिक विधि से संग्रहागारों में रखने के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने के लिए हापुड़ स्थित अनाज भण्डागार अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र में नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।

3. धातु भण्डागार आधान पात्रों के लिए डिजाइन बना लिये गये हैं जिसमें "हापुड़ ठेक्का" भी सम्मिलित है। जो किसानों के प्रयोग के लिये उपयुक्त हैं और इन्हें उनमें प्रचलित भी किया जा रहा है। सरकार द्वारा बनाये गये डिजाइनों के आधार पर कई वाणिज्यिक फर्मों ने इस्पात आधान पात्रों के निर्माण और कृषकों को इनकी सप्लाई का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्नों के वैज्ञानिक ढंग पर संग्रह करने को बढ़ावा देने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिये तथा खाद्यान्न को जब तक वह किसानों की अभिरक्षा में है क्षति से बचाने के लिये किसानों में धातु भण्डागार आधान पात्रों (मेटल स्टोरेज बिन्ज) को प्रचलित करने के लिए मार्च, 1968 में "खाद्यान्न के स्टोरेज" पर चन्दीगढ़ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें कृषकों, व्यापारियों, सहकारी प्रशासनों, अनुसंधान, संस्थानों आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

4. चूहों से बचाव के क्षेत्र में आतंचनरोधी (ऐंटि कोआगुलेंट्ज) जो कि चारे के रूप में दी जाती हैं और अल्यूमिनियम फास्फाइड की गोलियां जो कि चूहों के बिलों में प्रधूमड़ के लिये प्रयोग की जाती हैं बहुत कामयाब सिद्ध हुई हैं। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वह सरकारी कृषि फार्मों में इन प्रक्रियाओं टेकनीक को लाएं जिससे कि ये कृषकों और व्यापारियों आदि के लिए उदाहरण (आदर्श) का काम दें।

5. ग्रामीण भण्डारों में खाद्यान्न को कीटों से बचाने के लिये, "हापुड़ फयूम" को [इथाइलिन ब्रोमाइड प्रधूमद संपुटक (ऐम्पूल) में बन्द की हुई] जो कि हापुड़ के प्रशिक्षण केन्द्र में बनाई गई है कृषकों और व्यापारियों आदि में प्रचलित किया जा रहा है।

6. नाभा, शिमला, बिचपुरी (आगरा) और उदयपुर के क्षेत्रीय केन्द्रों में ग्राम सेवकों और अन्य विस्तार कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। इन केन्द्रों में ग्रामीण भण्डागार के "तकनीक के संबंध में अब तक 350 कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण मिल चुका है।

7. अनाज को गोदामों में जमा करके रखने के बारे में व्यवहारिक अनुसंधान प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से एक दीर्घ-कालीन उपाय के रूप में "कृषि तथा सामुदायिक खाद्यान्न भंडार विकास" सम्बन्धी योजना आरंभ की गयी है।

भविष्य निधि में अंशदान

6404. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भविष्य निधि में तथा नियोजकों तथा कर्मचारियों द्वारा देय अंशदान की अनिवार्य दर क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार का विचार इस अंशदान की दर बढ़ाने का है; और

(ग) इस प्रकार की अनिवार्य भविष्य निधि योजनाओं को कौन-कौन से उद्योगों में लागू करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) (1) **कोयला खान भविष्य निधि** : कुल वेतन का 8 प्रतिशत।

(2) **कर्मचारी भविष्य निधि** : (i) उसके अन्तर्गत आये 112 उद्योगों/प्रतिष्ठानों के वर्गों में से 71 में वेतन का 8 प्रतिशत। (ii) उसके अन्तर्गत आये शेष उद्योगों/प्रतिष्ठानों के वर्गों में से वेतन का $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत 14 और उद्योगों / प्रतिष्ठानों के वर्गों में अंशदान की दर 8 प्रतिशत तक बढ़ाने का एक प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-** 761/68]

गोरखपुर जिले में डाकघर

6405. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कितने डाकघर हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में इस जिले में कितने डाकघर खोले गये हैं; और

(ग) आगामी पांच वर्षों में उस जिले में कितने डाकघर खोलने का सरकार का विचार है और वे डाकघर कहां-कहां खोले जायेंगे ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 395

(ख) 25

(ग) अगले पांच वर्षों में खोले जाने वाले डाकघरों की योजना तैयार नहीं की गई है ।

खेती की मशीनरी पर कर

6407. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में एक किसान द्वारा खेती की मशीनरी, सिंचाई के उपकरणों और परिवहन के साधनों की खरीद पर क्या शुल्क और कर लगाये जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि खेती की मशीनरी और उपकरणों की रेल तक मुफ्त गन्तव्य स्थान की कीमत, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्र से दूर के स्थानों में, बहुत अधिक है और उस मूल्य में किसान उन्हें नहीं खरीद सकते ; और

(ग) यदि हां, तो मशीनरी और उपकरणों के मूल्यों में समानता लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य

6408. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग द्वारा विभिन्न वस्तुओं के लिये नियत मूल्य अलग-अलग राज्यों के लिये अलग-अलग हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आयोग द्वारा खाद्यान्नों के मूल्य नियत करते समय किन मूल बातों को ध्यान में रखा जाता है ; और इसका ब्योरा क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई, रागी, जूट, कपास और गन्ने के न्यूनतम मूल्यों की सिफारिश कृषि मूल्य आयोग द्वारा की जाती है । धान और गेहूं के सम्बन्ध में ये मूल्य विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं और यही स्थिति अन्य खाद्यान्नों के विषय में है । आयोग द्वारा सिफारिश किया गया जूट का न्यूनतम मूल्य कलकत्ते में आसाम बौटम के सम्बन्ध में है । इसकी विभिन्न कोटियों में अन्तर और ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों के लिये न्यूनतम डेरीवेटिव मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । कपास के सम्बन्ध में न्यूनतम सहाय मूल्य की सिफारिश मूल

किस्म अर्थात् 'एम० पी० विरनार-फाइन 27/32' के सम्बन्ध में की गई। गन्ने के विषय में न्यूनतम मूल्य चीनी की प्रतिशत वसूली से सम्बन्धित है।

न्यूनतम मूल्यों के अतिरिक्त धान, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई और रागी के क्रय मूल्यों की भी सिफारिश की जाती है। विभिन्न राज्यों के लिये ये मूल्य विभिन्न-विभिन्न हैं।

(ख) न्यूनतम मूल्यों/क्रय मूल्यों में अन्तर्राज्यीय अन्तर के लिये किसी राज्य का आधिक्य और अभावग्रस्त स्थिति को दृष्टि में रखने के साथ-साथ अभावग्रस्त राज्यों में उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन देने और अन्तर्राज्यीय मूल्यों में असामनता को कम करने की आवश्यकता पर भी विचार किया जाता है।

(ग) खाद्यान्नों के न्यूनतम क्रय मूल्यों की सिफारिश करते समय हाल के खुले बाजार भावों के रुझान, कृषि पर होने वाले व्यय, अन्तर्राज्यीय, अन्तर्सक्ष्य, अन्तर्अन्न और अन्तर्मोसम की तुल्यता पर समग्र राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से विचार किया जाता है।

रूस और चैकोस्लोवाकिया से ट्रैक्टरों का आयात

6409. **श्री अ० सिं० सहगल :**
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस तथा चैकोस्लोवाकिया से ट्रैक्टरों के आयात के अतिरिक्त किसी अन्य देश से रुपये में भुगतान के आधार पर कोई पेशकशें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 45 से 65 तक की अश्व शक्ति के विभिन्न माडलों के रूमानियन व्हील ट्रैक्टरों की सप्लाई के विषय में एक पेशकश प्राप्त हुई है। अभी तक पेशकश पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

Maxim Gorky Commemorative Stamps

6410. **Shri J. B. Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4638 on 21st March, 1968 and state :

(a) the number of the postage stamps bearing the fascimile of Maxim Gorky sold at various Post Offices in Delhi on the first day of its issue ;

(b) the total sale proceeds in respect of these stamps ; and

(c) the number of such postage stamps issued in the names of eminent foreigners during the last five years ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 69280 stamps worth Rs. 10,392·00.

(b) Total sale figures are being collected and will be placed on the Table of Sabha later.

(c) Six.

Commemorative Stamps of Late Deen Dayal Upadhyaya

6411. **Shri J. B. Singh :**
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received copies of the Resolutions passed at some places in Madhya Pradesh demanding that a commemorative postage stamp bearing the fascimile of the Late Deen Dayal Upadhyaya should be issued ;

(b) if so, whether Government propose to do so ; and

(c) if so, when ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). We have not so far received any copy of resolutions from Madhya Pradesh demanding the issue of a commemorative stamp in honour of the Late Shri Deen Dayal Upadhyaya. However, a proposal in this regard has been received from Lucknow, which will be placed before the Philatelic Advisory Committee for consideration.

दूध और घी की कमी

6412. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दूध और घी की अत्यन्त कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दूध और दूध के बने पदार्थों की मात्रा 284 ग्राम प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकता है जबकि देशीय स्रोतों से उपलब्ध दूध तथा दूध से बने पदार्थ 119 ग्राम है।

(ख) राज्य सरकारों ने पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कई पशु तथा डेरी विकास योजनायें शुरू की हैं। केन्द्रीय सरकार ने भी कुछ पशु विकास योजनायें चलाई हैं जिनसे दूध के उत्पादन में तीव्रता आ रही है। इस सम्बन्ध में अधिक महत्वपूर्ण योजनायें निम्नलिखित हैं :

1. **मुख्य ग्राम योजना** :

इस योजना का उद्देश्य दूध बढ़ाना और पशुओं की कार्य करने की क्षमता बढ़ाना है। इस योजना में पशु विकास कार्यक्रम के लिये चुने हुए क्षेत्रों में मुख्य ग्राम खण्डों की स्थापना शामिल हैं। प्रत्येक ब्लाक में लगभग 10,000 प्रजनन योग्य पशु हैं और नियंत्रित प्रजनन पर्याप्त चारा

सांड़ों का नपुंसीकरण, रोग नियंत्रण आदि जैसे पशु विकास कार्यक्रमों पर भी ध्यान दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 479 मुख्य ग्राम खण्ड जिनमें लगभग 50 लाख प्रजनन पशु हैं देश के विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 52,123 चुने हुए बछड़ों को साहाय्य पालन के लिये लिया गया है।

2. **गहन पशु विकास योजना :**

पशु विकास को तीव्र करने की दृष्टि से 27 गहन पशु विकास परियोजनायें देश के विभिन्न भागों में बड़ी डेरी परियोजनाओं के दुग्धालयों में स्थापित की गई हैं। ये व्यापक परियोजनायें हैं जो नियंत्रित प्रजनन, पर्याप्त चारा, रोग नियंत्रण, सांड़ों का नपुंसकीकरण जैसे पशु विकास के सभी पक्षों पर ध्यान देती हैं।

3. **संकर प्रजनन योजना :**

पशुओं के दूध उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिये विदेशी पशुओं से देशीय पशुओं की उत्पत्ति हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्यों में वितरित करने के लिये विभिन्न देशों से पशु आयात करने के अलावा केरल, हिमाचल प्रदेश तथा मैसूर में सांड़ों की उत्पत्ति के लिए इंडो-स्विस प्रोजैक्ट फार ब्राऊन स्विस इंडो-जर्मन प्रोजैक्ट फार स्पोटिड हाई लैन्डर एण्ड इंडो-डैनिश प्रोजैक्ट फार रैड डाने कैटल जैसे 2 सेंट्रल जर्सी फार्म तथा 3 इन्टरनेशनल कालेबोरेशन फार्म स्थापित कर दिये गये हैं।

4. **गोशाला विकास योजना :**

इस योजना के अन्तर्गत चुनी हुई गोशालाओं को पशु-प्रजनन एवं दूध उत्पादन केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिये ले लिया गया है। द्वितीय योजना में स्कीम के शुरू होने के बाद विभिन्न राज्यों में 379 गोशालाओं को विकास कार्य के लिये ले लिया गया है।

5. **फीड एण्ड फाडर डेवलपमेंट स्कीम :**

दुधारू पशुओं के लिये बेहतर आहार सुनिश्चित करने हेतु और उनका दूध बढ़ाने के लिये उन्नत चारा की सप्लाई शुरू कर दी गई है।

6. **समान्वित पशु-प्रजनन कार्यक्रम :**

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रेड सिंधी, थारपार कर मुर्रा, सुर्ती तथा विदेशी पशुओं के लिये 6 केन्द्रीय पशु-प्रजनन फार्मों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। ये फार्म चुने हुए स्टेट फार्मों को प्रजनन शक्ति वाले सांड़ों की भी सप्लाई करेंगे।

7. डेरी सहकारी समितियों का कार्य आयोजित किया गया है। ये सहकारी समितियां दुधारू पशुओं, पशुओं तथा चारा आदि खरीदने के लिये दुग्ध उत्पादकों को ऋण के रूप में आर्थिक सहायता दे रही हैं। अच्छे दूध के लिए शीघ्र अदायगी करके उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

8. **अन्य योजनाएं :**

इसके अतिरिक्त (1) स्टेट लाइवस्टाक फार्मों का विस्तार, (2) काफ रीयरिंग स्कीम,

(3) कैटल शोज एण्ड मिल्क यील्ड कम्पीटीशन तथा (4) पशु विकास तथा दुग्ध उत्पादन कार्यक्रमों में सहायता करने के लिये वीर्य परीक्षण योजना आदि अन्य योजनायें हैं।

9. **स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण का आयात :**

पब्लिक सैक्टर डेरियों को स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण सप्लाई किया जाता है ताकि महत्वपूर्ण शहरों में कम कीमत वाले दूध की सप्लाई को तीव्र करने के लिये टोन्ड दूध तथा डबल टोन्ड दूध तैयार किया जा सके। वर्ष 1967-68 के दौरान लगभग 4,776 टोन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण सप्लाई किया गया है और वर्ष 1968-69 के लिए 10,831 टोन सप्लाई करने की सम्भावना है।

इस प्रकार देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रभावशाली कार्यक्रम शुरू किया गया है और ऐसी सम्भावना है कि ये उपाय देश में दूध की कमी को पूरा करने में बहुत सहायता देंगे।

दुग्ध चूर्ण का आयात

6413. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष विदेशों से दुग्ध चूर्ण के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ख) क्या यह सच है कि यह दुग्ध चूर्ण लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिकर है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 261.14 लाख रुपये।

(ख) जी नहीं।

नेपाल श्रम संगठन का प्रतिनिधि मंडल

6414. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल श्रम संगठन का एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हाल में भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिनिधिमण्डल केन्द्रीय सरकार के निमन्त्रण पर यहां आया था अथवा नेपाल सरकार के अनुरोध पर ; और

(ग) इस प्रतिनिधिमण्डल के साथ भारत सरकार ने क्या विचार-विमर्श किया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) नेपाल श्रम संगठन का एक पांच-सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल 20 मार्च, 1968 को भारत पहुंचा। इस प्रतिनिधिमण्डल का 6 अप्रैल, 1968 तक भारत में ठहरने का कार्यक्रम है।

(ख) यह प्रतिनिधिमण्डल भारत सरकार के निमंत्रण पर यहां आया है ।

(ग) इस प्रतिनिधिमण्डल के साथ कोई विचार-विमर्श करना निश्चित नहीं हुआ है। उनके यहां आने का उद्देश्य उन्हें श्रम मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले चुने हुए संस्थान और महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान, दोनों बड़े और छोटे पैमाने के, दिखाना है ।

Licensing for the Purchase and Sale of Chemical Fertilizers

6415. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of persons and Companies, State-wise, to whom Central Government have issued licences for the purchase and sale of Chemical fertilizers ; and

(b) the terms and conditions for issuing such licences ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) (a) : The Central Government do not issue Licences for the purchase and sale of Chemical Fertilisers. Such Licences are given by the State Governments.

(b) Question does not arise.

भारत में खाद्यान्न की कमी

6416. **श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिये किन-किन देशों से खाद्यान्न का आयात किया जायेगा और प्रत्येक देश से कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा; और

(ख) खाद्यान्न की कितनी कीमत का भुगतान स्टर्लिंग में किया जायेगा और कितनी कीमत का रुपयों में ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वित्तीय वर्ष 1968-69 में अब तक बर्मा, कनाडा, संयुक्त अरब गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका से खाद्यान्न आयात करने के लिये प्रबन्ध कर दिये गये हैं। आयात की जाने वाली प्रस्तावित मात्राएं इस प्रकार हैं :

(हजार मीटरी टन में)

देश का नाम	गेहूं	माइलो	चावल	जोड़
बर्मा	—	—	94	94
कनाडा	263	—	—	263
संयुक्त अरब गणराज्य	—	—	40	40
संयुक्त राज्य अमेरिका	2219	332	—	2551
जोड़	2482	332	134	2948

1968-69 के लिये 65 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात करने का अनुमान लगाया गया है। शेष मात्रा जिन देशों से आयात की जानी है उसके बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

(ख) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि वित्तीय वर्ष 1968-69 में कुल आयात का भुगतान कितना स्टर्लिंग में और कितना रुपयों में करना होगा क्योंकि खाद्यान्नों की शेष मात्रा किन देशों से आयात की जायगी और उसके लिये जो मूल्य तथा भाड़ा देना होगा वे अभी मालूम नहीं हैं।

श्रम मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी

6417. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक मंत्रालय में कुछ ऐसे अनुभाग अधिकारी काम कर रहे हैं जो अन्य पदालियों के लिये नियत किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कितने हैं और उनकी विशेष अर्हताएं क्या हैं ; और

(ग) उन्हें इन पदों पर बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) श्रम और रोजगार विभाग में ... 5

पुनर्वास विभाग में 3

इन सब अधिकारियों के नाम गृह-मंत्रालय द्वारा जारी की गई चुने हुए अनुभाग अधिकारियों की सूचियों में शामिल हैं।

(ग) इन दोनों विभागों के संवर्गों में अनुभाग अधिकारियों की कमी है। इन अधिकारियों की सेवाएं गृह-मंत्रालय द्वारा उनके सम्बन्धित संवर्गों में से अस्थायी तौर पर उपलब्ध की गई हैं। इन दो विभागों को गृह-मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध कराये जाने पर इन अधिकारियों को उनके सम्बन्धित संवर्गों में भेज दिया जायेगा।

भारत साधु समाज

6418. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत साधु समाज का गठन कब किया गया था और उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या वह उस उद्देश्य में सफल हुआ है जिसके लिये उसकी स्थापना की गई थी; और

(ग) सरकार द्वारा आज तक नकद धन तथा वस्तुओं के रूप में कितनी सहायता दी गई और यदि इस समय कोई आवर्ती अनुदान किया जा रहा है तो कितना ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) बताया गया है कि इस संस्था को कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई है ।

डाक तथा तार विभाग में राजपत्रित पद

6419. **श्री सूरज भान** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में डाक तथा तार विभाग में ऐसे कितने राजपत्रित पद हैं जिन पर नियुक्ति होने पर रिहायशी मकान अवश्य दिये जाते हैं ;

(ख) इन पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अलग-अलग कितने अधिकारी काम कर रहे हैं ; और

(ग) क्या भविष्य में इन पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों को नियुक्त करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 42

(ख) कोई नहीं ।

(ग) निर्दिष्ट पदों के लिये अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर और सेवा के हितों की दृष्टि से की जाती है । इसके लिये जाति और समुदाय का ध्यान नहीं रखा जाता ।

दिल्ली में टी० ई० डब्ल्यू० एस० के श्रेणी दो के अधिकारी

6420. **श्री सूरज भान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टी० ई० डब्ल्यू० एस० के श्रेणी दो के कितने अधिकारी 6 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली में काम कर रहे हैं ;

(ख) 6 वर्षों की कालावधि से अधिक समय तक उनके दिल्ली में बने रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनका दिल्ली से तबादला कब करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 1 मार्च, 1968 को 36 व्यक्ति काम कर रहे हैं जिनमें से 9 की इस वर्ष स्थानान्तरण की बारी है ।

(ख) सेवा की आवश्यकताओं के कारण, सहानुभूति के आधार पर और सेवानिवृत्ति की दृष्टि से ।

(ग) उनके स्थानान्तरण के प्रश्न पर इस वर्ष अप्रैल-मई में विचार किया जायेगा ।

दिल्ली टेलीफोन जिला में लाइनमैनों की भर्ती

6421. **श्री सूरज भान :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन जिला में हाल में लाइनमैनों की कोई **भर्ती** की गई है ;

(ख) यदि हां, तो लाइनमैनों के कुल कितने पद रिक्त हैं ;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिए कितने-कितने पद आरक्षित थे ;

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोगों ने इन पदों के लिए आवेदन पत्र भेजे थे और उनमें से कितने व्यक्तियों का चयन किया गया ; और

(ङ) आरक्षित पदों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का चयन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां, जनवरी तथा फरवरी, 1968 में ।

(ख) 100 रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये थे जिनमें से 50 विभागीय उम्मीदवारों के लिये और 50 गैर-विभागीय उम्मीदवारों के लिये थे ।

(ग) अनुसूचित जाति 15

अनुसूचित जनजाति··· 2

(घ) कोई नहीं ।

(ङ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये गैर-विभागीय कोटा में आरक्षण था अर्थात् 50 रिक्त स्थान । रोजगार दफ्तरों द्वारा कोई भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का उम्मीदमार नहीं भेजा गया । फिर भी विभागीय उम्मीदमारों में से अनुसूचित जाति के 8 उम्मीदवार चुन लिये गये ।

डाक व तार विभाग, दिल्ली में राजपत्रित पद

6422. **श्री सूरज भान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में डाक व तार विभाग में (एक) डाक (दो) रेलवे डाक सेवा (तीन) तार और (चार) इंजीनियरी स्कन्धों में राजपत्रित पदों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) इन पदों पर अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और कितने समय में ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हरियाना की घुन लगे गेहूं की रोलर फ्लोर मिलों को निर्बाध बिक्री

6423. **श्री गजराज सिंह राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 14 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 655 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस महीने में बाजार में नई फसल के आ जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए रोलर फ्लोर मिलों को घुन लगे गेहूं की बिना रोक टोक बिक्री की अनुमति देने सम्बन्धी हरियाना सरकार के प्रस्ताव पर इस बीच सरकार द्वारा कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मामला किस स्थिति में है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) मामला अभी भी विचाराधीन है ।

संविधान के अनुच्छेद 209 का निर्वाचन

6424. **श्री रवि राय :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 209 का सार्वजनिक निर्वाचन किया है, जिसके अन्तर्गत पंजाब का राज्यपाल वहां उत्पन्न हुए गतिरोध को मिटाने के लिये आदेश जारी कर सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन लोगों ने उनसे कानूनी परामर्श मांगा था और उन्होंने क्या परामर्श दिया था ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम): (क) और (ख). प्रेस प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे संवैधानिक मामलों के बारे में मेरे विचार जानने चाहे जो कि पंजाब विधान सभा को उसके बजट सत्र के बीच अध्यक्ष द्वारा दो मास के लिये स्थगित किये जाने से पैदा हुए थे ।

मैंने संविधान के उन उपबन्धों की व्याख्या की जो इस मामले से सम्बन्धित हैं और यह विचार प्रकट किया कि राज्यपाल वित्तीय कारबार के सम्बन्ध में विधान मण्डल में प्रक्रिया विनियमित करने के लिये अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है ।

रामाकृष्णपुरम (नई दिल्ली) के लिये दिल्ली दुग्ध योजना का दुग्ध वितरण केन्द्र

6425. **श्री मनी भाई जे० पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली में सैक्टर 9 के निवासियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि दूध का वितरण करने के लिये उस सैक्टर में दिल्ली दुग्ध वितरण केन्द्र खोला जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) वहां ऐसा वितरण केन्द्र खोलने में कितना समय लगने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक अस्थाई स्थान पर दुग्ध केन्द्र खोला जा रहा है । एक स्थाई दुग्ध केन्द्र के निर्माण के लिये उपयुक्त स्थान तलाश किया जा रहा है ।

दिल्ली में राशन की दुकानों में आयातित गेहूं

6426. **श्री दामानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम से दिल्ली में राशन की दुकानों में आयातित गेहूं के स्टाक को वापस लेने के लिये कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

6427. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री समर गुह :
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :
श्री नाथ पाई :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्रीमती सुचेता कृपालानी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री प० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने 28 मार्च, 1968 को हड़ताल करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या कुछ कर्मचारियों ने सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों में छोटे-छोटे दल बना कर भूख हड़ताल शुरू कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने और संकट को टालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार खाद्य कर्मचारी एसोसियेशन ने 28-3-1968 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने के निर्णय से अवगत किया था । देश के

विभिन्न भागों में थोड़े से कर्मचारियों ने खाद्य विभाग और भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न यूनिटों में बैचों में भूख-हड़ताल भी की थी। एसोसियेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हुई थीं और यह निर्णय हुआ कि उनकी मांगों पर आगे सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। इसके परिणामस्वरूप, एसोसियेशन ने 28 मार्च, 1968 को होने वाली सांकेतिक हड़ताल का नोटिस वापिस ले लिया था।

डाइरेक्टोरेट आफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वेरेन्टाइन एण्ड स्टोरेज

6428. **श्री म० ला० सोंधी :**

श्री अमृत नाहाटा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डायरेक्टोरेट आफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वेरेन्टाइन एण्ड स्टोरेज को फरीदाबाद ले जाया जा रहा है, जिस पर लगभग चार लाख रुपये खर्च होंगे ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) पौद रक्षा संगरोध तथा संचयन निदेशालय के स्टाफ से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और पूर्णतया विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया कि निदेशालय के स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्णय में कोई परिवर्तन न किया जाये।

सभा-पटल रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 16 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 499 में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०**-738/68]

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले पांच विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-739/68]**

अत्यावश्यक वस्तु के अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 21 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 363 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 412 में प्रकाशित हुआ था।

(2) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-740/68]

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (तेरहवां संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 21 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 579 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-741/68]**

कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनाएं अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:

(क) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस (दूसरा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 17 फरवरी, 1968 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 312 में प्रकाशित हुई थी।

(ख) राजस्थान कोयला खान बोनस (दूसरा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 17 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 313 में प्रकाशित हुई थी।

(ग) आसाम कोयला खान बोनस (दूसरा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 17 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 315 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण।
[**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०**-742/68]

(2) रोजगार कार्यालय (रिक्तयों को अनिवार्यतः अधिसूचित करना) अधिनियम, 1959 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रोजगार कार्यालय (रिक्तयों को अनिवार्यतः अधिसूचित करना) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 23 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 648 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-743/68]

कलकत्ता पत्तन में हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: STRIKE AT CALCUTTA PORT

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि कलकत्ता पत्तन की हड़ताल, जो 29 मार्च की सुबह से प्रारम्भ हुई थी, कल सम्बन्धित पक्षों के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप आज सुबह समाप्त हो गयी है। चूंकि अब हड़ताल समाप्त हो गई है, अतः मेरा प्रस्ताव है कि मैं इस बात का ब्योरा न दूं कि यह हड़ताल किन परिस्थितियों में हुई और कैसे समझौता हुआ है। फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूं कि कलकत्ता पत्तन श्रमिक संघ ने अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन कमिश्नर को भेजे गये अपने 4 मार्च, 1968 के पत्र में 20 मांगों का उल्लेख किया जो स्थानीय प्रकृति की थी। पत्तन कमिश्नरों और संघ के प्रतिनिधियों ने आपस में विचार-विमर्श किया और सीधी बातचीत के द्वारा अनेक मामलों पर समझौता हो गया। दुर्भाग्यवश कुछ मांगों पर 28 मार्च तक कोई समझौता न हो सका और 29 मार्च की सुबह को संघ ने हड़ताल कर दी। इस पर तुरन्त क्षेत्रीय श्रम कमिश्नर ने हस्तक्षेप किया और समझौता कार्यवाही शुरू की गयी। ये समझौता-वार्ताएं जिन मुख्य मांगों से सम्बन्धित थीं वे नीचे दी जा रही हैं :

(1) 'बी' और 'सी' श्रेणी के गैंगों को 'ए' श्रेणी के गैंग में रखना ;

(2) निम्न श्रेणी क्लर्कों को परीक्षा के बजाय प्रवरता के आधार पर उच्चतर श्रेणी क्लर्क के पदों पर पदोन्नत करना।

(3) पत्तन कमिश्नर के कर्मचारी, श्री सरोज रंजन कार को अपने पहले के पद पर, पूरे वेतन तथा भत्तों सहित पुनः स्थापन। श्री कार को अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत अपने प्रवर अधिकारी पर हमला करने के लिये दण्ड के रूप में नीचे के छोटे पद पर रख दिया गया था।

कल और विचार-विमर्श के बाद इन मामलों पर समझौता हो गया है और समझौते की शर्तों पर कल रात सहमति और हस्तक्षर हो गये हैं। पहले मामले पर यह सहमति हुई है कि तदर्थ आधार पर मौजूदा 'बी' श्रेणी के 300 कामगरों को 'ए' श्रेणी में पदोन्नत किया जाय और 'सी' श्रेणी के सब कामगरों, जिनकी संख्या 60 है, को 'बी' श्रेणी में मिलाया जाय और 'ए' श्रेणी की रिक्ताओं को भरने के लिये और 'बी' श्रेणी से 'ए' श्रेणी में और पदोन्नति करने के लिये और विचार-विमर्श होगा।

दूसरे मामले में यह सहमति हुई है कि इस पर अलग से और विचार-विमर्श होगा और यदि किसी निर्णय पर सहमति न हो तो विचाराधीन विषयों पर सहमति के आधार पर मामला पंच फैसले को सौंपा जायेगा।

जहां तक अंतिम मामले का सम्बन्ध है दोनों पक्षों के उससे सम्बन्धित मतभेद के बाबत सहमति हो गयी है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात में सहमत होंगे कि यह संतोष का विषय है कि स्थानीय मांगों पर स्थानीय स्तर पर ही बातचीत द्वारा समझौता हो गया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूं ......

अध्यक्ष महोदय : हम एक विशिष्ट प्रक्रिया के अनुसार काम करते हैं। जब मंत्री स्वतः वक्तव्य देता है, तो प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : हड़ताल सात दिन तक चलती रही थी और आपने इस दौरान एक भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा अल्प सूचना प्रश्न की अनुमति नहीं दी थी।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मंत्री महोदय ने स्वतः वक्तव्य दिया है। परन्तु उन्होंने वक्तव्य हड़ताल खत्म हो जाने पर दिया है। हड़ताल के दौरान हमने ध्यानाकर्षण प्रस्तावों तथा अल्प सूचना प्रश्न की सूचनाएं दी थीं, जिन्हें जान बूझ कर अस्वीकार कर दिया गया और अब हड़ताल खत्म होने के बाद यह वक्तव्य दिया जा रहा है। जीवन बीमा निगम में भी हड़ताल होने वाली है। लगभग 40,000 कर्मचारी कल हड़ताल करेंगे। वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया है। उन्हें इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया मेरी बात सुनें। देश में प्रतिदिन हड़तालें होती हैं – चाहे वह हड़ताल जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की हों, स्कूल शिक्षकों की अथवा खाद्य

निगम के कर्मचारियों की । यदि प्रत्येक हड़ताल के बारे में हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करने लगे, तो हमें अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलेगा। मैं यह नहीं कहता कि यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है। यह विषय भी महत्वपूर्ण है । मैं तो केवल सभा की प्रक्रिया स्पष्ट कर रहा हूं। यदि हम हड़तालों पर चर्चा करने लगे, तो हमें अन्य विषयों के लिए समय नहीं मिलेगा । अब वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के बारे में चर्चा की जायेगी तथा उन पर मतदान होगा ।

अनुदानों की मांगें, 1968-69
DEMANDS FOR GRANTS, 1968-69

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय — जारी

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : महोदय, कल मैं माननीय मंत्री के उन प्रयत्नों का का उल्लेख कर रहा था, जो उन्होंने कीनिया में रहने वाले भारत मूल के उन लोगों के लिये किये हैं, जिनके पास ब्रिटिश पारपत्र हैं। 6 मार्च, 1968 को अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने सभा को बताया था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सुझाव दिया है कि 1500 व्यक्तियों की सीमा को बढ़ाकर 15,000 कर दिया जाये तथा 15 अथवा 20 वर्ष की जो अवधि निर्धारित की गई है, इसको घटा कर दो अथवा तीन वर्ष कर दिया जाये । ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अधिनियम बनाया गया है, उसमें व्यक्तियों की कोई सीमा नहीं रखी गई है और इसलिये उसे लचीला अधिनियम समझा जाना चाहिए । मंत्री महोदय के प्रयत्न कुछ हद तक सफल रहे हैं, परन्तु हमें अपनी बात पर जोर देते रहना चाहिए।

जहां तक कीनिया का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय ने गत महीने की 14 तारीख को उस देश की यात्रा की थी । अपनी यात्रा के सम्बन्ध में वक्तव्य देते हुए उन्होंने सभा को बताया था कि सभा को यह जानकर खुशी होगी कि कीनिया सरकार ने उन लोगों के, जो वहां के नागरिक नहीं हैं, परमिट की अवधि एक से दो वर्ष बढ़ाने का निर्णय कर लिया है । उन लोगों में भारतीय मूल के वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनके पास ब्रिटिश और उपनिवेशी पारपत्र हैं। उन पारपत्रों का नवीकरण कराना होगा । मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में जबकि कीनिया के लोगों तथा भारत सरकार और कीनिया सरकार के बीच बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं, अधिक से अधिक यही किया जा सकता था, जो कुछ किया गया है । यद्यपि सरकार की कीनिया नीति की आलोचना की गई है तथा कहा गया है कि उपयुक्त वातावरण पैदा किये बिना श्री० बी० आर० भगत को कीनिया की यात्रा नहीं करना चाहिए थी, परन्तु यदि हम वर्तमान परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए उनकी यात्रा के परिणामों का मूल्यांकन करें तो हम कह सकते हैं कि वह बहुत हद तक अपने उद्देश्यों में सफल रहे हैं ।

श्री मसानी ने परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध सन्धि का उल्लेख करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है, जब कि कुछ ही महीनों के अन्दर सरकार को यह निर्णय करना होगा कि हमें

इस संधि पर हस्ताक्षर करने चाहिये अथवा नहीं तथा उन्होंने सलाह दी है कि सरकार को शीघ्र ही इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने चाहिये। उन्होंने यह भी कहा है कि सन्धि में यह उपबन्ध किया गया है कि 90 दिन की पूर्व सूचना देकर, हम अपने आप को संधि से विमुक्त कर सकते हैं, इस लिये हमें उस सन्धि को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर हम अपने आप को सन्धि से अलग कर सकते हैं। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1965 के युद्ध काल में हमें जो कटु अनुभव हुआ है, उसको देखते हुए अन्तिम निर्णय करने से पहले सरकार को इस प्रश्न पर पूर्णरूप से तथा शांति से विचार करना चाहिये और जल्दबाजी में इस सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किये जाने चाहियें। "नाटो" देशों ने पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में हथियार दिये थे तथा पाकिस्तान पर यह स्पष्ट शर्त लगाई गई थी कि इन हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जायेगा, परन्तु पाकिस्तान ने यह बहाना बना कर कि भारत ने उस पर पहले हमला किया है, उन हथियारों का खुलेआम भारत के विरुद्ध इस्तेमाल किया।

हमारा पड़ोसी देश परमाणु हथियार बना रहा है तथा ऐसी स्थिति में क्या हम बड़ी शक्तियों की प्रस्तावित गारंटियों पर निर्भर रह सकते हैं? आप जानते हैं कि हमारे दो पड़ोसी—चीन और पाकिस्तान—हमारे प्रति हमेशा शत्रुता का रवैया अपनाते हैं। इसलिये इस बात की संभावना के होते हुए कि भविष्य में ये दोनों देश हम पर आण्विक हमला कर सकते हैं, क्या हम बिना शर्त सहायता और गारंटी पर, जो हमें देने का प्रस्ताव है, निर्भर रह सकते हैं? इसलिये मैं उस मत से सहमत हूं कि इसके गुण दोषों तथा इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने के परिणामों की जांच करने के लिये देश के उत्तरदायी नेताओं की एक समिति गठित की जाये। श्री मसानी द्वारा जो यह बात कही गई है कि क्योंकि इस सन्धि में 90 दिन का समय दिया हुआ है, इसलिये हमें इस पर हस्ताक्षर कर देने चाहिये तर्कहीन है, क्योंकि शत्रु हमला करते समय हमें 90 दिन तो क्या 90 मिनट का भी समय नहीं देगा। इसलिये इस प्रश्न पर देश के हित तथा सुरक्षा की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए।

वियतनाम युद्ध के बारे में मैं राष्ट्रपति जानसन के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि वह वियतनाम युद्ध को सीमित करना चाहते हैं तथा इस पर गम्भीर रूप से विचार किया जाना चाहिए। हमें सभी सम्बन्धित पक्षों के सहयोग से सभी सम्बन्धित पक्षों को बमबारी रोक कर बातचीत करने के लिये पहल करनी चाहिए।

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : इस बात से सहमत होते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा को कुछ धक्का लगा है, हमें इस बात का गर्व है कि हम संसदीय प्रजातंत्र स्थापित करने में सफल रहे हैं, जब कि पिछले 20 वर्षों में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमरीका तथा पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश तानाशाही के शिकार हो गये हैं। विभिन्न विफलताओं के होते हुए भी हम देश में औद्योगिक आधार बनाने में सफल हुए हैं, तथा हमारी क्षमता कई गुना बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने हमारी प्रशंसा की है तथा उन्होंने कहा है कि भारत को अब एक विकसित देश समझा जाना चाहिए। इस वर्ष हमारे कृषि उत्पादन में भी बहुत अधिक बृद्धि हुई है। इन सब बातों के परिणामस्वरूप हमारे पड़ोसी देशों तथा विश्व

के अन्य राष्ट्रों में हमारा सम्मान बढ़ना चाहिए था, परन्तु इन सब के होते हुए भी हमारे सम्मान को धक्का लगा है। इससे पता चलता है कि हमारी विदेश नीति में कोई आमूल त्रुटि जरूर है और यही समय है कि हम अपनी विदेश नीति की समीक्षा करें।

महोदय, विदेश मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन को पढ़ने से पता चलता है कि यह प्रतिवेदन हमारे देश में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की यात्राओं तथा उनके सम्मान में आयोजित किये गये समारोहों एवं हमारी सरकार के उच्च पदाधिकारियों की विदेश यात्राओं के वृतान्त का तिथिवार ब्योरा है। इस प्रतिवेदन में ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं है जिससे यह आभास मिल सके कि दुनिया की घटनाओं के सन्दर्भ में अपनी विदेश नीति के गुण-दोषों का पुनः मूल्यांकन करने के उद्देश्य से संसार की स्थिति का अध्ययन करने का कोई प्रयास किया गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रतिवेदन को एक मूल मंत्र को सामने रख कर तैयार किया गया है और वह मूल मंत्र है— शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। मैं शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि यह एक ऐसी नीति है जिसको सब राष्ट्र मानते हैं, परन्तु जिसका पालन किसी देश द्वारा नहीं किया जाता। जब हम ने यह नीति बनाई थी, तब में और विश्व की अब की स्थिति में आमूल परिवर्तन हो गया है। जब हम ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी तब हमने सोचा था कि हमारा कर्तव्य संसार में अपनी स्वतंत्रता पर जोर देना, किसी बड़ी शक्ति से गठजोड़ न करना तथा संसार में किसी ऐसी तीसरी शक्ति का निर्माण करना है, जो दो बड़ी शक्तियों के बीच खड़ी होगी, अपना प्रभाव डालेगी और ऐसे संकट को टालेगी, जो इन दो बड़ी शक्तियों के बीच भेद भाव के कारण हो सकता है। उस समय संसार के देश दो धड़ों में बटे हुए थे — एक धड़ा रूस का तथा दूसरा संयुक्त राज्य अमरीका का। लेकिन इस समय विश्व की स्थिति बहुत बदल गई है। इस समय संसार की क्या स्थिति है ? यदि एक दृष्टि से देखा जाये, तो संसार का सबसे अधिक गुट निरपेक्ष देश साम्यवादी चीन है, क्योंकि इसने विश्व साम्यवाद से नाता तोड़ कर रूसी पुनरीक्षणवाद का विरोध किया है तथा उसी कठोरता से अमरीकी साम्राज्यवाद का मुकाबला किया है। दूसरी दृष्टि से पाकिस्तान सबसे अधिक गुट निरपेक्ष देश है, क्योंकि वह सब राष्ट्रों से मिला हुआ है — अर्थात अमरीका से भी, चीन से भी और रूस से भी। अपने देश के बारे में हम यह कह सकते हैं कि वह किस देश से मिला हुआ है तथा किस देश से नहीं। हम अमरीका से भी सहायता लेते हैं और रूस से भी। यदि आज भी बांडुंग के दिन वापिस ला सकें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार चीन के साथ समझौता कर लेगी। मैं समझता हूं कि ऐसा करना न केवल इसलिये जरूरी है कि हम अपने पड़ौसियों के साथ शान्तिपूर्वक रह सकें, बल्कि एक एशियाई व्यक्तित्व के निर्माण के लिये भी जिसका हमने बांडुगं में प्रयास किया था, ऐसा करना जरूरी है।

बहुत सी अन्य ऐसी बातें हैं, जिनको हम नहीं समझ सके हैं, तथापि हम इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि हम उन्हें समझने में असमर्थ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम राष्ट्रपति जानसन और प्रधान मंत्री कोसीजिन की ग्लासबरो में हुई बैठक का, जिसके फलस्वरूप गतवर्ष अरब-इसराइल युद्ध बन्द हुआ था, पूरा प्रयोजन नहीं समझ सके हैं। इसके अतिरिक्त

इस समय तक भी, हम वियतनाम की स्थिति का अनुमान अच्छी तरह से नहीं समझ सके हैं। हम इस बात को भी समझने में असमर्थ रहे हैं कि यूरोप में क्या क्या नई शक्तियां पैदा हो रही हैं। हम यह भी नहीं समझ सके हैं कि साम्यवादी गुट के देशों में भी राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो रही है और यह राष्ट्रवाद केवल चीन में ही नहीं, अपितु यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया तथा रूमानिया में भी पैदा हो रहा है। आज का संसार का गुट सापेक्ष संसार है और गुट निरपेक्षता बिल्कुल निरर्थक है।

परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध सन्धि के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस सन्धि के बारे में हमारा रवैया भ्रमपूर्ण है। एक ओर तो हम कहते हैं कि यह सन्धि सम्पूर्ण नहीं है और साथ ही दूसरी ओर हम कहते हैं कि सम्पूर्ण सन्धि की बात सोचना अवास्तविक होगा तथा हम इस नीति को पसन्द करते हैं कि एक के बाद दूसरा कदम उठाया जाये। हमारा कहना है कि आण्विक शस्त्रों को नष्ट करने तथा आण्विक प्रौद्योगिकी के विकास को रोकने का दायित्व आण्विक राष्ट्रों पर, इस सन्धि के द्वारा लागू नहीं किया है, परन्तु हम यह नहीं कहते कि चीन के, जो इस सन्धि में शामिल नहीं है और इसलिये इस सन्धि के किसी दायित्व से बाध्य नहीं है, आण्विक आक्रमण को कैसे रोक सकेंगे और इसे दूर कर सकेंगे।

हम कहते हैं कि इस सन्धि से हमारे जैसे परमाणु शक्तिविहीन देशों पर असमान भार पड़ता है, क्योंकि इस सन्धि के अनुसार शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये परमाणु शक्ति के विकास कार्यों को भी अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति एजेन्सी की देखरेख में किया जायेगा किन्तु हमने यह नहीं कहा है कि हम परमाणु शक्ति के प्रयोग को अपने देश में शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए किस प्रकार आगे बढ़ायेंगे। कुछ परमाणु शक्ति संयंत्रों के लिये – चाहे वह ट्राम्बे में है अथवा तारापुर में– कुछ मित्र देशों ने रिएक्टर सप्लाई किये हैं और वे राष्ट्र इस सन्धि में शामिल होंगे। अब यदि हम इस सन्धि में शामिल नहीं होते हैं तो उस स्थिति में उन देशों की अनुसंधान सम्बन्धी कार्यवाही हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी। अतः यह हमारे हित में होगा कि हम इस सन्धि पर हस्ताक्षर करें। सरकार को यह भी समझना चाहिए कि यह सन्धि अपरिवर्तनीय नहीं है। इनमें पंचवर्षीय पुन-विलोकन का उपबन्ध किया गया है। सन्धि में संशोधन करने का उपबन्ध है, जो इसमें शामिल देशों के बहुमत के आधार पर किया जा सकता है और ऐसे देश स्वभावतः परमाणु शक्तिविहीन देश ही होंगे। इसमें यह भी उपबन्ध है कि सन्धि से सम्बन्ध विच्छेद भी किया जा सकता है और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को अक्षुण्य रखा जा सकता है। अतः हमें इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर देने चाहिये।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के बाद दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : हमारे देश के सम्मुख बड़ी-बड़ी विकट समस्याएं हैं और जैसा कि स्वाभाविक है, उनमें से अधिकांश वैदेशिक मामलों से सम्बन्धित हैं। परन्तु यदि हम आज विश्व के देशों में भारत के स्थान को देखते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि विदेशी मामलों के सम्बंध में हमारी नीति सफल नहीं रही है। दक्षिण-पूर्व एशिया में हमारी नीति बुरी तरह विफल रही है। पश्चिम एशिया में भी हमारी गलतियों के कारण हमारी नीति असफल रही है। हमारी परमाणु शक्ति सम्बन्धी नीति भी विफल रही है। हमारी चीन सम्बन्धी नीति अविश्वासनीय है। पाकिस्तान के सम्बन्ध में हमारी नीति सामरिक महत्व की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

आज भारत की विदेश नीति से यह प्रतिबिम्बित होता है कि उसमें राजनीतिक सूझबूझ का आभाव है। मैं प्रधान मंत्री को बताना चाहता हूं कि भारत की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा गिर गई है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हम कोई योगदान नहीं दे पा रहे हैं। मैं बिना किसी दुर्भावना के प्रधान मंत्री से कहना चाहता हूं कि वह विश्व की अनेक नई प्रवृतियों को समझने में असफल रही हैं। हम अपनी विदेश नीति में भिखारी जैसी प्रवृति के आधार पर चल रहे हैं।

जहां तक परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध सन्धि का सम्बन्ध है, इस सन्धि के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में तनाव आ गया है। ब्रिटिश के एक संसद् सदस्य जॉनग्रिग, जो पहले लार्ड आलटरिंचम के नाम से विख्यात थे और जिन्होंने वर्ष 1965 में भारत का समर्थन किया था, इस प्रस्तावित सन्धि के बारे में तीन मुख्य आपत्तियां उठाई हैं। उन्होंने कहा है कि इससे बम रखने वाले देशों को व्यापारिक लाभ होगा। दूसरे इससे परमाणु शस्त्रों के प्रसार पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकेगा और तीसरे परमाणु बम न रखने वाले राष्ट्रों को परमाणु शस्त्र वाले देशों के दबाव में रहना पड़ेगा।

मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि देश को आण्विक हमले के लिये तैयार न रखने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बहुत ओजपूर्ण भाषण दिये हैं, परन्तु उनकी बातें कई वर्ष पहले की विश्व स्थिति से सम्बन्धित हैं। वर्ष 1962 से विश्व की स्थिति बदल गई है, दक्षिण पूर्व से एशिया की स्थिति में एक भारी परिवर्तन हुआ है। भारत को वियतनाम की स्थिति से सबक सीखना चाहिए और परमाणु शस्त्र निषेध सन्धि पर इसके वर्तमान रूप में हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। इस सन्धि पर हस्ताक्षर करना भारत के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा, क्योंकि चीन के विरुद्ध उसकी सुरक्षा केवल तभी संभव है, जब वह अपना डर पैदा कर सकें और यह तभी संभव है जबकि वह स्वयं एक आण्विक राष्ट्र बने। हमारे देश को आण्त्रिक युग में अवश्य शामिल होना चाहिए। सरकार को याद रखना चाहिए कि परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध सन्धि से वे सब आवश्यकतायें पूरी नहीं होती हैं, जिनके बारे में सन्धि का समर्थन करने वाले देशों के प्रतिनिधियों ने जनेवा में वकालत की थी। उस समय यह स्पष्ट रूप से कहा

गया था कि भारत उन आश्वासनों को पूरा करने पर जोर देगा, जो महासभा के 20 वें अधिवेशन के प्रस्ताव 2028 में उल्लिखित है। परन्तु आज सन्धि का रूप कुछ और ही है। इस संधि के द्वारा हमें "मलेच्छ" घोषित किया गया है। हमें ऐसा रवैया अपनाना चाहिये जिनसे हमारे साथ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस तरह का भेदभाव न हो।

इस सन्धि में विश्व की बदलती हुई स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया है। आज का विश्व कई धड़ों में बंट गया है और ऐसी स्थिति में यह और भी अधिक आवश्यक है कि भारत आण्विक परीक्षण करे। सरकार को इस सम्बन्ध में देश को धोखा नहीं देना चाहिये। वर्ष 1964 में डा० एच० जे० भाभा ने "हिन्दू" समाचार-पत्र के संवाददाता को बताया था कि हम अन्य देशों के सैनिक बजटों की तुलना में बहुत कम लागत पर अणु बम तथा उद्जन बम बना सकते हैं। आज परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि का जो स्वरूप तैयार किया गया है, उसमें निरस्त्रीकरण का कोई उल्लेख नहीं है। परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध सन्धि को शस्त्रास्त्रों पर नियंत्रण रखने का एक उपाय समझा जाना चाहिये था। परन्तु इस सन्धि में निरस्त्रीकरण का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिये यदि हम इस बारे में उपयुक्त तर्क स्वीकार करते हैं तो आज के युग की आवश्यकता अनुसार हमें अपने यहां परमाणु शस्त्रों का निर्माण करना चाहिये। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें यह महसूस नहीं करना चाहिये कि ऐसा करना हमारे लिये अपनी अहिंसा की परम्परा को छोड़ना होगा। हमें यह भी नहीं सोचना चाहिये कि ऐसा करने से हम विश्व के देशों में अकेले पड़ जायेंगे। इस सम्बन्ध में हमें फ्रांस और रुमानिया की ओर देखना चाहिये। आज संसार के कई देश ब्राजील, जर्मनी, इटली इत्यादि भारत की ओर देख रहे हैं और हमारा यह अधिवेशन ऐतिहासिक महत्व का अधिवेशन हो गया है। हमें यह निर्णय करना है कि भारत आण्विक राष्ट्र बने अथवा उसे आण्विक हथियारों से वंचित रखा जाये। मैं समझता हूं कि भारतीय जनसंघ ने यह प्रस्ताव पास करके, कि यदि भारत सरकार आज परमाणु बम बनाने की स्थिति में नहीं है तो उसे अपने परमाणु शस्त्रों के निर्माण का विकल्प नहीं छोड़ना चाहिये, जनता का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया है। मेरा निवेदन यह है कि भारत विस्फोट परीक्षण कर सकता है। भारत को ऐसा भूमिगत आण्विक विस्फोट करना चाहिये जिसे सिंचाई कार्यों के उपयोग में लाया जा सके तथा शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये परमाणु शक्ति के विकास की इच्छा को प्रकट किया जा सके। चाहे जो कुछ हो हमें परमाणु शस्त्र सम्पन्न देशों की श्रेणी में अवश्य शामिल होना चाहिये, अन्यथा वैदेशिक मामलों में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

जहां तक वियतनाम का सम्बन्ध है, यह एक ऐसी महत्वपूर्ण समस्या है जिसकी ओर सब माननीय सदस्य गम्भीरता से विचार करते रहे हैं। मैं अनुभव करता हूं कि हमें वियतनाम की हाल की घटनाओं का बहुत ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अमरीकी प्रस्ताव और उस पर उत्तरी वियतनाम की प्रतिक्रिया निश्चयात्मक है और हमें इस सम्बन्ध में सावधानी से विचार करना चाहिये। हमें अपनी प्रतिक्रिया शीघ्र ही घोषित करनी चाहिये। यह खेद की बात है कि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्रता से अपनी प्रतिक्रिया घोषित करने में असफल रही है।

हमें इस तरह का प्रयत्न करना चाहिये जिससे नई दिल्ली ही में वियतनाम समस्या का हल करने के बारे में सम्बद्ध पक्षों की बातचीत हो सके। हम इस प्रकार के सम्मेलन का प्रस्ताव कर सकते हैं और इस सम्बन्ध में उन सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है, जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के सम्बन्ध में की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया की स्थिति बदल गई है तथा अमरीका को इस सम्बन्ध में अभी तक यह जान लेना चाहिये था कि वह एशिया में इस महाद्वीप के देशों के सहयोग के बिना किसी लड़ाई में सफल नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता कि हम अपनी फौजें भेजें, परन्तु हमें राजनीतिक तथा राजनयिक पहल करनी चाहिये।

हमें कम्बोडिया जैसे देशों की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिये। हमारी सरकार ने राजकुमार सिंहनूक को पर्याप्त महत्व नहीं दिया है और इस कारण से वह अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से निभाने में असफल रहे हैं।

चीन के बारे में हमारा दृष्टिकोण स्वतंत्र होना चाहिये तथा यह दृष्टिकोण अनुसंधान द्वारा विकसित किया जा सकता है। हमारे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में एक नीति योजना विभाग है। उस विभाग में भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से अनुसंधान करना चाहिये तथा हमें इस सम्बन्ध में अमरीकी विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये अनुसंधान पर निर्भर नहीं रहना चाहिये।

कच्छ समस्या के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जनता कच्छ सम्बन्धी फैसले की क्रियन्विति के सम्बन्ध में सरकार की जल्दबाजी को समझ नहीं पाई है। ऐसे मामलों के उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के फैसलों को इसलिये नहीं माना गया है, क्योंकि वे न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार से बाहर थे। हमें इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिये।

पाकिस्तान के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत अस्पष्ट है। नई पीढ़ी के दिल में यह प्रश्न पैदा हो रहा है कि "अय्यूब के बाद कौन" होगा। पूर्वी पाकिस्तान और पख्तूनिस्तान के स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट होने की प्रवृति उभर रही है। मैं समझता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान के लिये आस्ट्रिया के ढंग का हल निकालने का सुझाव दिया जा सकता है और पख्तूनिस्तान का भी हल निकाला जा सकता है, क्योंकि तथाकथित जनमत संग्रह में केवल एक चौथाई पख्तूनों ने भाग लिया था। मैं उस ज्ञापन का उल्लेख करना चाहता हूं, जो श्री ख्रुश्चेव की यात्रा के समय जारी किया गया था तथा जिसमें आशा व्यक्त की गई थी कि पख्तूनिस्तान को स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त हो जायेगा। इस सम्बन्ध में यदि अफगानिस्तान समुद्री मार्ग चाहता है तो हमें उसे समुद्री मार्ग देने में आनाकनी नहीं करनी चाहिये।

अन्त में भारतीय विदेश सेवा प्रतिवेदन-पिल्ले प्रतिवेदन का उल्लेख करना चाहता हूं। उस प्रतिवेदन में कहा गया है कि विदेश सेवा में कई सुधार किये जायेंगे, परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। सरकार को बताना चाहिये कि क्या उस प्रतिवेदन को रद्दी

की टोकरी में फेंक दिया गया है। विदेश सेवा इस बात पर निर्भर करती है कि इसका संगठन आधुनिक है या नहीं और कार्यदक्षता के साथ किया जा रहा है कि नहीं।

आज विश्व की स्थिति ऐसी है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हम पहल कर सकते हैं, जिससे हमारा सम्मान बढ़ सकता है, परन्तु हम ऐसा नहीं कर रहे हैं।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : मुझे माननीय सदस्यों की ये बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा गिर रही है तथा हमारी बात नहीं मानी जा रही है। वैदेशिक-कार्य एक ऐसा मामला है जिसके प्रति हमारा दृष्टिकोण सर्वसम्मत होना चाहिये तथा दलगत राजनीति के कारण हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, जिससे हमारे राष्ट्रीय सम्मान को धक्का लगे।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन का आयोजन भारत में नहीं किया गया था और न ही भारत सरकार इसकी कार्यवाहियों की जिम्मेदार है। यह एक संयुक्तराष्ट्र संगठन है तथा संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के पदाधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी हैं। भारत सरकार की जिम्मेदारी तो केवल इस सम्मेलन का प्रबन्ध करने की थी और उसकी सफलता इस बात पर निर्भर थी कि सम्मेलन का प्रबन्ध संतोषजनक किया जाये। संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रस्ताव से सम्बन्धित करके भारत की सफलता अथवा असफलता को आंकना अनुचित बात है।

इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों को भारत की सैनिक शक्ति अथवा औद्योगिक क्षमता के बारे में भ्रम था। बहुत से प्रतिनिधि विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में गये तथा उनमें से कुछ एक ने स्पष्ट रूप से मुझे बताया है कि वे तो सोचते हैं कि भारत एक भूखा देश है, वहां सब भूखे मर रहे हैं तथा भारत के इस स्वरूप की वह कभी भी कल्पना नहीं करते थे। मैं कहना चाहता हूं कि यह धारणा केवल उस गलत प्रचार का परिणाम है, जो निहित हितों ने हमारे विरुद्ध किया है। उस सम्मेलन के परिणामस्वरूप हजारों प्रतिनिधियों को यह पता लग गया है कि भारत बहुत अधिक उन्नति कर रहा है।

कीनिया के बारे में यह कहना कि कीनिया ने हमारे देश का अपमान किया है, ठीक नहीं है। अन्ततः हमारे एक राज्य-मंत्री वहां गये थे, तथा उन्होंने वहां न केवल उस देश के मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्रियों, बल्कि वहां के उप-राष्ट्रपति से भी भेंट की थी। यह हो सकता है कि राष्ट्रपति केन्याटा बिमारी के कारण हमारे राज्य-मंत्री से न मिल पाये हों, क्योंकि वह वृद्ध आदमी हैं और प्रायः बीमार रहते हैं। अतः केवल इस एक घटना को लेकर यह चिल्लाना कि हमारा अपमान हुआ है, ठीक नहीं है। इसके विपरीत मैं कहना चाहता हूं कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। क्या यह हमारे लिये सम्मान की बात नहीं है कि रूस के प्रधान मंत्री श्री कोसिजिन, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो तथा अन्य सरकार के प्रमुख राजनीतिक नेता हमारे साथ

अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं तथा समान हित के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिये भारत आते हैं। यह बड़े दुख की बात है कि उन घटनाओं का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया जाता, जिससे भारत का सम्मान बढ़ता है तथा उस एक-आध छोटी-मोटी घटना का उल्लेख बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, जो हमारे सम्मान के विरुद्ध होती है।

वियतनाम की घटनाओं ने एक नया मोड़ लिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। अमरीका तथा उत्तर वियतनाम दोनों बातचीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि आप इन घटनाओं के पूर्व इतिहास को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों देश उन्हीं बातों का अनुसरण कर रहे हैं, जो भारत ने कई वर्ष पहले कही थी। यदि इन दोनों देशों ने भारत की सलाह मानी होती, तो इतनी तबाही, बर्बादी तथा विनाश नहीं हुआ होता। भारत की विदेश नीति का औचित्य प्रो० सोंधी के इसी कथन से सिद्ध हो जाता है कि इन दोनों देशों की वार्ता भारत में कराई जाये। मैं समझता हूं ऐसा कह कर उन्होंने भारत की विदेश नीति का समर्थन किया है। अतः जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है, भारत की विदेश नीति न्यायसंगत है।

सरकार की पश्चिम तथा पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में विदेश नीति की आलोचना की गई है। कुछ लोगों ने कहा है कि हम इसराइल पर दोष क्यों लगाते हैं? हम इसराइल पर दोष नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उसके आक्रमण की निन्दा कर रहे हैं। जब चीन ने हम पर आक्रमण किया तथा हमारे कुछ क्षेत्र को दबाया तो हमें बहुत दुख हुआ था। जब चीन का आक्रमण निन्दनीय है तो यह बात उसी ढंग से इसराइल तथा अन्य सब देशों पर लागू है, जो आक्रमण करते हैं। इसराइल ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उसने रेगिस्तान के कुछ हिस्सों तथा अन्य भागों पर कब्जा कर लिया है और वह उसे खाली करने को तैयार है, बशर्ते कि उसकी कुछ शर्तों को मंजूर कर लिया जाये। भारत सरकार का कहना है कि आक्रमण जहां भी हो उसकी निन्दा की जानी चाहिये और इसी कारण से इसराइल की निन्दा की गई है। साथ ही भारत सरकार ने यह भी कहा है कि इसराइल को एक राज्य के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये। इससे यह सिद्ध होता है कि हम किसी देश का पक्षपात नहीं करते हैं। हमारी विदेश नीति स्वतन्त्र, न्यायोचित और निष्पक्ष है। इसी कारण से हमने मध्य-पूर्व के देशों का साथ दिया है, तथा उसमें हमारा कोई निहित स्वार्थ नहीं था। वास्तव में हमारी विदेश नीति का ध्येय साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध करना रहा है। मध्य एशिया में ही नहीं, अपितु कम्बोड़िया जैसे दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के सम्बन्ध में भी हमारी सदा यही नीति रही है। परन्तु इन छोटे-छोटे देशों की कुछ कठिनाइयां हैं और ये एक निश्चित नीति अपनाने में असमर्थ हैं, क्योंकि यदि इन पर साम्यवादियों का दबाव पड़ता है, तो उन्हें उनका रुख अपनाना पड़ता है और यदि अमरीका का दबाव पड़ता है तो दूसरा रुख अपनाना पड़ता है। अतः उस बात पर गौर किये बिना भारत पर यह दोष लगाना कि भारत उन्हें सहयोग नहीं दे रहा है, उचित नहीं है। भारत ने सब छोटे राष्ट्रों को सहयोग दिया है। इन्डोनेशिया की स्वतन्त्रता में भारत ने अग्रणीय भाग लिया और अफ्रीका में भी भारत का काम सराहनीय है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद में राष्ट्र शक्ति के अंधे हो जाते हैं तथा कुछ ऐसी बातें कहने अथवा करने लगते हैं, जो बड़े राष्ट्र भी कह अथवा कर नहीं

सकते। उदाहरण के तौर पर कीनिया में भारतीय राज्य मंत्री से भेंट न करके कीनिया ने भारत का अपमान किया है, तथापि भारत ने और विशेषतया भारत के राज्य-मन्त्री ने बहुत आत्म संयम से काम लिया जो कि हमारी परम्परा है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सैनिक दृष्टि से हम बहुत शक्तिशाली हैं और चीन समेत किसी भी शत्रु का न केवल मुकाबला करने तथापि उसे परास्त करने की शक्ति हममें है। अतः हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि हम कमजोर हैं, इसलिये हमारा अपमान किया गया है। हम उन राष्ट्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, जो हमारा अपमान करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह तो केवल भारत की महानता है कि उस घटना को तुच्छ माना गया है।

प्रस्तुत किये गये संशोधनों को देखने से पता चलता है कि कुछ ऐसे संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें कहा गया है कि हमें राष्ट्रमण्डल को छोड़ देना चाहिये। मैं सभा का ध्यान ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री के उस विख्यात वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने चीनी हमले के समय तथा उसके एक वर्ष बाद दिया था और जिसमें कहा गया था कि यदि चीन भारत पर हमला करता है तो उसे न केवल ब्रिटेन अपितु राष्ट्रमण्डल के सब देशों पर हमला समझा जायेगा और ये सब देश भारत की सैनिक सहायता करेंगे। उस समय कीनिया जिसकी स्वतन्त्रता को हमने हमेशा समर्थन किया अथवा इन्डोनेशिया जिसके स्वतन्त्रता संग्राम में हमने सदा सक्रिया भाग लिया था ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया था। वास्तव में हमें यह याद रखना चाहिये कि जब कभी भी भारत को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, तो उस समय ब्रिटेन, कनाडा और राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों ने हमारी सहायता की है तथा किसी अफ्रेशियाई देश ने नहीं। अतः यह कहना बेकार है कि हमें राष्ट्रमण्डल को छोड़ देना चाहिये।

श्री कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पूर्व अमरीका के राष्ट्रपति द्वारा की गई इस घोषणा से कि युद्ध को सीमित रखा जायेगा तथा वियतनाम पर 90 प्रतिशत बमबारी बन्द कर दी जायेगी, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को असुरक्षा की भावना तथा वियतनाम युद्ध के कारण पैदा होने वाले आंतक से राहत मिली है। वियतनाम के सम्बन्ध में हमने हमेशा एक स्वतन्त्र नीति का पालन किया यद्यपि अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने हम पर दबाव डाला है। कठिनाइयों के बावजूद भारत ने एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतन्त्रता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम अपनी तटस्थ विदेश नीति से अधिक मित्र बना सके हैं। जब अमरीका के राष्ट्रपति जॉनसन ने वियतनाम में अपने युद्ध की स्थिति को मजबूत बनाने के लिये लाखों की संख्या में और अधिक सैनिक भेजने की बात कही थी तथा चीन के भी वियतनाम युद्ध में कूद पड़ने का भय था, तब हमारी सरकार ने बड़ी सावधानी के साथ तटस्थ नीति का अनुसरण किया था और इस नीति के जरिए अपने मित्र देशों पर दबाव डाला था और घोषणा की थी कि जब तक अमरीका वियतनाम में बमबारी बन्द नहीं करेगा, तब तक शान्ति वार्ता नहीं होगी। सरकार इस कार्य के लिये बधाई की पात्र है। परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध सम्बन्धी हमारी सरकारी नीति राष्ट्र के हित में है। मैं स्वतन्त्र दल के नेता, श्री मसानी के इस मत से सहमत नहीं हूं कि हमें आण्विक शस्त्र नहीं बनाने

चाहियें तथा आण्विक हथियार बनाने की तैयारी भी नहीं करनी चाहिए। हमारी सीमा पर चीन एक शक्तिशाली शत्रु के रूप में बैठा हुआ है और जब तक हम आण्विक हथियार बनाना आरम्भ नहीं करेंगे, हमारी सुरक्षा को खतरा बना रहेगा। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को तथा अपने मित्र देशों को बता दिया है कि यह सन्धि हमारे हित में नहीं है। दोनों बड़े राष्ट्र अर्थात रूस और अमरीका चाहते हैं कि हम इस सन्धि पर हस्ताक्षर करें, परन्तु हमें किसी के कहने से इस सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करने है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी विदेशी नीति का मूल मन्त्र है और हम केवल धर्मोपदेश की विदेश नीति नहीं अपना सकते। इस सन्धि में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जो हमारे हितों के विरुद्ध हैं। अत: इस पर हस्ताक्षर करना हमारे हित में नहीं होगा।

पाकिस्तान के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि विभिन्न देशों में स्थित हमारे दूतावास पाकिस्तान की गलतियों का प्रचार करने में असफल रहे हैं। पाकिस्तान एक त्रिकोणी रस्सी पर नाच रहा है। उसका एक ओर तो चीन से सीधा सम्बन्ध है और दूसरी ओर अमरीका से। हमारे दूतावासों को यह प्रचार करना चाहिए कि पाकिस्तान का यह रवैया सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। हाल में ही हमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने अमरीकी अड्डों की अवधि बढ़ा दी है। जब ये अड्डे रूस तथा चीन के विरुद्ध जासूसी करने के लिये बनाये गये हैं तथा चीन से उसका सीधा सम्बन्ध है तो उन्होंने अमरीकी अड्डों के पट्टे की अवधि क्यों बढ़ाई है ? हमारे दूतावास ऐसी बातों का प्रचार करने में विफल रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मन्त्री बार-बार रूस जाते हैं। वे रूस को मित्र बनाना चाहते हैं और हमारी और रूस की मित्रता को समाप्त करना चाहते हैं। हमें इस सम्बन्ध में सतर्क रहना चाहिए।

पाकिस्तान भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य है और भारत भी। किन्तु जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रही थी तब ब्रिटिश सरकार ने खुल्लमखुल्ला पाकिस्तान की मदद की। ऐसी स्थिति में हमें राष्ट्रमण्डल में रहने से क्या लाभ है ?

80,000 कीनियाई भारतीयों को जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था ब्रिटेन में प्रवेश नहीं करने दिया गया। मलयेशिया और दूसरे देशों में भी यही होने जा रहा है। हमें ब्रिटिश सरकार से कह देना चाहिये कि यदि उन्होंने अपना यह रवैया नहीं बदला तो हम राष्ट्रमण्डल को छोड़ देंगे।

हमें पूर्वी जर्मनी के सम्बन्ध में स्वतंत्र रूप से निर्णय करना चाहिये। जब हम इस देश को राजनयिक सम्बन्ध जैसी सभी सुविधायें दे रहे हैं तो हमें इसे राजनयिक मान्यता भी दे देनी चाहिये। जब यूगोस्लाविया पूर्वी जर्मनी को राजनयिक मान्यता दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते ?

कच्चाटीवू द्वीप का मामला अभी तक भी हल नहीं हो पाया है। मैं मानता हूं कि लंका एक मित्र राष्ट्र है किन्तु जब एक द्वीप का प्रश्न है तो क्या इसकी रक्षा करना हमारी सरकार का कर्त्तव्य नहीं है भारत सरकार इस द्वीप पर अपना दावा स्थापित करने में असफल रही है।

श्री सन्त बक्स सिंह (फतेहपुर) : मैं सभा में बताना चाहता हूं कि वह इस परमाणु-शास्त्र प्रसार निरोध संधि को अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व दे और इस पर दलों के हितों को त्याग कर विचार किया जाना चाहिये। विश्व की सभी बड़ी शक्तियां शान्ति और इमानदारी के नाम पर विश्व से इस संधि पर हस्ताक्षर कराना चाहती हैं। इस संधि में एक त्रुटि यह है कि इसमें यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने का मतलब क्या होगा। इसका मतलब यह होगा कि एक देश की प्रभुसत्ता और उसकी वैज्ञानिक प्रगति का भविष्य बंध जायेगा। इससे भारत की सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में पड़ जायेगी।

समझौतों, संधियों द्वारा तथा अपने भविष्य को दूसरे लोगों के हाथों में सौंप कर हम कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। इस संधि के सम्बन्ध में हम जो निर्णय करने जा रहे हैं वह एक कठोर निर्णय होगा। और ऐसी बात नहीं है कि जो निर्णय यह देश करता है वह केवल कांग्रेस दल का ही निर्णय है। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णय है।

अत: हमें कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना चाहिये। हमें अपने लोगों पर विश्वास करना चाहिये। सैद्धान्तिक रूप से इस संधि को अस्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं होगा। हमें इसकी अन्तर्गत बातों पर भी विचार करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर एक मुख्य निर्णय करना है। मैं प्रधान मंत्री से सिफारिश करूंगा कि वे इस सारे मामले पर विचार करेंगे और जनता के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करने के लिये विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण आयोग बुलायें क्योंकि यह निर्णय अधिकारियों का निर्णय नहीं होना चाहिये। यह एक राजनीतिक एवं राष्ट्रीय निर्णय होना चाहिये। यह निर्णय हमारा और हमारे बच्चों के भाग्य का निर्णय है।

कच्चाटीवू द्वीप के सम्बन्ध में सरकार ने जो रवैया अपनाया है वह प्रशंसनीय है। चूंकि यह मामला हमारे एक पड़ौसी राष्ट्र से सम्बन्धित है, इसलिये सरकार का यह कहना ठीक ही है कि वह इस सारे मामले पर विचार करेगी।

वैदेशिक प्रचार की प्राय: आलोचना की जाती रही है। यह पूर्णत: उचित नहीं है। हमारा एक लोकतंत्रीय देश है। यहां सभी तरह की बातें होती हैं। हमें अपने सिविल कर्मचारियों की अनुचित निन्दा नहीं करनी चाहिये। ऐसी बातें करते समय हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये। भारतीय राजनीति की अस्थिरता पर विश्व चिन्तित है। अत: हम राजनीतिज्ञों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये और विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बनाये रखनी चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : अमरीका को हमारे सामने एक ऐसे प्रेत के रूप में पेश किया गया है जिसके पैर तो मिट्टी के हैं और शेष शरीर पीतल का है और हमें यह बात अपने मस्तिष्क में बिठा लेनी चाहिये कि अमरीकी साम्राज्यवाद एक कागज के शेर से ज्यादा और कुछ नहीं है।

वियतनाम कांड से हमें और दूसरे सभी लोगों को यह सबक लेना चाहिये कि हमें किसी से आंतकित नहीं होना चाहिये और हमें अमरीका से भी भयभीत नहीं होना चाहिये। हमें इस

सबक की बड़ी जरूरत है क्योंकि अमरीका के मामले में हम सदैव सतर्क एवं जागरूक रहते हैं। हमें बताया गया था कि पहली अप्रैल, 1966 से 31 सितम्बर, 1967 तक पी० एल० 480 कोष में से अमरीका का व्यय 62.44 करोड़ रुपये था। इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में अमरीका कितना महत्वपूर्ण है।

हमारे देश में सी० आई० ए० काफी सक्रिय है। किन्तु हमारे देश ने अमरीका की सरकार से यह कभी भी नहीं कहा कि उनकी यह एजेंसी भारत में ऐसी तबाही मचा रही है और उनके पास कभी भी कोई विरोध-पत्र नहीं भेजा।

भारत ने वियतनाम के बारे में अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कही है। वियमनाम में जो अमानुषिक घटनायें हुई हैं उनकी निन्दा करने में भारत हिचकिचाता रहा है।

भारत को ब्रिटेन से कहना चाहिये कि वह रोडेशिया के सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य का पालन करे। तकनीकी दृष्टि से रोडेशिया अभी तक एक ब्रिटिश उपनिवेश है और वहां पर दक्षिण अफ्रीका से सैनिक आ रहे हैं। रोडेशिया के मामले में बल-प्रयोग पहले ही किया जाना चाहिये था क्योंकि वहां पर तथा-कथित आर्थिक प्रतिबन्ध पहले ही निरर्थक सिद्ध हो चुके हैं और इन्हें वहां कभी भी ईमानदारी के साथ लागू नहीं किया गया।

श्री भगत की कीनिया यात्रा का प्रबन्ध उचित ढंग से नहीं किया गया था और इसके लिये सरकार और इसके राजदूत दोषी हैं। तैयारियां पहले ही क्यों नहीं की गईं ? राष्ट्रपति से भेंट का प्रबन्ध पहले ही क्यों नहीं किया गया ? इसमें सारा दोष हमारे राजदूत का है। उन्होंने कोई तैयारी नहीं की और हमारी सरकार के पास इस संबंध में कोई भी सूचना नहीं भेजी। हमारे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में शिष्टाचार आदि के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। इसी कारण यह गड़बड़ी हुई। इसका कारण जोमो केन्याटा जैसे व्यक्ति का अशिष्ट व्यवहार नहीं है। हमें इन मामलों में सावधान रहना चाहिये और गलत बातें नहीं कहनी चाहिये।

अपने अति राष्ट्रीय उत्साह में कुछ लोग अकारण ही हमारे पड़ोसियों से दुःखी हो रहे हैं। कच्चाटीवू द्वीप जैसे मामले पर इतने शोरगुल की क्या आवश्यकता है? हमें लंका के सम्बन्ध में सावधानी बरतनी चाहिये। हमें इन मामलों को अविलम्ब सभ्य ढंग से निबटाना चाहिये।

राष्ट्रमण्डल के अफ्रेशियाई सदस्यों के साथ हमें ब्रिटेन से अन्तिम रूप से कह देना चाहिये कि हमने राष्ट्रमण्डल को त्यागने का निर्णय कर लिया है। विश्व के मामलों में यह हमारी सहायता नहीं करता बल्कि बाधक ही है। ब्रिटिश पूंजी के भारत में आने से हमें काफी हानि उठानी पड़ रही है। यदि हम अच्छे भविष्य के लिये अच्छा नेतृत्व चाहते हैं तो हमें एक ऐसा कदम उठाना होगा जो हमारे लोगों को और विश्व को पसन्द आये। एशियाई आप्रवास के बाद हमें राष्ट्रमण्डल से अलग हो जाना चाहिये और श्वेत लोगों के साथ अपना धर्मयुद्ध आरम्भ कर देना चाहिये। यह एक बड़ा साहसिक कार्य होगा और हम यही करना चाहते हैं।

हमें पड़ोसी राष्ट्रों, जिनमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं, के साथ अपने सम्बन्ध अच्छे बनाने चाहिये। चाहे उत्तेजित होने के लिये कोई भी कारण हो किन्तु हमें अब नये सिरे से पहल करनी चाहिये। खुशी की बात है कि पाकिस्तान के साथ दूर संचार व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है। किन्तु अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

भारत और पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली-भाषी लोग अधिकतर मुसलमान हैं।

हमें अपने देश के हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सभी मतभेदों को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिये। यह एक ऐतिहासिक क्षण है जिसमें सरकार को पाकिस्तान के साथ अपनी सभी समस्याओं को निबटाने के लिये पहल करनी चाहिये। हमें संकीर्णता को त्यागना चाहिये और ऐसे कार्य नहीं करने चाहिये जो हमारे लिये सहायक सिद्ध न हो सकें।

अणु-प्रसार को रोकने के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। हमारे देश को अणु-प्रसार निरोधक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये। अगस्त, 1968 में एक सम्मेलन होगा। उससे पहले ही हमें अणु-शस्त्रों के अबाध क्षेत्रों के सम्बन्ध में बातचीत कर लेनी चाहिये। हमें अपना आन्दोलन जारी रखना चाहिये और इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये।

पांडिचेरी के नजदीक अरविंद आश्रम में इसके आस-पास आटोविले नामक एक नया अन्तर्राष्ट्रीय नगर बनाया जायेगा। किन्तु हमारे देशवासियों को वहां से हटाकर यह नगर बसाना ठीक नहीं है।

जर्मन लोकतान्त्रिक गणराज्य को राजनयिक मान्यता देने से इन्कार करना इसके लिये एक अनैतिक कार्य है। उस देश के साथ हमारे बहुत से सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और लाभदायक तथा सम्मानपूर्ण समझौते हुए हैं। हमें राष्ट्रमण्डल को त्यागने की बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके इसे हमारी जनता के हितों में त्याग देना चाहिये।

श्री गणेश (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह) : हमारी स्वतन्त्रता के इन बीस वर्षों में भारत ने विश्व के मामलों में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने वचनों के कारण तथा अपनी जटिल समस्याओं के कारण कभी-कभी हमें अपनी भूमिका निभाने में हिचकिचाहट हुई है किन्तु कुल मिलाकर हमने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक निश्चयात्मक भूमिका निभाई है। यह कहना गलत है कि विश्व में हमारी प्रतिष्ठा गिर गई है।

प्रत्येक देश की कुछ आन्तरिक समस्यायें होती हैं। हमारी भी कुछ आन्तरिक कठिनाइयां रही हैं। किन्तु यह कहना कि हमारी विश्व में प्रतिष्ठा नहीं है, एकदम असत्य है।

[**श्री गु० सि० ढिल्लों पीठासीन हुये**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

एक मुख्य प्रश्न परमाणु-शस्त्र-प्रसार निरोध संधि का प्रश्न है जिसके बारे में हमें फैसला करना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिये हम हमेशा पूर्ण निरस्त्रीकरण और

युद्ध को गैर-कानूनी ठहराने की हिमायत करते रहे हैं। हमने एकतरफा घोषणा की है कि हम अणुबम नहीं बनायेंगे। किन्तु हम यह निर्णय कर सकते हैं कि किन-किन परिस्थितियों में हमें किस-किस हथियार की जरूरत होगी। हम अणु-शक्ति को शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये प्रयोग करेंगे क्योंकि हम इस अणु युग में पीछे नहीं रहना चाहते। हमारा एक विशाल देश है और हमें विश्व के मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। परमाणु-शस्त्र प्रसार निरोध संधि में कुछ त्रुटियां हैं। कुछ अणु-शस्त्र सम्पन्न देश इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं और ये देश अणु-बम बनाते रहेंगे जबकि अन्य देश न तो इन बमों को बना सकेंगे और न इन्हें दूसरे देशों से प्राप्त ही कर सकेंगे। अत: हमें इस संधि के सम्बन्ध में कोई कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये और हमें इस संधि में अपने देश के हितों के अनुसार परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिये।

दक्षिण-पूर्व एशिया संधि संगठन अथवा एक गुट के बनाये जाने के प्रश्न का भी उल्लेख किया गया था। जब 'नेटो', 'सीटो', वारसा पैक्ट तथा वे देश जो वियतनाम में लड़े—ये सभी सैनिक समझौते समाप्त हो गये हैं और जब वे किसी भी देश की रक्षा करने में असफल हो गए हैं तो ऐसे समय में दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रदेश की सुरक्षा के लिए इस देश से देशों के किसी गुट के साथ मिल जाने की बात कहना उचित नहीं है।

श्री मसानी ने कहा कि इन देशों में ऐसी भावना है कि हमें इनके साथ मिल जाना चाहिये। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि एशिया में कोई देश हैं जो चीन का मुकाबला कर सकते हैं तो वह जापान तथा भारत ही हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

जब तक इस प्रकार की सैनिक संधि के पीछे किसी बड़ी शक्ति का हाथ न हो तब तक यह महत्वहीन है। अतः इस क्षेत्र के लोगों को अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी चाहिये और समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत बनानी चाहिये ताकि किसी भी तरह के आक्रमण का मुकाबला किया जा सके।

हमें जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देनी चाहिये क्योंकि हमारे उस देश के साथ कई तरह के व्यापारिक तथा दूसरे सम्बन्ध हैं। पूर्वी जर्मनी के साथ राजनयिक सम्बन्ध रखना भी हमारे ही हित में होगा।

राष्ट्रमण्डल अब पुराना पड़ गया है। अब हमारे लिये इसका कोई महत्व नहीं है। अतः हमें इसका परित्याग कर देना चाहिये।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : यदि हमारी विदेश नीति का वियतनाम में हाल में हुई घटनाओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है तो ऐसी विदेश नीति की प्रशंसा करना अत्यधिक अवास्तविक

होगा। इन घटनाओं को देखते हुए श्री जानसन ने आंशिक रूप से बमबारी बन्द करने और आगामी चुनावों में खड़ा न होने की घोषणा की है। यह वियतनाम में अमरीकी उपनिवेशवादियों की लड़ाई में जो बड़ा आघात पहुंचा है उसकी स्वीकारोक्ति है।

आप मानेंगे कि अमरीकी साम्राज्यवाद एक कागज के शेर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। किन्तु इस सारे घटनाक्रम में भारत सरकार का रवैया अपमानजनक रहा है। भारत ने अमरीकी सैनिकों की वापसी की कभी भी मांग नहीं की। बल्कि प्रधान मंत्री ने एक बार तो दोनों पक्षों से युद्ध बन्द करने की मांग की और इस प्रकार अमरीकी सेनाओं की उपस्थिति को राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के मुक्ति-संघर्ष की बराबरी का दर्जा दिया। अमरीका के कहने पर भारत ने उत्तरी वियतनाम के साथ व्यापार बन्द कर दिया और वियतनाम को ट्रकों की सप्लाई जारी रही तथा इन ट्रकों को सैनिक कार्यों के लिये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी प्रकार सरकार ने उन सभी पुस्तकों पर रोक लगा दी जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों पर किये गये अमरीकी अत्याचारों का उल्लेख है जबकि उसको सैनिकों पर बड़ी दया आई और उसने उनकी मरहम पट्टी के लिये 10,000 रुपये भेज दिये।

उत्तर वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की मांग यह है कि बमबारी बिना किसी शर्त के पूर्णरूपेण समाप्त कर दी जाये। भारत सरकार इस मांग का समर्थन करती रही है। श्री जानसन ने कहा है कि कुछ क्षेत्रों में बमबारी होती रहेगी और बमबारी पूर्णतया रोकने की मांग पर उसी समय विचार किया जायेगा जब उत्तर वियतनाम सरकार भी उचित कार्यवाही करेगी। स्पष्ट है कि यह कार्यवाही पक्षपातपूर्ण और शर्तों के साथ है। वहां पर 13,000 सैनिक और भेजे जा रहे हैं। फिर भी भारत सरकार ने बिना शर्त बमबारी रोकने के बारे में अपने पहले के दृष्टिकोण को त्यागकर श्री जानसन की इस चाल का समर्थन किया।

वियतनाम के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बमबारी बिना शर्त बन्द कर दी जानी चाहिए। समझौता उत्तर वियतनाम सरकार के पांच-सूत्री कार्यक्रम और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के चार-सूत्री कार्यक्रम के आधार पर ही हो सकता है। इन कार्यक्रमों में यह मांग की गई है कि अमरीकी सेना को वापस किया जाये और वियतनाम की समस्या को वियतनाम के लोगों के हवाले कर दिया जाये। भारत सरकार को इन मांगों का समर्थन करना चाहिये।

इसराइल कई बार बृहत् इसराइल बनाने की घोषणा कर चुका है। इसराइल ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिये वर्तमान अरबी अधिकृत क्षेत्रों को अपने कब्जे में रखने का निर्णय कर लिया है। जोर्डन के क्षेत्रों पर भी इसराइल ने इसी उद्देश्य से आक्रमण किया था। अमरीका इसराइल की मदद कर रहा है। भारत सरकार को देशभक्त अरबों का पूरा-पूरा समर्थन करना चाहिये।

भारत से कहा जा रहा है कि वह दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटिश सैनिकों की वापसी के कारण उत्पन्न हुए रिक्त स्थान को पूरा करे। यह विचार न तो भारतीय है और न ही मौलिक

है। अमरीका चाहता है कि इस क्षेत्र में होड़ चलती रहे ताकि भारत और पाकिस्तान हमेशा अमरीका पर निर्भर रहें। हमें अमरीका की इस चाल को विफल करना चाहिये। काश्मीर को अधिकतम स्वायत्तता देने के आधार पर हमारे और शेख अब्दुल्ला सहित काश्मीर के प्रतिनिधियों के बीच गम्भीरतापूर्वक बातचीत करने से हमारे और पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध काफी हद तक सामान्य हो जायेंगे।

चीन के बारे में हमारी जो नीति है उसके कारण हमारे ऊपर 1,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का प्रतिरक्षा बजट का बोझ पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप अनाज, अत्यधिक सहायता, सैनिक-साज सामान आदि के लिये भारत को अमरीका पर निर्भर रहना पड़ेगा। वास्तविकता यह है कि बहुत से देश जो हमारी चीन सम्बन्धी नीति की सराहना करते हैं वे ही चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, हालांकि इन देशों के चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध भी नहीं हैं। भारत और चीन के बीच व्यापारिक सम्बन्ध कायम करने के लिये एक शान्तिपूर्ण हल निकालने की दिशा में प्रगति हो सकती है। बहुत से ऐसे देशों ने भी चीन के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ा लिये और उन्होंने चीन में औद्योगिक व्यापार प्रदर्शनियां आयोजित कीं जिनके चीन के साथ दौत्य सम्बन्ध नहीं हैं। हम चीन के निकट पड़ोसी हैं। अतः हमें चीन के साथ सामान्य सम्बन्ध कायम कर लेने चाहिये।

हमें राजदूतों को बदलने का प्रस्ताव करना चाहिये और व्यापारिक सम्बन्धों के बारे में बातचीत शुरू करनी चाहिये। परमाणु शस्त्र प्रसार निरोध संधि के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका और रूस का जो नवीनतम मसौदा है वह अणु-शस्त्र विहीन राष्ट्रों की प्रभुसत्ता के प्रतिकूल है। अण्विक खतरे के विरुद्ध वास्तविक गारंटी यही है कि अणु-शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगाई जाये और जमा किये गये शस्त्रों को नष्ट कर दिया जाये।

अब मैं मंत्रियों की विदेश यात्राओं के प्रश्न को लेता हूं। हमें इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उप-प्रधान मंत्री आजकल मनीला गये हुये हैं और वे वहां पर अपने साथ अपने लड़के को भी ले गये हैं। उनके लड़के एक व्यापारी हैं। पहले भी वे अपने लड़के को अपने साथ ले गये थे। इन चीजों को रोका जाना चाहिये क्योंकि इसके पीछे कोई व्यापारिक उद्देश्य समझा जायेगा।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : अपने देश की विदेश नीति पर चर्चा करते समय हम अन्य देशों की बातें करते हैं किन्तु गरीब भारत की समस्याओं को भूल जाते हैं। हमारे सामने इस समय भारत को शक्तिशाली बनाने की समस्या है। यदि हम शक्तिशाली होंगे तो विश्व में हमारा सम्मान होगा और चीन और पाकिस्तान की समस्या भी समाप्त हो जायेगी।

हमने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया किन्तु उसने 1962 में हमारे देश पर आक्रमण किया। इस बात से उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो राष्ट्रीय सम्मान की उपेक्षा करके चीन के साथ मित्रता करने की बात कहते हैं। जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ तो उन

लोगों ने भी हमारा समर्थन नहीं किया जिनकी हमने उनके संकट के समय सहायता की थी। हमारे पड़ोसी चीन की शक्ति से भयभीत थे और 1965 में जब पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया तो बहुत कम देशों ने हमारे समर्थन में आवाज उठाई। अतः हमें अपने देश को शक्तिशाली बनाना चाहिए तभी हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का कल्याण हो सकेगा। हमें अपनी परमाणु शस्त्र सम्बन्धी नीति पर पुनः विचार करना चाहिए और हमें ऐसे शक्तिशाली पड़ोसी के विरुद्ध साहसिक प्रतिरक्षा नीति अपनानी चाहिए क्योंकि हमारा यह पड़ोसी खुल्लमखुल्ला परमाणु शस्त्रों का भण्डार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और चीन ने हमारे विरुद्ध एक अपवित्र गठ-बन्धन कर रखा है। हम उनका अपनी शक्ति बढ़ाकर ही मुकाबला कर सकते हैं। जो लोग साम्रा-ज्यवाद का विरोध करते हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि तिब्बत पर चीन का दावा साम्राज्यवादी आक्रमण पर आधारित है और क्योंकि उस साम्राज्यवादी लक्षण को 19वीं शताब्दी में उन दिनों अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा मान्यता दी गई थी इसलिये हमने भी तिब्बत में चीन के आधि-पत्य की स्थिति को मान्यता दे दी। साम्राज्य जीतने के अलावा और कोई नैतिक अथवा कानूनी दावा नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में हमारे सामने केवल यही विकल्प है कि हमें अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिये। मैं अमरीकी जासूसी विभाग की गतिविधियों की परवाह नहीं करता लेकिन चीन हमारी सीमाओं पर जो कुछ कर रहा है उसकी मुझे चिन्ता है। मैंने कलकत्ता की गलियों में युवकों तथा युवतियों को लाल झण्डे लिये, चीन के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा है।

श्री उमानाथ ने कहा कि हमें राष्ट्रमण्डल को त्याग देना चाहिये किन्तु अब राष्ट्रमण्डल ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसमें इस समय श्वेत जातियों की अपेक्षा गैर-श्वेत जातियां अधिक हैं। यह ठीक है कि राष्ट्रमण्डल ने कोई भी समस्या हल नहीं की है किन्तु इससे किसी को हानि भी नहीं हुई है।

वियतनाम के सम्बन्ध में अमरीकी नीति में जो परिवर्तन हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में नया परिवर्तन लाने में हमारे प्रधान मंत्री ने जो पहल की है उसके लिये वे बधाई की पात्र हैं।

श्री भगत ने अपनी अफ्रीका यात्रा में बहुत बढ़िया कार्य किया है। अफ्रीका के लोग अब सोचने लग गये हैं कि आर्थिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में भारतीय उनके साथ होड़ लगा रहे हैं। इस वास्तविकता को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस समस्या को हम लाठी के बल पर हल नहीं कर सकते। इसके लिये हमें शांति के साथ काम करना होगा। अफ्रीकी लोग सबको संदेह से देखते हैं क्योंकि उनका हमसे भी अधिक शोषण हुआ है। श्री भगत ने जो बढ़िया कार्य अफ्रीका में किया है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : भारत की विदेश नीति की विपक्षी दलों के सदस्यों ने जो आलोचना की है वह न्यायोचित तथा वस्तुपरक विश्लेषण पर

आधारित नहीं है। उन्होंने विषयपरक टिप्पणियां की हैं जो किसी अध्ययन अथवा ज्ञान पर आधारित नहीं हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

उन्होंने मेरी कीनिया यात्रा और संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की असफलता को हमारी विदेश नीति की असफलता का एक उदाहरण बताया है। उन दोनों बातों में असफलता या सफलता का विदेश नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक मेरी कीनिया यात्रा का सम्बन्ध है, कीनिया की संसद में विदेश मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में यह बात कही गई है कि वे केवल कीनिया और भारत के बीच मित्रता और अच्छे सम्बन्धों को ही अधिक महत्व नहीं देते बल्कि वे यह भी कहते हैं कि यह अभी भी पहले जितने ही शक्तिशाली हैं और भारत और कीनिया के बीच सम्बन्ध सुदृढ़ हैं।

कहा गया है कि हमारी विदेश नीति दोषपूर्ण है क्योंकि हमारी घरेलू नीति दोषपूर्ण है। इन दोनों नीतियों में परस्पर सम्बन्ध है किन्तु इनमें इस प्रकार सम्बन्ध स्थापित करना एक विषयपरक नीति है। हम देश को मजबूत बनाने में विश्वास करते हैं। किन्तु एक या दो वर्ष हमारी आर्थिक नीतियों के असफल होने के कारण यह कहना कि हमारी विदेश नीति दोषपूर्ण है ठीक नहीं है।

नाटक करना हमारी संस्कृति के प्रतिकूल है। हम सार्थक विदेश नीति बनाने और उसको उचित तथा शांतिपूर्ण ढंग से और इस क्षेत्र के देशों के सहयोग से कार्यान्वित करने में विश्वास करते हैं क्योंकि हमारी नीति मित्रता की नीति है।

हमारी विदेश नीति का आधारभूत सिद्धान्त विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक एवं आर्थिक पद्धतियों का अनुसरण करने वाले देशों के साथ पारस्परिक मित्रता, शांतिपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण सह-अस्तित्व पर तथा अपने राष्ट्रीय आत्म-सम्मान, अपनी अखण्डता एवं सार्वभौमिकता को बनाये रखने पर आधारित है। साथ ही हम एशिया में तथा विश्व में शान्ति तथा स्थिरता कायम करना चाहते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हमने निष्पक्ष नीति ही अपनाई है हम किसी के दबाव में नहीं आये।

हमारा पूरा विश्वास है कि एशिया के छोटे और बड़े देश अपनी स्वाधीनता की रक्षा करेंगे और किसी दूसरे देश को अपने घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। पिछले कुछ वर्षों से हमने एशिया में विशेषकर दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ अपने सम्बन्धों की ओर काफी ध्यान दिया है और इसके फलस्वरूप पाकिस्तान और चीन को छोड़कर बाकी सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध अपेक्षाकृत बेहतर हैं। तुर्की और ईरान जैसे दूरवर्ती देशों के साथ भी हमने लाभप्रद समझौते किये हैं।

पाकिस्तान के साथ भी हमारे सम्बन्ध गत कुछ वर्षों की अपेक्षा अच्छे हैं। हम पाकिस्तान के साथ दूरसंचार जैसी कुछ समस्यायें भी हल करने में सफल हुए हैं। हम पारस्परिक हित के

किसी भी विषय पर ताशकन्द घोषणा के अनुसार उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान का उत्तर इतना आशाजनक नहीं रहा है जितनी कि हम आशा करते थे, किन्तु हमें विश्वास है कि पाकिस्तान भी अन्ततोगत्वा यह अनुभव करेगा कि सम्बन्ध सुधारना और आपसी हितों के लिये विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना दोनों देशों के हित में है। किन्तु दुर्भाग्यवश कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी हैं जिनसे भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध खराब हो जायेंगे। अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध और भी अधिक खराब हो जाएंगे।

हम अमरीका की सरकार को यह बताने का प्रयास करेंगे कि यह बात ताशकन्द भावना के विरुद्ध है और पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण तथा अच्छे-पड़ोसी सम्बन्ध रखने में बाधा डाल रही है।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, दुर्भाग्यवश समस्याओं का स्थानीयकरण करने तथा उनके कारण हमारे सम्बन्धों को और खराब न होने देने के हमारे सभी प्रयत्न विफल रहे हैं। हम चीन के साथ नई नीति अपनाने के लिये सहमत हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि चीन को अपनी नीतियां बदलना जरूरी है। उसे अपनी शत्रुतापूर्ण नीति बदलनी होगी। जहां तक चीन में आन्तरिक उथल-पुथल का सम्बन्ध है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, किन्तु उसकी वाह्य नीति का उसके शान्ति-प्रिय पड़ोसी देशों पर असर पड़ता है। चीन ने अपने घरेलू उपद्रवों के कारण अपनी विदेश नीति कठोर बना ली है जिससे निकट भविष्य में उसके साथ सम्बन्ध सुधरने की आशा नहीं दिखाई देती, फिर भी, हमने चीन के प्रति कोई उत्तेजना दिये बिना पारस्परिकता तथा कठोरता की नीति अपनाई है। हमने यह स्पष्ट कह दिया है कि हम अपनी राज्यक्षेत्रीय अखण्डता अथवा सार्वभौमिकता का किसी प्रकार का हनन बर्दाश्त नही करेंगे।

जहां तक श्री मी० रु० मसानी के इस सुझाव का सम्बन्ध है कि हमें दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सैनिक समझौते करने चाहिए, ताकि हम उस रिक्त स्थान को भर सकें जो उस क्षेत्र से ब्रिटेन के पीछे हटने और वियतनाम से अमरीका के पीछे हटने के कारण उत्पन्न हो सकता है। इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि इस खण्ड के देश चीन के संभाव्य आक्रमण के खतरे से उतने चिन्तित नहीं हैं जितने कि आर्थिक पिछड़ेपन तथा राजनैतिक अस्थिरता के कारण तोड़फोड़ से चिन्तित हैं। हमारी राय में ऐसी स्थिति का हल प्रतिरक्षा अथवा सैनिक समझौते नहीं हैं बल्कि इन देशों की आर्थिक स्थिति तथा राजनैतिक स्थिरता को मजबूत बनाने में है। यह काम स्वतः उन्हीं देशों को करना पड़ेगा, हां हम उन्हें विशेषतः आर्थिक क्षेत्र में निश्चित रूप से मदद देंगे। यदि कोई प्रतिरक्षा समझौता किया भी जाये, तो उसका अर्थ होगा कि हमें इन देशों की रक्षा के लिये जनशक्ति देनी पड़ेगी जो इस समय हमारी क्षमता से बाहर की बात है। हमारी इस समय खुद कई समस्याएं हैं। यदि हमने प्रतिरक्षा सम्बन्धी अपने प्रयास तितर-बितर कर दिये और ऐसी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लीं जिन्हें हम निभा नहीं सकते, तो उससे न केवल हमारी प्रतिरक्षा कमजोर हो जायेगी बल्कि सुरक्षा की एक झूठी भावना भी पैदा हो जायेगी और इस क्षेत्र में तनाव भी बढ़ सकता है।

जहां तक श्री मी० रु० मसानी द्वारा उल्लिखित एशिया परिषद् का सम्बन्ध है, इस मामले में हमारा दृष्टिकोण यह है कि एशियाई देशों के बीच आपस में सहयोग हो। हम यह चाहते हैं कि एशिया के सभी देशों का एक व्यापक आर्थिक संगठन हो ताकि एशिया या बाहर का अथवा कोई देश एशिया के किसी देश पर प्रभुत्व न जमा सके। हम नहीं चाहते कि ऐसे संगठन के पास कोई राजनैतिक अथवा सैनिक अधिकार हों क्योंकि उससे ऐसा होगा एशिया संघर्ष करने वाले देशों में बट जायेगा और वे बड़ी शक्तियों के समर्थक और सहायक बन जायेंगे। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों के मंत्रियों का सिंगापुर में जल्दी ही एक सम्मेलन होने जा रहा है और यदि भारत से भी पर्यवेक्षक भेजने को कहा गया, तो हम अपना यह दृष्टिकोण बताने के लिये जरूर भेजेंगे कि यदि इस क्षेत्र की मूल समस्याओं को मैत्रीपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिये कोई निकटस्थ आर्थिक संगठन बनाये जायें, तो भारत उसमें पूर्ण सहयोग देगा। एशिया परिषद् के बारे में यही हमारी कल्पना है।

पारस्परिक मित्रता, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग और प्रत्येक देश को सह-अस्तित्व तथा गुट-निर्पेक्षता के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार सम्बन्धी दृष्टिकोण की हमारी वैदेशिक नीतियां सफल रहीं हैं और इनका अनुसरण हमारे राष्ट्रीय हित में है।

हरिजनों से सम्बन्धित घटनाओं के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा

DISCUSSION ON STATEMENT BY HOME MINISTER RE: INCIDENTS RELATING TO HARIJANS

अध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 193 के अन्तर्गत हरिजनों से सम्बन्धित कुछ घटनाओं पर विचार-विमर्श करेगी, श्री कंवर लाल गुप्त।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): Sir, the statement made by the Home Minister about the incidents relating to Harijans in Andhra Pradesh and Uttar Pradesh was incomplete. The merciless treatment meted out to the Harijan boy in Andhra Pradesh would even put a beast to shame. It is a matter of shame for the whole nation and a blot on our fair name. Such incidents make the country sink with shame.

One 19 year old Harijan boy took away two brass utensils but he was caught and he admitted his guilt also. The boy was tied to a pole with ropes and then beaten for one and half hours by 40 persons. People in hundreds witnessed this ugliest scene and nobody responded to his bitter cries. Then his clothes were set on fire. Even Kerosene oil was poured on him. The ropes also burnt and he fell down unconscious. But to our utter surprise; nobody attended to him and even the doctor, who was having a clinique at a few yards' distance refused to do so. Ultimately he was taken to the Police Station by a poor rickshaw puller who happened to pass thereby. The police removed him to a nearby Hospital where he remained unattended for 18 hours and then he was taken to Vijayawada Hospital where he died.

In Uttar Pradesh, a caste Hindu threw two Harijan children into a well because one of the children at the instance of his mother who was going to fetch water dared sit on his cot and 'defile' it. This is really a matter of shame for a nation where people like Mahatma Gandhi and Swami Daya Nand dedicated their lives to the cause, upliftment and regeneration of the Harijans and who fought against casteism.

Again in Andhra Pradesh a similar incident occurred when some landlords wanted to usurp the land of some Harijans known as 'Banjaras'. When these Banjaras protested, the landlords hired about 150 goondas who assaulted the Harijans and raped 15 to 20 women. The matter was raised in the A. P. Assembly also. But no action was taken. Because the state Irrigation Minister was siding with the landlords and shielding these goondas. When the police beat these goondas, the injuries were shown to the Chief Minister and caused the police officers, who took the goondas to task, to be suspended.

In some places the authorities had refused to come to the rescue of the victims of these monstrosities and whenever they did act they were pressurised and harassed by influencial politicians. This problem should be considered by rising above party considerations. Workers of any political party, who are involved in such incidents should be severly dealt with by the respective parties. They should be expelled from the respective parties and should not be allowed to find place in any other party. The Home Minister should convene a conference of political leaders and Cheif Ministers to consider this matter.

The Home Minister should conduct inquiry into the recent incidents through a Central Agency. A committee of MPs should be sent to have on the spot-study of the recent incidents with a view to creating confidence in the people that this House takes serious note of such incidents and wants to avoid their recurrence in a right manner.

Socio-economic problems are, in fact, the root cause of such incidents. It is regretted that the people of backward and depressed classes have not progressed to the desired extent even after 20 years of our independence. The problem will not be solved unless and until we make efforts for their upliftment. Adequate, representation should be given to the people of backward classes in the services. At present it is quite unsatisfactory. Steps should also be taken to spread literacy among them. Adequate provision should be made in the plans for their upliftment. It is regretted that the funds provided in the Third Five Year Plan for the purpose were not properly utilised.

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : इस समस्या के बारे में मेरा दृष्टिकोण अपने पूर्ववक्ता से थोड़ा भिन्न है। उन्होंने इसे दूसरे रूप में लिया। हमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा दलित वर्ग के लोगों की समस्यायों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है और इस बात का पता लगाना आवश्यक है कि आखिर इन लोगों पर अत्याचार क्यों किये जा रहे हैं और वे बढ़ते क्यों जा रहे हैं। हमने अपना संविधान स्वीकार किया है और उसमें तथा उसकी प्रस्तावना में न्याय, समानता, स्वाधीनता और भ्रातृभाव के सिद्धान्तों का उल्लेख है। लेकिन प्रश्न यह है कि भ्रातृभाव की कोई बात दिखाई क्यों नहीं देती ?

अब मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताऊंगा कि वहां ये अत्याचार किस पर हुए। ये अत्याचार वहां सतनामियों पर हुए। ये लोग कौन हैं ? ये लोग वे हैं जो रामायण पढ़ते हैं

और जिन्होंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। वे अपने समाज से गतिरोध से निकलना चाहते हैं। लेकिन लोग उस परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं देते जो इन लोगों में आ रहा है और इसी का परिणाम है कि उन पर अत्याचार किये जा रहे हैं और वे देश के सभी भागों में हो रहे हैं चाहे वहां कोई अथवा किसी दल की सरकार हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारतीय समाज का ढांचा सामाजिक स्थिति पर आधारित है। इसलिये यदि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर भी जाये, तो भी इन बुराइयों का अन्त नहीं होगा। सिद्धान्ततः भारतीय समाज सामाजिक स्थिति पर आधारित है क्योंकि उसका निर्माण इसी सिद्धान्त पर हुआ है और इसी कारण उसके आधार पर अन्तर्भूत असमानता है और वह बनी रहेगी और बनी हुई है। सामाजिक और आर्थिक शक्ति वास्तव में सामाजिक संस्थाओं और भारतीय लोगों के रवैये से सम्बन्धित है। जिसका परिणाम यह है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने तथा भारतीय समाज की आर्थिक स्थिति को बदलने की कोशिश के बावजूद, आर्थिक शक्ति अब भी उन्हीं लोगों के हाथ में केन्द्रित है जिनका मस्तिष्क और रवैया बिल्कुल नहीं बदला है।

वास्तव में स्थिति यह है कि प्रजातन्त्र प्रणाली स्वीकार करने के बाद भी इन संस्थाओं की, जो असमानता के सिद्धान्त पर आधारित हैं, राजनैतिक पहलू (फैक्टर) भी मदद कर रहा है। इसलिये मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, उसका मैंने एक उदाहरण दिया। सतनामियों ने किसी विशेष दल को मत देने से इन्कार कर दिया और ज्यों ही उस दल के लोगों को सत्ता मिली, उन्होंने उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिये। सबसे पहली आवश्यकता है विचारों में आमूल परिवर्तन की। इसलिये यदि हम इन लोगों को सुधारना चाहते हैं, तो प्रत्येक राजनैतिक नेता तथा उचित दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के लिये भारतीय लोगों के रवैया में परिवर्तन लाना जरूरी है, दूसरी बात यह कि हमें इन लोगों को जीवनयापन के लिये न्यूनतम आय की गारन्टी देना आवश्यक है ताकि वे सम्मानपूर्वक रह सकें और आत्मनिर्भर हो सकें। तीसरा हमें उनमें सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय की भावना पैदा करनी चाहिये। चौथा, हमें उनके मस्तिष्क में परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिये ताकि उनके मन में भारतीय जीवन के विकास में भाग लेने की भावना पैदा हो सके। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, उनकी सामाजिक स्थिति नहीं सुधरेगी और उनकी हीन भावना उनका पीछा नहीं छोड़ेगी।

श्री राजाराम (सलेम) : मैं एक ऐसे दल का सदस्य हूं जो इस सिद्धान्त में विश्वास करती है कि 'मानवता एक है' और 'ईश्वर एक है'। हमारे क्षेत्र में ऐसी घटनाएं कभी नहीं घटतीं, हमें इस बात का गर्व है। हमारे क्षेत्र में लोग अपने नाम के पीछे जाति नहीं जोड़ना चाहते जैसा कि देश के अन्य भागों में लोग करते हैं।

मद्रास राज्य में द्रमुक सरकार सत्तारूढ़ होने के बाद अन्तर्जातीय विवाहों के लिये आय-व्ययक में धन की व्यवस्था की है। केन्द्रीय सरकार को भी सामाजिक सुधार के क्षेत्र में रुचि लेनी चाहिए और प्रयत्नशील होना चाहिए, वास्तव में हमारे क्षेत्र में जातिप्रथा समाप्त-सी हो चुकी है और हमारे क्षेत्र से जो लोग मलेसिया तथा अन्यत्र गये हैं, उन्होंने जाति का परित्याग कर दिया

है और वे आज जातिहीन समाज में रहते हैं और बहुत खुश हैं। वास्तव में यदि हम अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े लोगों की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, तो उन्हें झाड़ियों से उठाकर नगरों या गांवों के बीच लाना होगा और उन्हें मुफ्त जमीन देनी पड़ेगी और इसके साथ-साथ अन्तर्जातीय विवाहों की प्रथा प्रचलित करनी जरूरी है।

श्री रा० कृ० सिंह (फैजाबाद) : हमारे देश में सामान्तवाद का अभी पूरी तरह अन्त नहीं हुआ है। देश में अब भी ब्राह्मण प्रवृत्ति का शासन है। हमारे देश का मस्तक तथा आदर्श तब तक ऊंचा नहीं हो सकता जब तक हम हरिजनों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्प-संख्यकों के साथ उचित ढंग से बर्ताव न करें। पिछड़े लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये भूमि सुधार कानूनों की शीघ्र क्रियान्विति जरूरी है। हरिजनों ने हजारों वर्ष तक दुःख उठाये हैं और इन 15-20 वर्षों में भी उन्हें जीवन के अवसरों से वंचित रखा गया है। सरकार को उनके लिये शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और आर्थिक अवसर प्रदान करने चाहिये।

कुछ विपक्षी सदस्यों ने हरिजनों के प्रति मौखिक सहानुभूति दिखाई है। यदि वे वास्तव में उनके हितचिन्तक हैं, और सच्चे राष्ट्रवादी हैं तो उन्हें अस्पृस्यता उन्मूलन आन्दोलन आरम्भ करना चाहिये। वास्तव में इस समस्या का समाधान यही है कि हम उनके प्रति अच्छा व्यवहार और रवैया अपनायें और समानता के आधार पर उन्हें अपने में समाविष्ट कर लें।

श्री प्र० रं० ठाकुर (नवद्वीप) : हमने हमेशा दक्षिण अफ्रीका सरकार की तथा अन्य लोगों की जातीय पृथकवाद की नीति की कटु आलोचना की है और इसी आधार पर अब हम दक्षिण रोडेशिया की निन्दा कर रहे हैं। यह उचित समय है कि हम अपने देश में देखें कि स्वतन्त्रता के बीस वर्ष बाद आज भी कितने लाख अछूत लोग अमानवीय तथा शर्मनाक दमन से दुखी तथा पीड़ित हैं। हमारे जीवन के हर पहलू पर जातिवाद और साम्प्रदायिकता का गहरा रंग चढ़ा हुआ है।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों पर देश के विभिन्न भागों में आज भी अमानवीय अत्याचार किये जा रहे हैं। उन्हें सताया जाता है, तंग किया जाता है और असामाजिक व्यवहार किया जाता है। जिन घटनाओं का माननीय सदस्यों ने अभी मुझसे पहले उल्लेख किया है, वास्तव में वे कोई एकदम नई घटनाएं नहीं हैं। ऐसी घटताएं इश देश में अक्सर होती रहती हैं। हिन्दू-मुस्लिम दंगों के मामले में दाण्डिक सामूहिक कर आदि लगाने के सुझाव दिये गये थे, लेकिन अनुसूचित जातियों के प्रति संगठित अपराधों को रोकने के लिये हमारी सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाने की बात कभी भी नहीं सोची।

अधिकारीगण समाज के इस दुर्भाग्यपूर्ण वर्ग की उपयुक्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून मृतप्राय है क्योंकि ऊंचे तथा महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे तथाकथित ऊंची जाति के हिन्दुओं ने इस सम्बन्ध में उदासीन रवैया अपनाया हुआ है। यह

दुःख की बात है कि संवैधानिक परित्राणों को समुचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। प्रशासन के विकेन्द्रीकरण से इस दिशा में स्थिति और भी बिगड़ गई है।

इस राष्ट्रीय बुराई को हटाने के लिये किसी राष्ट्रीय नेता अथवा संगठन ने कोई अभियान आरम्भ नहीं किया। जब तक हम देश में व्याप्त छुआछूत की प्रथा को समाप्त न कर सकें, तब तक जातीय भेदभाव के विरुद्ध चिल्लाना हास्यास्पद है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है, उसके लिये किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। देश में इस किस्म की जो घटनाएं हुई हैं, अथवा हो रही हैं, उनके लिये हम सभी जिम्मेदार हैं न कि कोई दल विशेष अथवा सत्तारूढ़ दल।

महात्मा गांधी ने इस सम्बन्ध में वर्ष 1922 में कहा था :

"Just as crops will not ripen without sunshine, so also we shall not reap the harvest of Swaraj till the darkness of untouchability is vanished".

प्रश्न यह है कि इस दिशा में हमने कितनी प्रगति की है ? आज हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र तथा हर प्रदेश में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। उदाहरणार्थ कमाम जिले की घटना को देखिये। 1 सितम्बर को कमाम जिले के कांचीका चेरा गांव में अनेक हरिजन परिवारों को जमीन से बेदखल करने के लिये 150 गुन्डों ने उन पर हमला किया और उन पर अत्याचार किये, यहां तक कि उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार भी किया गया। इस समस्या का मूल कारण भूमि समस्या है। इस सिलसिले में कुछ पुलिस अधिकारियों को, जो अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहे थे, सत्तारूढ़ लोगों ने निलम्बित करवा दिया, और वे कांग्रेसी लोग हैं।

केन्द्र की एक बहुत बड़ी विशेष जिम्मेदारी है। संविधान में भी इस सम्बन्ध में उपबन्ध हैं। लेकिन जहां कहीं हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं होती हैं, उसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार को स्वीकार करना चाहिए चाहे वह कांग्रेसी हो अथवा गैर-कांग्रेसी, इसका कोई सवाल नहीं है। लेकिन जहां इन घटनाओं में राज्य सरकार का हाथ होता है, वहां केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करनी जरूरी है।

यह सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक समस्या है। हम सबको मिलकर तथा संगठित होकर इस बुराई को खत्म करने के लिये हर मानव सम्भव प्रयास करना चाहिए और ऐसी घटनाओं के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को चाहे वे कोई हों, कठोर दण्ड देना चाहिए।

हमें इस समस्या पर दलगत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हमें उन राजनैतिक दलों पर, जो इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार बरतने के लिये अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, आरोप लगाने से कतराना नहीं चाहिए। इस समस्या पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित (फूलपुर) : स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान हमारा एक महत्व-पूर्ण नारा यह था कि देश में पूर्ण समानता होनी जरूरी है और सभी भेद-भाव, चाहे वह किसी रूप में हो और किसी किस्म का हो, समाप्त होना चाहिए। यह बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में, जो महात्मा गांधी का देश है, जो बुद्ध का देश है और जहां हम लोग निरन्तर नैतिक प्रयोजनों के बारे में बातें करते हैं, और उनका अनुसरण करते हैं, स्वतन्त्रता के 20 वर्षों के बाद आज भी हरिजनों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसका कारण यह है कि हमने संविधान में जिस वायदे की प्रतिज्ञा की है हम उसे क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं।

गरीबी संसार में सबसे अधिक अपमानजनक चीज है। वह मानव व्यक्तित्व को गिरा देती है। वास्तव में हमारे देश में गरीबों की इतनी दयनीय स्थिति है कि वे संविधान के अधीन प्रदत्त अधिकारों का दावा करने तक की हिम्मत नहीं रखते। यदि सारे समाज का परिष्कार नहीं किया गया और पिछड़ी जातियों की गरीबी और अज्ञान को दूर नहीं किया गया, तो एक समय आयेगा जब स्थिति पर नियंत्रण रखना काबू से बाहर हो जायेगा। अनपढ़ लोगों को ही सबसे अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये लोग कुछ समय तक तो कष्ट सहन करते रहेंगे, उसके बाद यदि वे भड़क उठे, तो स्थिति अत्यधिक खराब हो जायेगी जिस पर काबू पाना तक कठिन हो जायेगा।

मैं हाल में इलाहाबाद गई थी और मैंने देखा कि वहां अल्प संख्यक लोग त्रस्त हैं—भयभीत हैं जो बहुत दुःख की बात है। हमारे संविधान में परित्राण हैं, लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया जाता है।

सरकार के लिये ऐसे पग उठाने जरुरी हैं जिनसे इस देश के छोटे से छोटे लोग भी कानूनी तौर पर नहीं अपितु वास्तविकता में भी समानता महसूस करें अपने-अपने जीवन में सुरक्षा की भावना महसूस कर सकें जिससे वे सम्मानपूर्ण नागरिकों के रूप में जीवन व्यतीत कर सकें और देश के कल्याण में योगदान दे सकें।

श्री दे० अमात (सुन्दरगढ़) : भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसकी जनसंख्या 51 करोड़ है जिसमें से 6 करोड़ 50 लाख हरिजन हैं और 3 करोड़ अनुसूचित आदिम जातियों के लोग हैं जो समाज के कमजोर वर्ग हैं। सरकार उनके हितों की रक्षा करने और उन्हें सभी प्रकार के सामाजिक अन्यायों तथा शोषणों से बचाने के लिये संवैधानिक तौर पर कर्त्तव्य-वद्ध है।

आन्ध्र-प्रदेश में 22 फरवरी, 1968 को एक हरिजन लड़के की निर्मम हत्या की गई। उपरोक्त लड़के की जिस ढंग से नृशंस हत्या की गई वह अमानवीय थी उसे लगातार 90 मिनट तक पीटने के बाद उसके कपड़ों पर आग लगा दी गई और ऊपर से मिट्टी का तेल छिड़का गया। सवर्ण हिन्दुओं के क्रोध की अग्निज्वाला को शान्त करने के लिये उसके जीवन की आहुति दी गयी—बलि दी गई। इतना ही नहीं, यह भी सुनने में आया है कि हरिजन स्त्रियों को

नंगा करके उनका जलूस निकाला गया। इस देश का भाग्य क्या होगा जहां स्त्रियों पर ऐसे अत्याचार किये जा रहे हैं।

हरिजनों तथा आदिवासियों के बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था उचित नहीं है और यही कारण है कि अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में पीछे रह जाते हैं। आदिवासियों के बच्चों के लिये आश्रम स्कूल खोले गये हैं जिनका स्तर बहुत मामूली है। अन्य लोगों की भांति उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिये। हम समाजवाद की बात करते हैं। लेकिन व्यवहार में हम उसके प्रतिकूल दिशा में बह रहे हैं। जहां तक सरकारी सेवाओं में नियुक्ति का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की उनके लिये आरक्षित सरकारी पदों पर निर्धारित कोटानुसार नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। इसके अलावा इन जातियों के लोगों को बहुत कम संख्या में अखिल भारतीय सेवाओं में लिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें अपेक्षित स्तर की शिक्षा नहीं दी जा रही है जिसके लिये सरकार दोषी है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन लोगों के लिये भी उसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाये जिसकी सुविधा अन्य वर्गों को उपलब्ध है ताकि ये लोग उनकी बराबरी कर सकें।

Shrimati Agam Dass Guru Minimata (Janjgir) : Mr. Speaker, Sir, Caste-Hindus are never interested in the welfare and uplift of Harijans. In fact, they want to keep them deprived of all opportunities provided in the constitution. Harijans are leading a miserable life. They have no status in our society. They are treated like slaves. They receive very harsh treatment from the society. Now atrocities are being inflicted upon them. Some gruesome tragedies took place recently. There were cases also where Harijan women were raped. I feel there is some political hand behind these shameful and barbarious atrocities that are taking place even after 20 years of our independence today. What is the main factor responsible for this inhuman and cruel behaviour towards this weaker section of society ? The root cause of this evil is that the caste Hindus cannot see them progressing.

The Mungeli incident in Madhya Pradesh was a gruesome tragedy and a reference of which was made in this House also and several Hon. Members expressed their sympathies. The State Home Minister, instead of condemning the sad happening of inhumanity, stated that there was no truth in the matter. In such a situation, is it possible for the Harijans to expect the State Government to protect them and safeguard their interests ? No. The Centre should come forward to give protection to Harijans where the State Government failed to do so. We cannot deny the fact that the Harijans are being harassed on political grounds also because they follow the principles of Mahatma Gandhi and believe in one political party—the Congress party only. Now I have some submissions to make in this regard. It is absolutely necessary to take such steps as may give the Harijans and Adivasis adequate protection. If necessary, a separate piece of legislation should be brought in this behalf.

Severe punishment should be awarded to such police officials as are found unable to avoid such incidents. The Collector, Superintendent of police and D. S. P. of a district, where atrocities are committed on the Harijans, should be immediately transferred therefrom. The

centre should take over the administration of a state where such incidents take place frequently and on a large-scale. In the end, if workers of a political party indulge in such activities and atrocities in a certain area and they continue their activities despite serious warnings from the Government, the Branch of the party concerned should be declared illegal in the effected area.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon): Sir, Harijans have been oppressed in this country for hundreds of years. They always suffered at the hands of our society. They were never allowed to progress. They were always denied human rights and deprived of opportunities to rise in life. Even after twenty years of independence they are receiving barbarious treatment from caste Hindus. Atrocities are being committed on them, Harijan women are being rendered naked and led in procession.

It is deplorable that Harijans are meted out a stepmotherly treatment even in political field. They are not appointed as Governors and Ambassadors which are important offices. Even in union cabinet, they have not been given adequate representation. The Government did never take any concrete and positive steps to solve the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It could even amend the constitution for the purpose.

The candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are neither taken in the Police Force nor selected for administrative posts. Such incidents could be avoided and checked if these people were provided jobs in the Police Force and were appointed on administrative posts.

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह बड़ी चिन्ता और लज्जा की बात है कि हमारे देश में बर्बरतापूर्ण अत्याचार हो रहे हैं। यह वास्तव में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी हमारे यहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सामाजिक चेतना का अभाव है। वास्तव में यह सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये लज्जा की बात है। इस बुराई को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि हम एक दूसरे पर दोषारोपण करने की अपेक्षा अपने दृष्टिकोण बदलने की कोशिश करें और अपने हरिजन, आदिवासी तथा अल्पसंख्यक भाई-बहनों के लिये अच्छा वातावरण तैयार करें।

हम सबको मिलकर वर्ग, जाति तथा साम्प्रदायिकता की भावनाओं का मुकाबला करना जरूरी है। हमारे लिये यह भी जरूरी है कि हम ऐसे वक्तव्य न दें जिनसे उत्तेजना फैलती हो। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने इलाहाबाद में कुछ जातियों में व्याप्त भय का उल्लेख किया है। भय मनोवेगों में सबसे अधिक खतरनाक भाव है। जब कोई उसका शिकार हो जाता है, तो उसका खुद अपने पर काबू नहीं रहता। इसलिये हमारे लिये यह जरूरी है कि हम ऐसा वातावरण पैदा न करें जिससे किसी जाति में भय अथवा असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाये।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर अपने सभी नागरिकों, विशेषत: गरीबों के लिये समान अवसर प्रदान करने और जनता में आधारभूत एकता को मजबूत बनाने का प्रयत्न करें। इन जघन्य अपराधों के लिये केवल जिम्मेदार व्यक्तियों को ही दोषी ठहराना पर्याप्त नहीं है, इसके लिये हमारी सम्पूर्ण सामाजिक प्रणाली ही दोषपूर्ण है। जब तक हम इस सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए तैयार न हों, तब तक इस प्रणाली को भी दोषी ठहराने

से भी कोई लाभ नहीं होगा । अपराधियों तथा दोषी व्यक्तियों को कड़ा दण्ड देना जरूरी है । ऐसे मामलों में दया का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । मैं इस सभा और सारे देश से अपील करती हूं कि हम सब मिलकर नई जीवन पद्धति के विकास का आधार तैयार करने के लिये आवश्यक आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक कदम उठायें ।

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : इन दुःखद घटनाओं की विशेषतः आन्ध्र-प्रदेश में हरिजन लड़के के बारे में जो घटना हुई, निन्दा करना जरूरी है । यह समस्या केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक भी है । हम उन भंयकर परिस्थितियों की ओर आखें बन्द करके नहीं रह सकते जिनमें वे रह रहे हैं । उनके पास अपनी भूमि नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या हम उन्हें भूमि देकर तथा समाज में उनका स्तर उठाकर उनकी आर्थिक समस्या को हल कर सकते हैं। उन मूल समस्याओं को हल किये बिना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता ।

मुझे तालुक रायत संगम, आन्ध्र से एक तार मिला है जिसमें कहा गया है कि जिस गांव में हरिजन लड़के को जिन्दा जला दिया गया था, उसके निकट एक गांव में हरिजनों पर अमानुषिक अत्याचार किये जा रहे हैं । ऐसी घटनाओं की केवल निन्दा कर देने से ही काम नहीं चलेगा । वास्तव में हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि इसके लिये मुख्यतः जिम्मेदार सरकार है—सत्तारुढ़ दल है । इस समस्या का व्यावहारिक हल ढूंढना आवश्यक है और इसे व्यावहारिक ढंग से ही हल भी करना होगा । आप उन्हें धन दे सकते हैं तथा अन्य प्रकार से सहायता कर सकते हैं लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम उन्हें भूमि देने के लिए तैयार हैं। सरकार ने ऐसी बेदखलियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ? महात्मा गांधी ने कहा था अस्पृश्यता का समाप्त होना जरूरी है और उन्होंने इसके लिये काम भी किया जबकि उनके हाथ में ताकत भी नहीं थी, किन्तु उनके तथाकथित अनुयायियों के पास तो शक्ति भी है, फिर भी उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

आप उनको न्यूनतम मजूरी तो दें ताकि उन्हें दिन में दोनों समय भोजन तो मिल जाये मेरी प्रार्थना है कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये ।

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : Harijans constitute a major portion of the total population of the country, but still the Hindu community does not behave with them properly because the people do not want these Harijans to prosper.

It is a matter of great shame that such things are happening in the country even after 20 years of independence. The Central Government should not leave the Harijans on the mercy of State Governments. The Central Government should protect the back ward classes and if necessary, the constitution may also be amended.

All the political parties should raise their voice against the atrocities being committed on Harijans. Such type of literature which propagates that the Harijans are slaves, should be banned.

The problem of Scheduled Castes posses even greater danger than from China and Pakistan. If this situation continues the day is not far off when Government would not be able to control it. Mere words would not do. Steps should be taken to improve the condition of Harijans. Now the country would not tolerate such kind of injustice any longer.

Shri Ram Charan (Khurja): The Harijans are being subjected to atrocities for the last several hundred years. But it is difficult to suppress them any longer. Action should be taken immediately to better their economic condition. An intensive campaign should be launched for their uplift.

Fifty per cent class I and class II posts should be reserved for scheduled castes. Harijans should be recruited in police also and they should be allotted lands. In case the scheduled caste are not given necessary amenities and not treated properly, it is possible that these people may demand a seperate land after some time.

A separate organisation should be set up to go into the atrocities being committed on Harijans. Only Members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be employed in the cells established under this organisation. Top most executive posts should be filled up from Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

I would like to request that a high-powered commission should be set up to go into the problem of Harijans. This problem should be treated as a national problem.

Shri Sheo Narain (Basti): The recent cases of atrocities committed on Harijans are a warning to the whole nation. The problem should be tackled before it takes a serious turn.

The reports called by the Central Government are not correct. States do not send correct reports.

Adequate facilities for the education of the Harijans should be provided. Provision should be made for adequate representation in services for scheduled castes and scheduled tribes. They should also be allotted land.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : देश के अनेक भागों में जो कुछ हुआ है, उसका मुझे बहुत दुख है । आन्ध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ है, उसमें मेरा शिर शर्म से झुक गया है । कानून में इस बारे में व्यवस्था है । परन्तु, कानून की क्रियान्विति दोषपूर्ण है ।

सबसे पहला काम तो यह होना चाहिए कि अस्पृश्यता को अपराध माना जाय । इस सम्बन्ध में अधिनियम है किन्तु जांच आदि करने के मामले में काफी कठिनाई होती है । अत: पुलिस में पर्याप्त संख्या में हरिजन भर्ती किये जाने चाहिए । जांच आदि का काम हेड कांस्टेबल और सब-इन्स्पेक्टर ही करते हैं । इसलिये इन दोनों पदों पर अधिकतर हरिजन ही होने चाहिए । यह तो अधिनियम में संशोधन किये बिना ही किया जा सकता है ।

आन्ध्र प्रदेश की घटना के सम्बन्ध में अपराधियों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए जो सारे देश के सामने एक उदाहरण हो । हमें आज इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि हम अस्पृश्यता को किसी भी रूप में इस देश में नहीं रहने देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मंत्री ।

Shri Abdul Ghani Dar ((Gurgaon) : I walk out, in protest that I have not been called.

श्री अब्दुल गनी दार सभा से उठकर चले गये
Shri Abdul Ghani Dar then left the House

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : कल मैंने अपने वक्तव्य में बताया था कि 7 में से 6 अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं। मुझे अभी प्राप्त एक सन्देश के अनुसार सातवां अभियुक्त, जो फरार हो गया था, रायपुर में 2 तारीख को रात को गिरफ्तार कर लिया गया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

जहां तक दूसरी घटना का सम्बन्ध है जिसमें एक नंगी औरत को घुमाया गया है, इसके बारे में जांच पड़ताल की गई थी। परन्तु यह सूचना ठीक नहीं पाई गई।

मैं मानता हूं कि कानून बनाना और संविधान में कोई व्यवस्था करना ही काफी नहीं है। हमें उन्हें कार्यान्वित करना चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं और सभी नागरिक बराबर हैं।

अधिकांश राज्यों ने इस सम्बन्ध में कार्य किया है किन्तु अभी तक सामाजिक स्थिति पूर्ववत बनी हुई है। इसका कारण यह है कि गांवों में सामन्तशाही वातावरण लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में नहीं बदल पाया है। इस सम्बन्ध में हमें मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन करना होगा। इसके लिये ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कानून का आश्रय लेना ही पड़ेगा।

जहां तक आर्थिक कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इस बारे में सभी दलों और सरकारों की हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की समस्याओं को प्राथमिकता देने की नीति होती है। इस सम्बन्ध में हमने भी निष्ठापूर्वक प्रयास किये हैं।

माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं। हम उन पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार करेंगे और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देने का प्रयत्न करेंगे। हमें वास्तव में सतत सतर्क रहना चाहिए। मैं मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने की बात सोच रहा हूं और मैं इस समस्या को प्राथमिकता दूंगा तथा इस बारे में मुख्य मंत्रियों से विचार विमर्श करूंगा।

जहां तक सेवाओं में आरक्षण और अन्य आर्थिक समस्याओं का सम्बन्ध है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को इन मामलों पर विचार करना चाहिए। हमारा यह अनुभव है कि नीति की क्रियान्विति ही मुख्य समस्या है।

समाज कल्याण मंत्री इस सुझाव पर विचार कर रहे हैं कि इस समस्या पर विचार करने के लिये एक संसदीय समिति होनी चाहिए अथवा नहीं। मैंने इस समस्या पर उनके साथ विचार विमर्श किया है तथा मैं उनसे इस बारे में और विचार-विमर्श करूंगा। सरकार को इस बात में पूरा विश्वास है कि यदि कोई समिति बनाई गई तो वह एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देगी जिसमें प्रशासन यह अनुभव करेगा कि एक कोई सर्वोच्च निकाय उनके कार्य को देख रहा है। मुझे आशा है कि समाज कल्याण मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 5 अप्रैल, 1968/16 चैत्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday the 5th April, 1968/Chaitra 16, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 24-9-1968—600